खण्ड-121, अंक-5
शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(20 मार्च, 1953 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 121 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरणसिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह, बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयालु वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुरहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करना

श्री हुकुम सिंह ने शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

---

*१—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३४८ पर]

तारांकित प्रश्न

एन० सी० सी० व पी० ई० सी० की ट्रेनिंग पर सरकार द्वारा व्यय

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने लड़के एन० सी० सी० में व कितने पी० ई० सी० में ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—एन० सी० सी० में ७,७१६ और पी० ई० सी० में ३०,४४१ लड़के ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में एन० सी० सी० व पी० ई० सी० पर पृथक-पृथक कितना रुपया सरकार खर्च कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—एन० सी० सी० पर ११,७६,६०० रु० और पी० ई० सी० पर ७,६७,७०० रु० ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एन० सी० सी० को क्या सुविधायें कन्द्रीय सरकार से मिलती हैं ?

डाक्टर सीताराम—केन्द्रीय सरकार से एन० सी० सी० को इंस्ट्रक्टर्स और आर्म्स मिलते हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ७,७१९ एन० सी० सी० की स्ट्रेंथ दिखलाई है उसमें जूनियर और सीनियर विंग दोनों शामिल हैं या एक ही ?

डाक्टर सीताराम—दोनों शामिल हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३०,४४१ लड़कों पर जब बाहर से सहायता नहीं मिलती है तो कम खर्चे में संचालन कैसे होता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—बाहर से सहायता के रूप में इंस्ट्रक्टर्स और आर्म्स मिलते हैं और बाहर से कोई सहायता नहीं मिलती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि एन० सी० सी० का काम किस-किस जिले में हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम—एन० सी० सी० के काम के लिये इलाहाबाद में ४ कम्पनियां, बनारस में ४, आगरा में ३, कानपुर में ३, अलीगढ़ में २ और लखनऊ में २ कम्पनियां, मेरठ में १ काम कर रही हैं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलायेंगी कि एन० सी० सी० जब पहाड़ पर ट्रेनिंग के लिये जाती है तो उनका खर्चा सेण्ट्रल गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है या प्राविंशियल सरकार ?

डाक्टर सीताराम—प्राविंशियल सरकार बर्दाश्त करती है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्राविंशियलगे एजूकेशनल कोर के लड़कों को केन्द्रीय सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी है।

डाक्टर सीताराम—जी हां, बात सही है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका नतीजा यह होता है कि पी० ई० सी० के लड़के परीक्षा में इस कारण उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—उसका परीक्षा से तो कोई संबंध नहीं मालूम होता।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एन० सी० सी० का पूरा कोर्स पास करने पर फौजी सर्विस देने के लिये सरकार बाध्य है ?

डाक्टर सीताराम—बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वह चुनाव में सफलीभूत हो जाता है तो उसको दो साल की ट्रेनिंग की जगह पर एक साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।

*३—५—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३४८—३४९ पर।]

गन्ना फैक्टरी शामली, मुजफ्फरनगर के दुर्गन्धित पानी से अत्यन्त हानि

*६—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना, फैक्टरी शामली (मुजफ्फरनगर) का दुर्गन्धित तथा विषैला पानी एक नाले द्वारा कृष्णा में डाला जाता है ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

*७—श्री श्री चन्द—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त नदी के पास की ग्रामीण जनता को इस विषैले पानी से अत्यन्त हानि उठानी पड़ती है और इस पानी के पीने से उनके चौपाये मर जाते हैं?

*८—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार शीघ्र ही कोई प्रबन्ध करेगी जिससे कि उपर्युक्त ग्रामीण जनता इस संकट से मुक्त की जा सके?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन विषयों पर एफ्लुएन्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। यह ज्ञात हुआ है कि इस गन्ना फैक्टरी के मैनेजर मिल के दुर्गन्धित तथा विषैले पानी को साफ करने के लिये एक मशीन (एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट प्लाण्ट) लगाने का विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एफ्लुयेंट एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कब सरकार के पास आयी थी और सरकार के विचाराधीन वह कब तक रहेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने तो इस रिपोर्ट को कोई तीन चार दिन हुये देखा था।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना फैक्टरी, शामली को वह कोई आदेश देंगे जिससे वहां की जनता इस हानि से बच सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किसी भी फैक्टरी के मुताल्लिक आदेश देना शायद इस समय तो ठीक नहीं होगा उस वक्त तक जब तक कि हम इस रिपोर्ट पर विचार न कर लें और इस प्रदेश की सभी मिलों के लिये आदेश न निकाल सकें।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—यह कमेटी कब बैठाई गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त मैं ठीक डेट तो नहीं बता सकता लेकिन साल डेढ़ साल तो जरूर हो गये।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय श्रम मंत्री जी को मालूम है कि प्रदेश की सभी मिलों में इस दुर्गन्धयुक्त पानी से शिकायत है कि उससे बीमारियां बढ़ती हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। तभी तो इस कमेटी के बैठाने की जरूरत पड़ी।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को मालूम है कि शामली फैक्टरी सन् १९३२ में लगी और उसी वक्त से दुर्गन्ध की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, ऐसी बात होगी।

श्री केशव गुप्त—क्या सरकार को मालूम है कि यह प्रश्न कई बार इस विधान सभा के सामने आ चुका है और उसके बारे में कोई सक्सेसफुल इलाज नहीं हो सका है?

श्री अध्यक्ष—यह तो माननीय सदस्य को स्वयं मालूम होगा। इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

झांसी के शहर कोतवाल का तबादला

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी थाने के वर्तमान कोतवाल को इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस ने पारसियों की संगीन शिकायत पर झांसी के नग्रोबाद थाने से २४ घंटे के अन्दर ट्रांसफर करने की आज्ञा दी थी परन्तु झांसी के पुलिस सुपरिण्टेंडेंट ने उक्त आर्डर के विरुद्ध उक्त कोतवाल को झांसी का कोतवाल बना दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस ने इस तरह क कोई आदेश झांसी के वर्तमान कोतवाल के तबादले के संबंध में नहीं दिया था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि झांसी के शहर कोतवाल का तबादला उस वक्त हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, हुआ था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री जी बता सकते हैं कि झांसी के शहर कोतवाल के खिलाफ कोई शिकायत उनके पास आयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि उक्त कोतवाल को झांसी के भूतपूर्व सुपरिण्टेण्डेंट पुलिस ने जनता की शिकायतों की जांच करने पर कैरेक्टर रोल में बैड इण्टरी कर के झांसी की कोतवाली से २४ घंटे के अन्दर ट्रांसफर कर दिया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। संबंधित स्टेशन आफिसर का तबादला कभी भी भूतपूर्व सुपरिण्टेण्डेंट आफ पुलिस ने किसी शिकायत के बिना पर नहीं किया था।

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार के पास इस संबंध की शिकायतें आई हैं कि झांसी में दर्जनों जुये के अड्डे चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

मेहतर हड़ताल के अवसर पर हरद्वार में एक महिला सत्याग्रही की मृत्यु

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि विगत प्रदेश व्यापी मेहतर हड़ताल के अवसर पर हरद्वार शहर में एक लेटी हुई महिला सत्याग्रही को पुलिस ट्रक ने कुचल दिया जिसके परिणामस्वरूप उनका देहावसान हो गया? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—५ फरवरी, सन् १९५३ ई० को पुलिस १३ मेहतरों को, जो दफा ८५ म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में गिरफ्तार किये गये थे और जिन्होंने जमानत देने से इन्कार कर दिया था, ट्रक में हरद्वार से रुड़की जेल ले जा रही थी। रास्ते में मेहतरों के एक समह ने जिसमें एक महिला भी शामिल थी, ट्रक को रोकने का प्रयत्न किया। महिला ट्रक से टकरा कर घायल हो गई। बाद में उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई और उसकी जांच हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन सा बाजार या स्थान था जहां इस ट्रक को रोकने का प्रयत्न हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बाजार का तो मैं ठीक से नाम नहीं कह सकता। हरद्वार ही में यह चीज कहीं न कहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ट्रक रोकने के समय ट्रक की स्पीड क्या थी और उसमें ब्रैक था या नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं यह नहीं बतला सकता कि स्पीड क्या थी और उसमें ब्रैक भी था या नहीं।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि यह मृत्यु तब हुई जब कि वह औरत चलती हुई मोटर पर चढ़ रही थी, न चढ़ सकी और गिर पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारी इतिला तो यह है कि कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश की और उन चढ़ने वालों में सम्भवतः यह महिला रही हो और फिर वह गिरने स घायल हो गयी हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस महिला के चोट कहां पर लगी और इस संबंध में डाक्टर ने जो रिपोर्ट दी क्या उसको सरकार सदन के सामने रखने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसकी रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन महिला के चोट जरूर लगी। मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि यह कहना तो मुश्किल है कि कौन बचता या नहीं बचता लेकिन एस० डी० एम० वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बहुत आग्रह किया लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और वे लोग एक जुलूस बनाकर चलने लगे। तब एस० डी० एम० ने कहा कि प्राइवेट डाक्टर को दिखा लो। प्राइवेट डाक्टर को दिखाया गया तो उसने बतलाया कि अभी शायद यह बच सकती है अगर ब्लड ट्रांन्सफ्यूज किया जाय। फिर उनको बहुत समझाया गया और बहुत मुश्किल से अस्पताल जाने के लिये राजी हुये। वहां जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम जो डाक्टरों ने किया उसमें उन्होंने यह लिखा है कि यह एक्सीडेंट से चोट लगी है और मालूम होता है कि ट्रक से कुचल गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सच है कि यह जांच उसी पुलिस द्वारा की जा रही है जिसकी ट्रक द्वारा यह महिला कुचली गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आमतौर पर ड्राइव तो शोफर करते हैं और शोफर जो होते हैं वह जांच नहीं किया करते।

श्री नारायणदत्त तिवारी— क्या इस महिला के अतिरिक्त कोई और भी महानुभाव इस ट्रक से घायल हुए थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे और किसी महानुभाव का नाम मालूम नहीं है।

रनजीतपुर, थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

*१३—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल ही में थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ में गोली चली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम रनजीतपुर, थाना सांगीपुर में २४ दिसम्बर, सन् १९५२ को पुलिस द्वारा गोली चलाई गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि गोली चलने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोली चलने का कारण यह है कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर कुछ लोगों को पकड़ने के लिये वहां पर गये क्योंकि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। तो कुछ लोगों ने उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की और सब-इन्सपेक्टर पर हमला किया गया। इसी पर झगड़ा हो गया।

*१४—श्री राजाराम किसान—यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को गोली लगी और कितने मृतक हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—निम्नलिखित व्यक्तियों के गोलियां लगीं:—

१—श्री जमुना प्रसाद सिंह
२—श्री चन्द्र भूखण सिंह
३—श्री शेष नारायण सिंह
४—श्री देवनारायण सिंह

इनमें से श्री जमुना प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई।

*१५—श्री राजाराम किसान—क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस घटना से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

श्री राजाराम किसान—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि छोटे या बड़े दोनों दरोगाओं के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वहां के अधिकारियों का ऐसा खयाल है कि शुरू में उन्होंने थोड़ी सी नासमझी से काम लिया। इसलिये उनकी बाबत जांच-पड़ताल अभी सरकार कर रही है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस मामले में क्या कोई मजिस्टीरियल इनक्वायरी भी हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, हुई है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—क्या उसमें उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है और उसको सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने यह बतलाया है कि जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी उसमें सिवाय गोली चलाने के और कोई चारा पुलिस के सामने नहीं था। शुरू में उन्होंने जो नासमझी से कुछ काम लिया उसके बारे में जांच वह कर रहे हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—प्रश्न १५ के जवाब में कहा गया है कि कोई पुलिस कान्सटेबिल वहां भेजा गया था, क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उसके खिलाफ पहले ही गांव के लोगों ने रिश्वत के सम्बन्ध में कोई मुकदमा दायर किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस खास पुलिस कान्सटेबिल के खिलाफ कोई शिकायत थी इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सब-इन्सपेक्टर साहब ने गोली चलाई है उनके खिलाफ इसके पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि वह बिला वजह मारपीट करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन ऐसी शिकायत है कि वह नासमझी से काम करते रहे हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—(प्रतापगढ़) क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस गोलीकांड के पश्चात् वह सब-इन्सपेक्टर उसी थाने पर हैं या लाइन हाजिर किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त इसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस दल में से भी कोई घायल हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ लोगों के लाठी तो लगी थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जानते हुये भी कि वह सब-इंसपेक्टर नासमझी से काम करते हैं तो उनको उस जगह पर अब तक क्यों रखा गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नासमझी कोई ऐसा कसूर नहीं है कि जिस पर निकाल दिया जाय, आशा की जाती है कि उम्र पाकर नासमझ भी समझदार हो सकता है।

नार्मल स्कूल केराकत, जिला जौनपुर के पीपुल टीचरों तथा नौकरों पर वार्षिक व्यय

*१६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्मल स्कूल केराकत, जिला जौनपुर में इस वर्ष कितने पीपुल टीचर हैं और कितने नौकर उस स्कूल की देखरेख तथा सेवा करने के लिये रक्खे गये हैं?

डाक्टर सीताराम—८९ पीपुल टीचर्स और १८ नौकर।

*१७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नौकरों पर कितना रुपया वार्षिक उस स्कूल में खर्च होता है?

डाक्टर सीताराम—८,७३० रु०।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि नार्मल स्कूल केराकत में इतनी संख्या में नौकरों के रखे जाने से सन्तोष है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि कितने पीपुल टीचर्स को सरकारी सहायता दी जाती है?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना की आवश्यकता है।

आजमगढ़ जिले में छर्रे वाली हवाई बन्दूक पर लाइसेंस

*१८—श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में ही छर्रे वाली हवाई बन्दूक पर लाइसेंस है जब कि गाजीपुर, बलिया या अन्य पड़ोसी जिलों में इसकी व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल आजमगढ़ जिले में ही नहीं वरन् सारे प्रदेश में उन हवाई बन्दूकों के लिये, जो इंडियन आर्म्स रूल्स, १९५१ में वर्णित परीक्षा को सन्तुष्ट नहीं करती हैं, लाइसेंस लेना आवश्यक हैं। जो उक्त परीक्षा को सन्तुष्ट करती हैं वे ही बिना लाइसेंस रक्खी जा सकती हैं।

श्री श्रीनाथराम—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि एक ही किस्म की छर्रे वाली बन्दूक जो चिड़ियों के शिकार के लिये प्रयोग की जाती है उस पर सिर्फ आजमगढ़ में लाइसेंस है और गाजीपुर बलिया वग़ैरा में नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आजमगढ़ से मालूम हुआ है कि वहां पर भी वही कायदे लागू हैं जो दूसरी जगह पर हैं, अगर कोई विशेष मिसाल माननीय सदस्य दें तो उसके सम्बन्ध में जांच कराई जा सकती है।

बल्लम तथा तलवार रखने पर लाइसेंस

*१९—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बल्लम तथा तलवार रखने पर लाइसेंस है कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बल्लम तलवार आदि अस्त्रों पर से अभी हाल ही में लाइसेंस का प्रतिबन्ध हटा दिया गया है, क्योंकि सरकार अब उन पर लाइसेंस रखना आवश्यक नहीं समझती।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस प्रतिबन्ध के उठाने के पहले, जो मुक़दमे इन हथियारों के सम्बन्ध में चल रहे थे उनको उठा लिया जायगा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में आदेश भेज दिये गये हैं?

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह आदेश क्या हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आदेश वही हैं, जो माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में सुझाव के रूप में बतलाये।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गन लाइसेंस सम्बन्धी नियम तब्दील करने के आदेश जिलाधीशों के पास भेजे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी बल्लम, तलवार से काम शुरू हुआ है, फिर देखा जायगा।

*२०—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कौन-कौन हथियार हैं, जो बिना लाइसेंस के नहीं रखे जा सकते?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इंडियन आर्म्स रूल्स १९५१ के अनुसूची (Schedule) २ की प्रविष्टि (Entry) १ में अपवाद रूप से जो हथियार वर्णित हैं वे बिना लाइसेंस के नहीं रक्खे जा सकते।

राजकीय कीर्ति हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तरकाशी के सहायक अध्यापकों का वेतन के विषय में आवेदन-पत्र

*२१—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—क्या यह सही है कि राजकीय कीर्ति हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तर काशी के सहायक अध्यापकों ने अपने वेतन के बारे में सरकार के पास कई एक आवेदन-पत्र भेजे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या विचार किया या करने जा रही है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के अध्यापकों को वही पे स्केल दिया जा रहा है, जो यू० पी० के अन्य राजकीय स्कूलों में दिया जाता है?

डाक्टर सीताराम—टेहरी के इस प्रदेश में विलीन हो जाने के बाद वहां के अध्यापकों का कोई भी पत्र इस शासन को नहीं मिला है जिस पर कि विचार किया जा सके।

*२२—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद ने सिफारिश की है कि राजकीय श्री कीर्ति हायर सेकेंडरी स्कूल, उत्तरकाशी (जिला टिहरी) में जुलाई, सन् १९५२ ई० से कक्षा ११वां खोल दिया जाय?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बताएंगे कि हाई स्कूल तथा इण्टर-मिजिएट बोर्ड में इण्टर क्लास खोलने की मान्यता भी रखी गयी है और क्या सरकार इण्टर क्लास खोलने का विचार रखती है?

डाक्टर सीताराम—धनाभाव के कारण यह प्रश्न सन् १९५३–५४ में स्थगित कर दिया गया है।

*२३—श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो क्या कक्षा ११वां खोला गया है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्त की शिक्षा संस्थाओं की जांच का वार्षिक प्रब

*२४—श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रान्त की शिक्षा संस्थाओं के हिसाब-किताब आमतौर से ठीक नहीं रक्खे जाते? क्या सरकार सभी शिक्षा संस्थाओं के सारे साल के कुल हिसाब की जांच एक वर्ष में एक बार कराने का प्रबन्ध करेगी?

डाक्टर सीताराम—शिक्षा संस्थाओं के हिसाब-किताब साधारणतया ठीक रखे जाते हैं, परन्तु कहीं-कहीं अंशतः कुछ गड़बड़ भी मिलती है।

आर्थिक कठिनाई के कारण अभी ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्धक समितियों में सरकार सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त करने जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्न विचाराधीन है वह केवल इंटरमिजिएट शिक्षाओं के लिये है या डिग्री कालेजेज के लिए है?

डाक्टर सीताराम—यह सब के लिये है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी ऐसी शिक्षा संस्थाओं का शीघ्र प्रबन्ध करेंगे कि जहां हिसाब-किताब में गड़बड़ पायी जाती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, अब वह प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार जांच के लिये आनरेरी आडिटर रखने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो इस वक्त धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरे तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं, जिससे गड़बड़ी बन्द हो।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी प्रतिनिधित्व करने का विचार है वह किस उद्देश्य से विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जिसमें गड़बड़ी कम हो।

*२५—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*२६—२७—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[१० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

रामपुर राजकीय खुरशीद गर्ल्स कालेज में इण्टरमीजियेट कक्षायें खोलना

*२८—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार आगामी वर्ष से रामपुर के राजकीय खुरशीद गर्ल्स कालेज में इण्टरमीजियेट कक्षायें खोलने का है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

वेलवली भोजीपुर, जिला आजमगढ़ के श्री दुखी द्वारा कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*२९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम वेलवली भोजीपुर, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ का कोई इस्तगासा परगनाधीश, घोसी के पास इस आशय का आया है कि रामपुर पुलिस चौकी के कुछ सिपाहियों की सहायता से कुछ लोगों ने दिन दहाड़े शिकमी बोये हुये खेत को कटवा लिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ग्राम वेलवली भोजीपुर के निवासी श्री दुक्खी ने आई० पी० सी० की धारा ३७८–१०९ के अन्तर्गत एक शिकायत की कि उनके शिकमी बोये हुये खेत को वहां के निवासी श्री बालगोविन्द सिंह तथा तीन अन्य व्यक्तियों ने रामपुर चौकी के दो सिपाहियों की सहायता से कटवा लिया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वेलवली भोजीपुर का दुक्खी क्या पहले मधुवन थाने में रिपोर्ट लिखाने गया और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तब फिर उसने इस्तगासा दाखिल किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रिपोर्ट की बाबत तो मैं नहीं कह सकता, मगर यह बाकया है कि, जो बालगोविन्द सिंह हैं उनके फेवर में मुकदमा १४५ का फैसल हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे दुक्खी से अन्देशा है क्योंकि पहले लोग मजम्मत करते हैं। उन्होंने सुपरिंटेंडेंट पुलिस के यहां दरख्वास्त दी कि उन्हें कांस्टेबिल दिये जायं। बालगोविन्द सिंह से पैसा लिया गया और पुलिस कांस्टेबिल भेजे गये। ऐसी हालत में अगर थाने में गये हों तो मुमकिन है कि रिपोर्ट न लिखी गई हो।

*३०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अहिरौला, जिला आजमगढ़ थाने के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उनके तथा पुलिस सुपरिण्टेंडेंट, आजमगढ़ के पास जनता की ओर से आवेदन-पत्र आये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चार आवेदन-पत्र आये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से आवेदन-पत्र थे और किन-किन के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक तो दाऊदपुर के ६ भरों की तरफ से थी। उसमें यह था कि कोई विधवा है श्रीमती धिराजी। यह कहा गया है कि जलालपुर या मतौली के ठाकुरों ने उनकी जमीन छीन ली। दूसरे भरों की तरफ से भी दरख्वास्त थी कि रघुनाथ वगैरह ने उनकी फसल काट ली और पुलिस ने रिश्वत मांगी। दूसरी दरख्वास्त थी अलगू अहीर और अतिबल अहीर की कि कुछ कांस्टेबिलों ने उनको पीटा। तीसरी दरख्वास्त थी जातराम हरिजन की तरफ से कि हीरा पांडे के लड़के बिरजू ने उसे मारा और सोशलिस्ट पार्टी का झंडा छीन लिया। चौथी दरख्वास्त थी कि राजबहादुर सिंह कांस्टेबुल ने भैरुपुर गांव के कुछ हरिजनों को पीटा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास १०-११-५२ को सदानन्द चौबे की दरख्वास्त नहीं आई थी कि नायब थानेदार ने उनको मारा और घसीटा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हो सकता है। मैं इसकी जांच करा सकता हूं। इस समय तो मैं इन्हीं चारों के बारे में कह सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दरख्वास्तों की जांच किसके द्वारा कराई गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो पुलिस की मशीनरी है, सर्किल इंस्पेक्टर वगैरह, उन लोगों ने की होगी जैसे कि हमेशा जांच होती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि निरीक्षक अधिकारियों ने मौके पर न जाकर और गवाहों की गवाही न लेकर, थाने से ही यह रिपोर्ट दे दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरे पास तो इस बात के मानने का कोई कारण है नहीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से पुनः जांच की प्रार्थना इन दरख्वास्तों के सम्बन्ध में स्वीकार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह जनरल बात तो हो नहीं सकती है, लेकिन किसी खास दरख्वास्त के बाबत माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो कि रिपोर्ट गलत है, तो जरूर जांच कराई जा सकती है।

*३१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि हां, तो उन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनकी जांच कराई गई, परन्तु आरोप सिद्ध न हो सके।

[अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन के बाद गांव सभाओं को दी हुई जायदाद की निश्चित सूचना

*१—श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन हो जाने के बाद जो जायदाद सरकार के कब्जे में आई है उनमें से जो जायदाद गांव सभाओं को दी गई हैं उसकी निश्चित सूचना गांव सभाओं को दे दी गई है?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप जो जायदादें राज्य में निहित हुई हैं उनके गांव सभाओं को देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ के अन्तर्गत ऐसी जायदादों को गांव समाजों में निहित करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। यह आदेश सरकारी विज्ञप्ति द्वारा गजट में प्रकाशित होते हैं। इनकी सूचना अलग से गांव समाजों अथवा उनकी भूमि प्रबन्धक समितियों को नहीं भेजी जाती। विज्ञप्तियों की प्रतियां जिलाधीशों को प्रेषित की जाती हैं।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकारी आदेश और विज्ञप्तियां गांव सभाओं को अलग से नहीं भेजी जातीं तो सरकारी आदेश का ज्ञान इनको कैसे होता है?

श्री चरणसिंह—पंचायती राज पत्रिका में जो उनके लिये जानना जरूरी होता है सब प्रकाशित होता है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी आदेश से अनभिज्ञ रहने के कारण सरकारी आदेशों का पालन गांव समाज में नहीं हो रहा है?

श्री चरणसिंह—बात यह है कि जहां तक प्रकाशित साहित्य के जरिये, लिखे हुए साहित्य के जरिये गांव तक बात पहुंचने की बात है वह तो पंचायत राज पत्रिका के जरिये पहुंचती ही है, लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि गांव वाले बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रह जाते हैं यह सही है। उसका कारण यह है कि गांव सभा के प्रधान या पंचायत राज सेक्रेटरी अगर कहीं पढ़ कर सुना नहीं पाते हैं तो गांव वाले अनभिज्ञ रह जाते हैं। जहां तक गांव समाज भूमि का अच्छे प्रकार से प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है तो गवर्नमेंट को सभी बातें मालूम हैं और इस सिलसिले में डिवीजनल हेडक्वार्टर में कुछ अधिकारियों और गांव सभा की भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रेसीडेंट वगैरह और जो नानआफिशियल पब्लिक वर्कर्स वगैरह हैं उन सब को मिला कर एक कांफ्रेंस करने का विचार है ताकि लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो जाय। अगर मुमकिन हो सका तो मई में ऐसी ९ कांफ्रेंसेज सारे सूबे में की जायेंगी।

तारांकित प्रश्न

* * * *

बलिया जेल में कम्युनिस्ट बन्दियों को उच्च श्रेणी में रखने का आश्वासन

*३—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने कम्युनिस्ट बन्दियों ने बलिया जेल में, अभी हाल में, उच्च श्रेणी में रक्खे जाने के लिये भूख हड़ताल की थी?

नोट—उपरोक्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री राजाराम शर्मा ने और तारांकित प्रश्न ३–५ श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विगत जून में बलिया जिला जेल में १३ हवालाती कैदियों ने उच्च श्रेणी में रखे जाने के लिए भूख हड़ताल की थी।

*४--श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिलाधीश के किस आश्वासन पर उन बन्दियों ने अनशन बन्द किया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिलाधीश ने इन हवालातियों को भूख हड़ताल तोड़ने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया था।

*५--श्री झारखण्डे राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि उन बन्दियों के प्रति वे आश्वासन अभी तक भी पूरे नहीं किये गये? अगर हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से हवालाती कैदी हैं जिन्होंने उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए हड़ताल की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जग्गू भर, सच्चिदानन्द तिवारी, रामसागर, मुन्नीलाल, रामनारायण गुप्त, सरजू पाण्डेय, धर्मदेव लाल, रामवचन प्रसाद, शिवलोचन, वीरबल नोनिया, रूपचन्द, खरपट्ट राम, कंगलू नोनिया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह हवालाती कैदी किस दफा में गिरफ्तार किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त मुझे ठीक सूचना तो नहीं है। लेकिन जहां तक मालूम है छितर कांड, जिसमें डकैती और मरडर का खास मुकदमा था उसी में गिरफ्तार किये गये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए जिलाधीश जेल में गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। जरूर गये थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय गृह मंत्री को ज्ञात है कि यह जो हवालाती कैदी हैं उनको अब सजा हो चुकी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, उनमें से कुछ लोगों को, मुकदमा फैसला हो गया. कुछ लोगों को सजा भी हुई है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन हड़ताली कैदियों में से किन लोगों की सामाजिक अवस्था ऐसी है जिनको उच्च श्रेणी दी जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनमें से दो आदमी, सरजू पाण्डेय और धर्मदेव लाल को उच्च श्रेणी उसी वक्त दे दी गयी।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि किन जुर्मों में यह लोग सजा काट रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस वक्त तो हवालाती थे। लेकिन जिनको सजा हुई है वह कत्ल और डकैती में सजा हुई है।

सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी ने भेजा है जो सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीटचूट, कानपुर के विद्यार्थियों के संबंध में है।

मैं, इसे सार्वजनिक महत्व की दृष्टि से न इतने महत्व का समझता हूं और न अर्जेंट समझता हूं कि इसकी इजाजत दूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ्स (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० दिसम्बर, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ जनवरी, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २६ फरवरी, १९५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये समय-विभाजन

श्री अध्यक्ष—वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में अनुदानों के लिए प्रस्ताव। इसके सम्बन्ध में समय के लिए सुझाव चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल चार घंटे बीस मिनट हैं। तो मेरा सुझाव है कि आज माननीय राजस्व मंत्री के चारों अनुदान ले लिये जायं। अनुदान संख्या २३ के लिए एक घंटा। अनुदान संख्या २५ के लिए एक घंटा। अनुदान संख्या ३६ के लिए एक घंटा बीस मिनट और अनुदान संख्या ४५ के लिए एक घंटा।

श्री अध्यक्ष—४५ के लिये बाकी समय ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—इस पर कोई सुझाव है ? (किसी के न खड़े होने पर) नहीं। तो यही स्वीकृत रहा। चूंकि १ घंटा २० मिनट से अधिक समय किसी अनुदान पर नहीं है। कटौती के प्रस्ताव में मैं समझता हूं कि १० मिनट और बाकी लोगों के लिये ५ मिनट समय रहेगा।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जी वैसे तो आप फरमा ही चुके हैं कि जो हमारे माननीय मित्र चाहेंगे मेरे खयाल में वही बात मानी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अगर उनकी कोई मांग अनरिजनेबिल नहीं है तो स्वीकार की जायगी, लेकिन अगर बहुत अनरिजनेबिल होगी तो स्वीकार नहीं की जायगी।

श्री चरणसिंह—मेरा सुझाव यह है कि जो आइटम नम्बर ७ है अनुदान संख्या ४५, जिसके लिये अगर मैंने सही सुना है वे १ घंटा चाहते हैं उसमें कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है, इसलिये उसमें १५ मिनट रखें और चाहे किसी में बढ़ा लें।

श्री अध्यक्ष—कौन सा अनुदान ?

श्री चरण सिंह—अनुदान संख्या ४५।

श्री अध्यक्ष—४५ के लिये आप १५ मिनट चाहते हैं?

श्री चरणसिंह—मेरा सुझाव यह है कि उसके लिये १५ मिनट काफी हैं। उसमें पालिसी की बात नहीं है। बाकी जिसमें उनकी मर्जी हो समय बढ़ा दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इसमें आधा घंटा कम कर दिया जाय और पशु-चिकित्सा पर आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यानी उसमें डेढ़ घंटा कर दिया जाय?

श्री जगन्नाथ मल्ल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—पहले में १ घंटा, दूसरे में डेढ़ घंटा, तीसरे में १ घंटा २० मिनट और बाकी समय अनुदान संख्या ४५ पर। यह निश्चित हुआ।

वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि, कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत १,५६,३३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के अन्दर कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन, जैसा कि मैं अभी पढ़ चुका हूं, दोनों के खर्चे शामिल हैं। कृषि इंजीनियरिंग में अब तक ट्रैक्टर्स के जरिये जो जमीन रिक्लेम की जाती है उन ट्रैक्टर्स का खर्चा आदि शामिल है और कांस के उखाड़ने का काम जो बुंदेलखंड की कमिश्नरी में चल रहा है वह शामिल है, बन्धी जो बुंदेलखंड में अधिकतर बनाई गयी हैं उसका खर्चा भी अब तक इसमें शामिल होता था, लेकिन अब वह इरिगेशन के मुहकमा या प्लानिंग के मुहकमा में दिखाया गया है। ड्रेनेज भी कृषि इंजीनियरिंग की ही मद थी लेकिन वह भी नियोजन विभाग में आगे से शामिल रहेगी। इस कृषि इंजीनियरिंग में मैसोनरी वेल्स या प्राइवेट या कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स अर्थात् जो राजकीय ट्यूबवेल्स हैं, नहर आदि हैं, इनके अतिरिक्त जो सिंचाई के साधन थे वे सब कृषि इंजीनियरिंग के अन्तर्गत आते थे। कृषि इंजीनियरिंग का जहां तक सिंचाई के साधनों से वास्ता रहा है, इरादा यह है कि वह नहर विभाग को दे दिया जाय, लेकिन किन्हीं कठिनाइयों की वजह से अभी पूर्णतया ऐसा हो नहीं सका है और उसका बजट अलहदा है। वैसे कृषि इंजीनियरिंग का जो यह सेक्शन था उसके डिपार्टमेंटल हेड इरिगेशन डिपार्टमेंट के एडीशनल चीफ इंजीनियर बना दिये गये हैं। सिंचाई के साधन जो गवर्नमेंट की तरफ से थे वे अब तक इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। प्राइवेट तरीके से जो लोग इन साधनों को इकट्ठा करना चाहते थे और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद दी जाती थी वह एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सेक्शन या मुहकमा की ओर से दी जाती रही है। तो जहां तक उपनिवेशन विभाग का सम्बन्ध है, उपनिवेशन विभाग में बहुत काफी काम हुआ है, हस्तिनापुर में, काशीपुर में और किच्छा के इलाके में बहुत सी जमीन तोड़ी जा चुकी है, बहुत से मकान बन चुके हैं। हजारों खानदानों का वहां पुनर्वासन हो चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, ट्यूबवेल बन चुके हैं, बिजली लग चुकी है और जहां किसी जमाने में बेहड़ जंगल

[श्री चरण सिंह]

था वहां आज अगर कोई माननीय सदस्य जाने का कष्ट करें या जो वहां हो आये हैं, वह मैं समझता हूं कि मुझ से सहमत होंगे कि वह अब एक रमणीक स्थान हो चला है। वहां पर पहले लोगों को मलेरिया बहुत होता था, लेकिन अब वहां मलेरिया जैसे सूबे के और हिस्सों में होता है, बल्कि मुमकिन है कि उससे भी कम हो गया हो, लेकिन अब वह कोई महामारी के रूप में या डरावनी चीज नहीं रह गयी है। मैं इस सबकी तफसील में जाकर के कि वहां अब तक क्या क्या हुआ, सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि आगे को वहां क्या करने का इरादा है वह मैं संक्षेप में बतलाऊंगा। जो लोग वहां आबाद हुये हैं और जिन्होंने जमीन ली है उनको मकान बनाने की बड़ी कठिनाई है। मकान न मिलने की वजह से, जहां कुछ और कारण हो सकते हैं, कुछ लोग बावजूद इच्छा रखते हुये भी वहां अपने गृहस्थी को नहीं ले जा सके हैं और पूर्णतया वहां के निवासी नहीं बन सके हैं, इसको दृष्टि में रख कर चार लाख रुपया रखा गया है सिर्फ इसलिये कि उनको मकान बना कर दिये जायं और वह रुपया उनसे वसूल किया जाय बाद में, यानी गवर्नमेंट की तरफ से मकान बना दिये जायं और वह रुपया उनसे बाद में वसूल किया जाय। इसी तरह से सड़कें अगर्चे काफी बन चुकी हैं, लेकिन और भी सड़कें बनाने की जरूरत है। करीब ६ लाख रुपया सड़कें, पुल और पुलिया बनाने के लिये भी इसमें रखा गया है। फिर नये इलाकों का सर्वे हो रहा है कि कितना रकबा तोड़ा जा सकता है। यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता लेकिन जब सर्वे हो जायगी तब हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इतना रकबा तोड़ा जा सकता है और उसके तोड़ने की कोशिश की जायगी। मनुनगर एरिया स्कीम मुकम्मल हो चुकी है और अफजलगढ़ की स्कीम जो कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से मंजूर हो करके आयी है वहां ज्यादातर भूतपूर्व सैनिक बसाये जायंगे। उस स्कीम पर काम शुरू हो गया है लेकिन इसी बीच में एक आपत्ति उठ गयी कि शायद वह जमीन मौजूं नहीं है खेती करने के लिये, खेती के मुआफिक नहीं है। कुछ थोड़ा सा काम उस सिलसिले में हो चुका है लेकिन इस सिलसिले में अब स्टडी की जा रही है और इन्टेन्सिव खोज की जा रही है कि यह जो आशंका की गयी है इसमें कहां तक वास्तविकता है, सच्चाई है। खैर यह तो अफजलगढ़ के मुताल्लिक रहा, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि, और जगह भी जहां जमीन खाली है उसकी ओर मैंने कल भी कुछ संकेत किया था कि उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे होने के बाद जब मालूम हो जायगा कि इतना इलाका काबिल तोड़ने के है तो वह तोड़ा जायगा। कांस इरैडिकेशन स्कीम जो कि बुन्देलखंड में चल रही है उसमें २० हजार एकड़ सन् १९५१-५२ के साल तक उखाड़ी जा चुकी थी।

चालीस हजार एकड़ पर ५२-५३ में काम हो रहा है। यानी मार्च के आखीर तक ४० हजार एकड़ में से कांस उखाड़ा जा चुकेगा। ४० हजार एकड़ ही हम ५३-५४ में रखना चाहते हैं। बुन्देलखंड के इलाके में कांस बड़ा भारी दुश्मन है खेती और किसान का। उसकी जड़ कई-कई फीट गहरी जमीन के अन्दर चली जाती है और मामूली खेती को वह दबा लेती है। इतनी तेजी से वह उगती है कि किसान जो मेहनत करता है, बीज डालता है, उससे जो कुछ थोड़ी बहुत फसल आती है उसे कांस दबा लेता है। किसान केवल अपनी ही कोशिश से, बिना किसी दूसरे की या राजकीय सहायता के, उस कांस को उखाड़ नहीं सकता है। इसलिये वहां सेंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन की ओर से १ या ३ यूनिट से मुझे ठीक मालूम नहीं है, काम कर रहे हैं। ७,००० एकड़ की कांस अब तक उखाड़ी जा चुकी होगी और ३१ मई तक, और ४०,००० एकड़ पर हम अगले साल काम करना चाहते हैं।

जहां तक मैसनरी वैल्स की बात है, अब तक इस साल ८,००० कुएं बनाये गये थे। ६,००० पूरब के ६ जिलों के अन्दर और २ हजार पूरब के सात जिलों के अन्दर।

इन ७ जिलों में २०० से २५० रुपये तक सब्सिडी के तौर पर दिया गया था और बाकी ६,००० कुओं में ४०० रुपये तक इमदाद दी गयी है। वे कुवें अब बन रहे हैं। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। कुवें को और कोआपरेटिव ट्यूबवेल की जो तारीख है वह बजाय फाइनेंशल ईयर के एग्रीकल्चरल ईयर से ली जाती है। लेकिन ३० जून तक वे ८००० कुवें मुकम्मल हो जावेंगे। अब तक इन कुवों के बनाने की जिम्मेदारी या उनमें इमदाद देने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टाफ की थी। लेकिन जिलों में जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टाफ है उसे अब जिलाधीश और नियोजन अधिकारी के अधीन कर दिया गया है लिहाजा चीफ इंजीनियर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या अब जो हो गया है एडीशनल चीफ इंजीनियर, इरीगेशन डिपार्टमेंट, उसकी यह जिम्मेदारी नहीं रही। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी अलग-अलग हो गई है। पहले बहुत दिक्कत थी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वह काम होने से देर में होता है। इसलिये मौके पर ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर मुकर्रर कर दिये गये हैं। जहां तक कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स का संबंध है ३०० कोआपरेटिव ट्यूबवेल पिछले साल रखे गये थे। लेकिन वे बन नहीं पायेंगे ३० जून तक और जो अब तक हमारी रिपोर्ट आई है उससे ऐसा मालूम होता है कि २०० ही ट्यूबवेल बन पाये हैं। तो अगले साल के लिये भी हम २०० ट्यूबवेल कोआपरेटिव के रखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को पहले ही से उसकी स्कीम मालूम है। लेकिन फिर भी यह जरूरी हो सकता है कि मैं उसे दोहराऊं १५,१०० रुपया एक ट्यूबवेल के लिये चाहिये। ६,७ हजार में ट्यूबवेल बनजाता है बोरिंग वगैरह और मशीन आजाती है और ९ हजार का क्रूड आयल इंजन आ जाता है। इस १५ हजार में से तकावी १० हजार गवर्नमेंट देती है और ५००० रुपया, कोआपरेटिव सोसायटी अगर किसान बना लें, १० किसानों से ज्यादा इकट्ठा हो जावें और रकबे के अनुपात से वे ५,००० रुपया इकट्ठा कर लें तो १०,००० रुपया उनको तकावी दी जायगी। जब कुआं मुकम्मल हो जायगा तो इस १० में से ५ हजार रुपया सब्सिडी में कनवर्ट हो जायगा और बाकी ५ हजार १० साल में ६ आने के ब्याज से वसूल होगा। यह बात ठीक है कि जो कुयें बिजली से चलते हैं उनके मुकाबिले में तेल से चलने वाले कुवें में खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये ट्यूबवेल ऐसी जगह लगाये जाते हैं जहां बिजली नहीं मिल सकती है। बजाय इसके कि बिजली के आने का इन्तजार किया जाय, जो सब जगह तो पहुंच भी नहीं सकती, और जहां पहुंचाना चाहते हैं उसमें भी टाइम लगता है। तो यह बेहतर है चाहे ज्यादा खर्चा हो क्योंकि उससे ट्यूबवेल्स चलाने से एक्सपेंसेज के बजाय आमदनी बहुत ज्यादा होगी। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सरकारी ट्यूबवेल्स जो इलैक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनका काश्तकारान को गवर्नमेंट को किराया देना पड़ता है। लेकिन यह तो सोसायटी के खुद के ट्यूबवेल्स हो जायेंगे और इनमें कोई किराया या चार्जेज नहीं देने पड़ेंगे या आबियाना नहीं देना पड़ेगा। इसमें अगर ज्यादा खर्चा भी होता है तब भी इसी को चलाना चाहिये क्योंकि इसका भविष्य अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस सिलसिले में ज्यादा दिलचस्पी लें। मैंने अर्ज किया कि इस साल २०० कुवें मुकम्मिल हो पायेंगे और कुछ कठिनाइयां भी हैं। एक तो यह थी कि पूर्वी जिलों के लिये जितनी तकावी रखी थी वह करीब-करीब सब लग गई। लिहाजा रुपये की कमी पड़ गई। इसलिये वक्त पर तकावी नहीं दे सके। अगर वक्त पर दे भी देते तो भी जिलों से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से वक्त पर मांग नहीं आई। कुछ जिलों ने मांग भेजी भी तो वह अपनी बिसात और जिले के हालात को निगाह में रखकर नहीं भेजी और मांग बहुत कुछ एक्जेजीरेटेड भेजीं। लिहाजा उनसे फिर पूछा गया और जिन्होंने भेजी भी हैं तो एक आध जिले की यह हालत है कि वहां ट्यूब वैल्स बन नहीं पाये हैं और वहां अभी एक एक्सपेरीमेंट बात ही है। यह निश्चित नहीं है कि वह ट्यूबवैल्स लगा भी सकते हैं या नहीं।

[श्री चरणसिंह]

हमने आगरे के लिये २० ट्यूबवेल्स रिजर्व किये थे लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट की कि वहां पर एक भी ट्यूबवेल वह लगा नहीं सके हैं । इसलिये इस बात की बहुत जरूरत है कि नान आफीशियल्स की मदद करें तब ही कोआपरेटिव सोसायटीज और ट्यूबवेल्स बन सकेंगे ।

गवर्नमेंट से कुआं के बनाने के लिये मदद मिलती जरूर है लेकिन तभी जब किसान भी रुपया इकट्ठा करे, तब कहीं यह हो सकता है कि उस रकबे में जहां न तो गवर्नमेंट की तरफ से और न किसानों की तरफ से ही कोई सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई हो सके । इस स्कीम में किसानों को ५ हजार रुपया इकट्ठा करना पड़ता है। गवर्नमेंट से ५ हजार रुपये का अनुदान मिलता है और ५ हजार रुपया कर्जे के मिल जाते हैं, जो दस साल में ६ आने की सूद के हिसाब से वसूल किये जाते हैं। इस साल जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया ३०० कुएं मुकम्मिल हो जायेंगे और २०० अगले साल के लिये रखे जायेंगे ।

इसी तरह से ८००० मैसनरी वैल्स इस साल ३० जून तक तैयार हो जायेंगे और आगे के लिये १०,००० के रखने की जरूरत है। यह न तो पूर्वी इलाकों के लिये हैं और न पश्चिमी इलाके के लिये हैं, जो भी बैरानी इलाके के हैं उनके लिये है। यह जो ८,००० मैसनरी वैल्स हमने पूर्व के लिये रखे हैं लेकिन आगे जो हम १०,००० मैसनरी वैल्स रख रहे हैं, तो जहां इनकी जरूरत होगी वहां के लिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कृषि-इंजीनियरिंग के सिलसिले में बताना भूल गया था कि हमारे यहां ट्रेंड परसोनल की बहुत कमी है । इसलिये हमने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये ताल कटोरा वर्कशाप में ट्रेनिंग का प्रबंध किया है। इसके अलावा एक स्कीम हमारी ट्रेनिंग की बरेली वर्कशाप में चल रही है। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां कुछ एफ० ए०ओ० के एक्सपर्ट्स आये हुये हैं और हमारी कृषि-इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मशिवरा दे रहे हैं । मसलन किस तरह से ट्रैक्टर्स वर्कशाप बनाये जायं, इसके लिये खासतौर से एक एक्सपर्ट है, उनके मशविरे से लाखों रुपया का फायदा हुआ है। एक एक्सपर्ट इसलिये है कि खेती के जो छोटे-छोटे इम्पलीमेंट्स हैं वह किस तरह से बनाये जायं, उनमें क्या सुधार किया जाय । इस तरह से विशेषज्ञ हमें अपना मशविरा दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं। अगर कोई आलोचना होगी तो उसका जवाब मैं तफसील के साथ दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समस्त अनुदान के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्रीमन्, सबसे पहले आश्चर्य की बात तो यह है कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग जो कि सिंचाई विभाग की शाखा मानी जाती है वह इस कृषि विभाग से संबंधित है। या तो सरकार कृषि विभाग को और सिंचाई विभाग को एक ही माननीय मंत्री के अधीन रखती क्योंकि कृषि इंजीनियरिंग में जब हम यह देखते हैं कि ट्यूबवेल वाला मामला भी इसमें है, बोरिंग वाला मामला भी इसमें है तो बड़ा आश्चर्य होता है। यह जो रिपोर्ट कृषि-इंजीनियरिंग की है इसमें साफ लिखा हुआ है 'कृषि-इंजीनियरिंग, शाखा सिंचाई विभाग' । तो मैं तो सुझाव यह दूंगा कि सरकार को कि स्टेट ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन जो है वह तो माननीय मंत्री जी के नियन्त्रण में रखा जाय और ट्यूबवेल्स और बोरिंग के संबंध में जो कृषि-इंजीनियरिंग का विभाग है वह सिंचाई विभाग में चला जाना चाहिये और बिलकुल स्पष्ट हो जाना चाहिये इस मामले में, ताकि सिंचाई का इन्तजाम हो सके और ट्रैक्टर्स का फ्लीट कृषि विभाग के अन्तर्गत हो सके।

दूसरी बात मुझे इस ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन के काम के बारे में कहनी है। सन् १९५१-५२ में टार्गेट ६ हजार का था लेकिन कुल साढ़े ४ हजार ही बन पाये। ट्यूबवेल्स २०० बनने थे जिनमें से कुल १३४ बन पाये, पक्के कुयें ९,००० बनने को थे लेकिन आधे भी नहीं बन पाये, कुल ४,३२० बने, पुराने कुओं की एक हजार की मरम्मत होने को थी लेकिन कुल ५७५ कुओं की मरम्मत हो पायी। तो इससे मालूम होता है कि जो माननीय मंत्री जी का दावा था वह अधूरा रहा। अगर कुछ माने में सफलता मिली है तो कुछ मानों में असफलता भी रही है और ट्रैक्टर्स के मामले में तो बिल्कुल ही असफलता रही। ट्रैक्टर्स के संबंध में खर्चा ९,६९,००० रुपया था, लेकिन आमदनी केवल ७,५०,०००रु० ही हुई। जो सारा स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन है उसका खर्चा १५ लाख रुपया है लेकिन उससे आमदनी केवल १,१७,००० रुपये ही हुई। जब कि सन् १९५१-५२ में ३,१९,००० रु० आमदनी थी। इस वर्ष केवल १,१७,००० रुपये ही स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन से रखी गयी है। तो इससे यह साबित होता है कि जैसा कि पहले माननीय शास्त्री जी ने कल बतलाया कि ट्रैक्टर्स काम नहीं कर पाते, वे बेकार खड़े रहते हैं, उनके पुर्जे वगैरह नहीं मिलते। तो यह बात सही है कि ट्रैक्टर्स संगठन से जितनी उम्मीद हमको थी वह पूरी नहीं हुई।

जहां तक कालोनाइजेशन का सवाल है, कई साल से हम इस बात को सुन रहे हैं कि कालोनाइजेशन की स्कीम तराई में, काशीपुर में, और-और जगह चल रही है लेकिन खर्च नहीं घटता। खासतौर से तराई में क्लेम किया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, अखबारों में बड़ी तारीफ की जाती है, लेकिन जब हम उसकी आमदनी देखते हैं तो पहले के मुकाबिले में कुल ५० फीसदी रह गयी। सन् १९५०-५१ में वह ८ लाख थी और १९५१-५२ में वह ३ लाख ५ हजार रह गयी। इसी तरह फार्म के एक ब्लाक की आमदनी ३ लाख २५ हजार से घट कर कुल ९७ हजार रह गयी और ३ लाख ५० हजार से घटकर ५५ हजार रह गयी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आमदनी ही नहीं घटी बल्कि कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया और जो भी एकड़ पैदावार थी वह भी कम हो गयी, जैसे धान के खेत में एक एकड़ पीछे १० मन औसत होती थी, अब घटकर ४ मन रह गयी। इसी तरह गेहूं, चने आदि की पैदावार भी घट गयी। तो इस तरह से तराई का जो स्टेट फार्म है वह खर्च के दृष्टिकोण से एक घाटे का बजट हमारे सामने पेश करता है अगर कहीं उसमें गन्ना न बोया जाता, हजारों एकड़ भूमि में आज गन्ना लगा हुआ है, जो नहीं लगना चाहिये था, तो इसमें और भी ज्यादा नुकसान होने की गुंजायश थी।

इसी प्रकार हेम पुर स्टेट फार्म है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस फार्म की पूरी भूमि भी नहीं जोती गयी। ४ हजार एकड़ भूमि हेमपुर फार्म में है, लेकिन उसमें से सिर्फ २,६०० एकड़ ही जोती गयी है। जब से फार्म्स बनाये गये हैं तब से काम भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा कोलोनाइजेशन के मकानों और इंतजाम के बारे में तो क्या कहा जाय। माननीय रावत जी स्वयं वहां जाते रहते हैं और अपना अधिकतर समय कोलोनाइजेशन के लिये ही देते हैं। वे जानते हैं कि वहां की क्या हालत है। वहां के अफसरों का रवैया ऐसा बेढंगा सा है, चाहे तो उसे असहयोग कहिये, इंतजाम की ढिलाई कहिये, बातों को न मानना कहिये या आपस की दलबंदी कहिये अथवा निजी फार्मों में दिलचस्पी कहिये। माननीय उपमंत्री जी ने बोक्सा और दूसरी जातियों को बसाने की योजना बनाई थी वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई। मकानों की हालत यह है कि पिछले साल ५-६ हजार रुपया लगाकर जो मकान बनाये गये थे उनमें बरसात किस कष्ट से गुजारनी पड़ी जिसको माननीय उपमंत्री जी स्वयं जानते हैं।

खेती के जोतने की हालत यह है कि पिछले साल जो घास तोड़ी गयी थी, बंजर जोता गया था उसमें घास फिर से उग आयी है और यह साबित हो गया है कि जरा सी लापरवाही से घास उग आती है। पिछले वर्ष मलेरिया में कुछ रुकावट हुई थी, लेकिन इस वर्ष मलेरिया से मृत्यु संख्या बढ़ गयी है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जहां तक घूसखोरी का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं केवल एक ही मिसाल देना चाहता हूं कि आप रुद्रपुर के पावर हाउस को देखें कि किस प्रकार उसमें सामान मंगाया गया है। अधिकांशतः प्रत्येक चीज के लिये उसमें चौगुनी कीमत दी गयी है। जो पार्ट्स आठ आने में आते हैं उनके लिये कहीं-कहीं ४-४ रुपया तक दिया गया है। आपके पास स्टैन्डर्ड रेट्स मौजूद हैं और पावर हाउस में जो सामान मंगाया गया है उसके रेट्स भी मौजूद हैं, उनको मिलाने से वस्तुस्थिति का पता आपको लग जायगा।

पिछले साल का उदाहरण यह है कि रुद्रपुर पावर हाउस का जो पावर प्लान्ट का एक डाइनमो है वह एक ट्रक में बरेली ले जाया गया और वह सैकड़ों बत्तियां तीन दिन तक एक व्यक्तिगत कार्य हेतु जलती रहीं और तीन दिन के बाद ट्रक में ही वह वापिस रुद्रपुर ले आया गया। इस प्रकार आंखों में धूल झोंककर काम किया जाता है। माननीय मंत्री जी इसकी कांफीडेंशल इंक्वायरी करा लें तो उनको मालूम हो जायगा कि करप्शन किस हद तक बढ़ा हुआ है।

गूलरबोझ में सीमल आदि के पेड़ों के काटने की मनाही थी, जो डिपार्टमेंट द्वारा ही कटवाये गये थे उन्हीं का क्लीयरेंस किया जाना था लेकिन वहां एक डिप्टी डायरेक्टर के कजिन या उनके मित्र द्वारा उनको ठेका दे दिया गया। हजारों मुकस्सिर फुट लकड़ी वहां नाजायज कटवा ली गई है, और अभी तक वहां नाजायज कटी-हजारों मुकस्सिर फुट लकड़ी पड़ी हुई है, माननीय उपमंत्री जी उसको जानते हैं क्योंकि ए० डी० यम० नैनीताल ने रंगे हाथों सामान को पकड़ा भी है। इस प्रकार की हालत कुछ कोलोनाइजेशन के अफसरों की है और अभी तक उनका मारेल सुधर नहीं पाया है, वहां पर जो अधिकांश कोलोनाइजेशन आफिसर्स हैं वे ईमानदार नहीं हैं। उसके आस पास में ही जो उनके दो एक फार्म्स हैं उनको भी छीन लिया जाना चाहिये। आमतौर पर सभी को यह शिकायत रहती है, क्या शरणार्थी और क्या राजनैतिक पीड़ित सभी को यह शिकायत है कि जिनके वहां फार्म्स हैं वे अपने फार्मों में कभी-कभी सरकारी चीजों का प्रयोग करते हैं और सरकारी नौकरों को अपने फार्म के काम में इस्तेमाल करते हैं। मुझे आशा है कि माननीय उपमंत्री जो जो अपना समय कोलोनाइजेशन के लिये दे रहे हैं वे इस एरिया के सब से बड़े फार्म की हालत को सुधारने और गन्ने की पैदावार के स्थान पर अनाज की पैदावार कराने का प्रयत्न करेंगे। जो भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती हैं उनमें से कुछ गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बातें ऐसी हैं जो अगर निष्पक्ष इंक्वायरी करायी जाय तो सही साबित हो सकती हैं।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि अनुदान के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। जो कुछ कि हमारे कृषि मंत्री महोदय ने बतलाया है, उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस विभाग में काफी उन्नति हुई है। हमें तो कृषि मंत्री महोदय का अत्यन्त आभारी होना है कि उन्होंने विभागीय कार्य को इतनी सफलता से सम्पन्न किया है। वे स्वयं एक किसान परिवार में और किसान वातावरण में पले हुये हैं और सदन को इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि कृषि-विभाग के कार्य में इतनी प्रगति हुई है। हमें तो यह अवसर पहले पहल देखने को मिला कि हमारे यहां इस विभाग के मंत्री इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी रखते हों। कृषि के संबंध में अवश्य हमारे यहां बहुत सी शिकायतें थीं और किसानों का दृष्टिकोण यहां नहीं पहुंच पाता था और यही कारण है कि पिछले वर्ष में कई करोड़ खर्च करने के बाद भी 'ग्रो मोर फूड कम्पेन' के जरिये मुझे कोई विशेष सफलता नजर नहीं आयी, लेकिन आज का समय बिलकुल बदला हुआ है। हम यह नहीं कह सकते कि जितना कि हम चाहते थे उतनी उन्नति हमारे यहां हुई है और जितना हमने रुपया खर्च किया उसके अनुसार

कृषि के मसले को काफी हल कर पाये हैं, लेकिन यह तो जरूर है कि हम इस प्रबंध में बहुत आगे बढ़े हैं और हमारे यहां की खाद्य स्थिति बहुत कुछ संतोषजनक हो चुकी है। और अगर ऐसी हालत रही तो इसमें संदेह नहीं कि कुछ दिनों के बाद हम इस मसले को पूरी तौर पर हल कर पायेंगे।

इस संबंध में मैं दो तीन बातें और निवेदन कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि विभाग के अन्दर काफी रुपया कृषि की खोज में खर्च किया जा रहा है लेकिन जो कुछ उसका नतीजा होता है वह आम किसानों के लिये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मुझे यह ज्ञात है कि सरकार की तरफ से काफी प्रयास इसलिये हो रहा है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक यह ज्ञान जो कि हम अनुसंधानशालाओं में प्राप्त करते हैं हर किसान के लिये गांवों में उपलब्ध नहीं होगा तब तक उसको कोई बड़ी कीमत नहीं होगी। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि आज का किसान १० वर्ष पहले के किसान से बहुत ही भिन्न है। आज किसान अपने फायदे के लिये बहुत उत्सुक हैं और प्रयत्नशील भी हैं। ऐसे समय में अगर हम उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और उस तक पहुंचने के लिये या इस बात को उसके पास पहुंचाने के लिये हम कामयाब हो सकें तो इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि हमारे देश का कायापलट हो जायगा।

इस विभाग पर जितना काफी रुपया खर्च हो रहा है उसका अधिकांश हमारे अधिकारियों की तनख्वाहों पर खर्च होता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ और अधिक रुपया लोन और ग्रांट में खर्च होना चाहिये। हमारे यहां कृषि एक बहुत ही उन्नतिशील व्यवसाय है और उस पर लाखों-करोड़ों किसान निर्भर करते हैं। आज जो कुछ अच्छी हालत दिखलाई पड़ती है उसका विशेष कारण यह है कि हमारे यहां किसानों को उपज की कीमत अच्छी रही है। हमारी सरकार को सजग रहना है और इस बात की तरफ हमेशा ध्यान देना है की कीमत का स्तर नीचे न जाने पाये। इससे किसानों की हालत बहुत बेहतर हो जायगी। अगर खेती की उपज की कीमत का स्तर ठीक रहा तो थोड़ी सी सहायता से हम किसानों की खेती के मसले को पूरा कर पायेंगे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सब्सिडी के तौर पर या मुफ्त में, या आधी कीमत में खाद को मुहय्या करने में, पम्पिंग सेट्स को मुहय्या करने में हमें प्रयत्नशील होना चाहिये जिससे वे उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सकें। हमें इस बात से संतोष है कि हमारे पश्चिमी जिलों की तरफ मेसनरी वेल्स का काफी प्रबन्ध किया गया लेकिन मैं यह चाहूंगा कि बहुत से किसान जो स्वयं उनको बनाना चाहते हैं उनको मेटिरियल न मिलने से उनका काम नहीं हो सका। हमारे विरोधी पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि हमने जो टार्गेट रक्खा था उस को पूरा नहीं किया। यह बात बहुत अंश में सही है। कारण यह था कि पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने जो सबसिडी दी उसमें एक तिहाई गवर्नमेंट का हिस्सा होता था और दो तिहाई काश्तकार को लगाना पड़ता था। किसान ग़रीब होने के कारण गवर्नमेंट को सबसिडी का फायदा नहीं उठा पाता था। लेकिन इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि देहातों की जिस प्रकार से हालत सुधर रही है उसके देखने से मालूम होता है कि जो रुपया खर्च किया गया है वह सफलीभूत हुआ है और सरकार जो खाद, बीज और पानी देती है, उसके जरिये से खेती में और उन्नति हो सकेगी। मैं इन्हीं दो तीन बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और आशा करता हूं कि अगले साल में काफी उन्नति हम इस विभाग में पायेंगे।

श्री पहलवान सिंह चौधरी (जिला बांदा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी सेवा में यह निवेदन करना है कि ट्रैक्टरों के जरिये से जो खेती की गयी, उसमें उन्नति क्यों नहीं हुई, उसका कारण मैं आप के जरिये माननीय मंत्री को बतलाना चाहता हूं। ट्रैक्टरों के जरिये से हमारी सरकार खेती करने की स्कीम पास तो कर देती है तो उसमें अमलन दिक्कतें सामने आती हैं। कभी तेल नहीं मिलता और कभी टायरों का प्रबंध करना पड़ता है, उसके लिये हर

[श्री पहलवान सिंह चौधरी]

काश्तकार को लखनऊ या कानपुर दौड़ना पड़ता है। ट्रैक्टर में ये पुर्जे तो होते हैं जैसे हेरो जो घास काटता है, कल्टीवेटर जो जोतता है और प्लाऊ जो परती तोड़ता है लेकिन बोने के लिये कोई मशीन नहीं होती। जब बुवाई हलों के जरिये से की जाती है तो हल उतनी गहराई तक नहीं जाता और बीज ऊपर ही रह जाता है और बिना पानी के वह बीज सूख जाता है और इस तरह से घर का भी बीज चला जाता है। ट्रैक्टर कम्पनी वाले लखनऊ या कानपुर जैसे बड़े शहरों में बैठते हैं और हम लोगों को बुरी तरह से लूटते हैं। एक एक ट्रैक्टर के वह १५,१६ हजार रुपये ले लेते हैं। उसकी कोई गारन्टी नहीं देते। तीन महीने की गारन्टी देते हैं। हम मशीन जब घर ले जाते हैं और खराब हो जाती है और दुबारा आते हैं तो कहा जाता है कि ओवरहालिंग कराइये, मशीन हमारे यहां भेजिये। पुर्जे लेने के लिये आते हैं तो नहीं दिये जाते। इसके अलावा जब तक बुवाई की मशीन नहीं मिलेगी तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। यही कारण है कि लाखों मन किसानों का बीज खेतों में पड़ कर सूख जाता है, सड़ जाता है और ट्रैक्टरों के जरिये से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। मजदूरों की कमी होने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम ट्रैक्टरों के जरिये से खेती कर लें तो वह ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। पानी भर जाता है तो कांस जमी रह जाती है और कांस अगर जोर बांध गई तो उससे नुक़सान होता है। सरकार जब हर बात पर कंट्रोल किये हुये है तो इन कम्पनी वालों का भी कुछ प्रबंध करना चाहिये जो लाखों रुपया काश्तकारों से ४२० धोखाधड़ी कर के ले लेते हैं। इसके लिये सरकार प्रबंध करे, कोई उपाय करे ताकि हमारे पास जो मशीनें हैं उनका ठीक तरह से उपयोग हो सके। मुझे ज्यादा नहीं कहना है। जो कहना था वह मैंने आप के सामने अर्ज कर दिया।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, खेती बाड़ी के मसले पर जो बहस यहां कल भी और आज भी हुई उसे मैंने गौर से सुना। गवर्नमेंट की तरफ़ से जो कार्यवाहियां इस सिलसिले में हुई हैं और जो बहुत से पाम्फलेट्स इस सिलसिले में छपी है उसे हम सब ने पढ़ा और इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ इमकानी तरक्की खेती बारी के सिलसिले में की जा सकती थी की है लेकिन देखना यह है कि सब कुछ करने के बाद भी हम अब किस पोजीशन में हैं और इस सिलसिले में अब क्या करने की जरूरत है। प्लानिंग कमीशन ने भी इस सिलसिले में काफ़ी गौर किया है और उनका ख्याल है कि अगर्चे बहुत सा एरिया जेरेकाश्त आया है और उससे सूबे को नफा पहुंचा लेकिन फिर भी हमारी आबादी इस तेजी से बढ़ रही है कि वह उस काश्त की एरिया से कहीं ज्यादा है जो हम बढ़ा रहे हैं यह जाहिर है कि खेती बारी की तरक्की के लिये दो ही तरीक़े हैं। एक तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और दूसरा इंटेंसिव कल्टीवेशन। लेकिन अगर हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को लेते हैं तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी सवाल आयेगा और भी बहुत सी चीजों का सवाल आयेगा। इसलिये हम जो ज्यादातर डिपेंड कर सकते हैं वह इंटेंसिव कल्टीवेशन पर ही और मैंने प्लानिंग कमीशन की जहां तक रिपोर्ट पढ़ी है उसमें उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन ही ऐसी चीज है जिससे काश्त बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह सही है कि हम कुछ तकावी बढ़ा दें या इरीगेशन के तरीकों को जैसे ट्यूबवेल्स हैं या चैनेल्स हैं या जितने और आबपाशी के जराये हैं उनको बेहतर कर सकें तो इससे हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कुछ न कुछ असर पड़ सकता है लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इसकी तरफ हमें बुनियादी तौर से जाने की जरूरत है। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया है वह जमींदारी अबालिशन का है और उसके बाद दूसरा काम जो इस सिलसिले में उसने किया है वह कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज का है और उसके लिये एक बिल हमारे सामने से पास हो गया है और शायद वह बहुत जल्द ही ऐक्ट बन कर सूबे में लागू हो जायगा। लेकिन इन दोनों के बाद एक चीज और है जिससे खेती बारी में तरक्की हो सकती है और जिसकी तरफ़ गवर्नमेंट की तवज्जह की जरूरत मालूम होती है और वह है क्राप प्लानिंग की। इसके मुताल्लिक़ दो रायें नहीं हो सकतीं कि क्राप प्लानिंग से हम एक ऐसी मंजिल पर पहुंच सकते हैं जिससे हमारी जो डेफिशियेंसीज इस सिलसिले में हैं वह दूर हो जाये और हम सेल्फ सफीशियेंट हो जायं। मुझे अफ़सोस है कि वक्त

काफी है कि बहुत तफसील के साथ इस मसले पर बहस की जाय लेकिन मैं समझता हूं कि हर मेम्बर इससे वाकिफ है कि क्राप प्लानिंग ऐसी चीज है जो हमें क्लासलेस सोसाइटी की तरफ ले जाती है और हमको इस बात के लिये आमादा करता है कि हम इंटेंसिव कल्टीवेशन में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। यह जाहिर है कि क्राप प्लानिंग करना आसान नहीं है। उसमें दिक्क़त जरूर होगी लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जिस वक्त जमींदारी अबालीशन करने को सोचा जा रहा था उस वक्त लोगों का ख्याल था कि जमींदारी अबालिशन इतना आसान नहीं है। लेकिन when there is a will there is a way (जहां चाह है वहां राह है।) आज जमींदारी अबालिशन हो गया। उसके बाद लोगों का ख्याल था कि कंसालिडेशन का काम आसान नहीं है जितना हर आदमी सोचता है। और इस सूबे के अन्दर ३८ से कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट स्टैट्यूट बुक पर चला आ रहा था लेकिन उसके मातहत इस सूबे में कोई काम अब तक नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो ऐक्ट पास किया गया था वह हालत अब नहीं रही। उसमें तब्दीली आने की वजह से गवर्नमेंट ने यह जरूरत महसूस की कि अजसरे नौ एक नया ऐक्ट लाये और उसके जरिये से कंसालिडेशन आफ़ होल्डिंग्ज करें और इसमें काफी तरक्की हुई है। इसी तरीके से इस वक्त इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट यह सोचे कि क्राप प्लानिंग कहां तक मुफीद हो सकता है। हो सकता है कि क्राप प्लानिंग करने के लिये हमें क़ानून बनाना पड़े और काश्तकारों को मजबूर करना पड़े कि वह उसके जरिये से क्राप प्लानिंग करें लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जह करनी चाहिये और अगर मुनासिब और मुमकिन हो तो इस सिलसिले में एक छोटी सी कमेटी बनाये जो एक्सपर्ट की राय हासिल करे और इन सब की राय लेने के बाद इस बात पर ग़ौर करे कि क्राप प्लानिंग किसानों के लिये मुफीद हो सकता है या नहीं। इन अल्फ़ाज के साथ मैं इस अनुदान के लिये जो इसमें रक़म मांगी गयी है उसको सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको मंजूर करेगा।

श्री भूपाल सिंह खाती (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। पिछले वर्षों में जो सरकार की ओर से योजनायें कोलोनाइजेशन या कृषि इंजीनियरिंग के लिये चलायी गयीं उनसे इस प्रदेश को काफी लाभ हुआ है। किन्तु मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जितना लाभ होना चाहिये था उतने रुपये जितना कि दिया गया उससे उतना लाभ नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी उतनी सरकार की मन्शा पर जो कि जनता के हित के लिये कार्य करना चाहती है, नहीं है जितनी कि उस योजना को चलाने वाले कार्यकर्ताओं की है। मैं तो यह समझता हूं कि आज भी पिछले ४,५ वर्षों के अनुभव से सरकार को अपने पूरे कार्यक्रम पर कुछ विचार करना चाहिये और जो खामी हो उसको दूर करना चाहिये जिस की वजह से जनता के पैसे का हम पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सके। मुझे तराई भावर, गंगा खादर और अफजलगढ़ की योजनाओं की बाबत बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन अल्मोड़ा जिले की दूनागिरी योजना के बारे में मुझे पूरी तरह जानकारी है। उसके विषय में यह कह सकता हूं कि जिस तरह से वहां पर कार्य किया गया और जिस तरह से वह योजना चलायी गयी और जितना धन उस पर खर्च किया गया और जो सफलता उस में मिली है उससे किसी भी सरकार को घमंड नहीं हो सकता, इसलिये यदि हम ग़रीब जनता के पैसे को व्यय करें और उससे पूरा लाभ न हो तो यह हमारे लिये या हमारे कर्मचारियों के लिये एक दुःख की बात होती है। इसके साथ ही साथ हम उन बड़े बड़े कार्यों को नहीं कर सकते हैं जिनको करने की आशा हम अपने देश में करते हैं और अपने देश की जनता का जिन कार्यों से हम ऊंचा स्तर करना चाहते हैं। मुझे एक दिक्क़त जो तराई कोलोनाइजेशन के बारे में मालूम पड़ती है मैं उस सम्बन्ध में सरकार के सामने अपना विनम्र सुझाव रखना चाहता हूं। आज तक कुछ ऐसा रहा कि कोलोनाइजेशन को तराई का कुछ हिस्सा दिया गया, कुछ तराई का हिस्सा खाम सुपरिंटेंडेंट के क़ब्जे में था और कुछ हिस्सा फारेस्ट डिपार्टमेंट के क़ब्जे में था। वह हिस्सा तीन तरफ अलग अलग विभागों के कब्जे में रहने का नतीजा यह होता है कि कोई योजना वहां पर ठीक तरह से नहीं चलती। इसका नतीजा यह हुआ कि इन पिछले पांच, छः वर्षों में जिस विभाग ने उसको जिस तरह

[श्री भूपाल सिंह खाती]

से चाहा उस तरह से उस जमीन का उपयोग किया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले ४ वर्षों के अन्दर उतना ज्यादा तरायी के जंगल को काटा गया जितना कभी नहीं काटा गया था और उस जमीन में कोई खेती नहीं हुई बल्कि लोगों ने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को बिगाड़ दिया। खैर के पेड़ों को काट कर उनसे कत्था निकाला गया और हजारों और लाखों रुपये का लाभ उठाया। जहां तक खेती का प्रश्न है वहां पर आज तक खेती नहीं हुई है। अगर यह योजनायें इसी प्रकार से चलती रहीं और इन पर फिर से विचार नहीं किया गया तो मैं निवेदन करता हूं कि एक ओर खेती की उपज नहीं बढ़ेगी और दूसरी ओर हमारे पास जो बहुमूल्य जंगल बचे हैं वह भी बरबाद हो जायेंगे। वहां पर तो यह होता है कि अलग अलग विभागों में संघर्ष चलता है। कोलोनाईजेशन विभाग की तरफ से कुछ लोगों को जमीन दी जाती है, खास सुपरिंटेंडेंट की तरफ से कुछ लोगों को जमीन दी जाती है और फारेस्ट की तरफ से कुछ लोगों को जमीन में लिये जाने की सिफारिश की जाती है। मैं तो यह चाहता हूं कि इस को खत्म कर के एक मात्र तरीका यह कर दिया जाय कि वहां पर सारी योजनाओं का एक विभाग के अन्दर कर दिया जाय चाहे वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट हो और चाहे फारेस्ट डिपार्टमेंट हो। ३ लाख ९० हजार रुपया नदियों से पानी पंपिंग करने की योजना के लिये रखा गया है। टनकपुर तथा अन्य इलाके हैं कि जहां लोगों को जमीनें दी गयी हैं लेकिन सिंचाई के लिये कोई इन्तजाम नहीं है मैंने वहां पर इस योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं देखा है अगर इस रुपये में से वहां पर पंपिंग करने की योजना चालू कर दी जाय और लोगों को कुछ सुविधा नदी से पानी पंपिंग करने की कर दी जाय तो लाखों रुपये का लाभ उस जमीन से हो सकता है। साथ ही एक चीज में और सरकार से अर्ज करना चाहता हूं और वह है कुमायूं के भूमिहीन लोगों के सिलसिले में। वह प्रश्न हमारे सामने है। जब तक हम कोलोनाइजेशन के द्वारा सही तरीके से इस प्रश्न को हल नहीं करते हैं तब तक हम उन लोगों में संतोष पैदा नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिये यत्न करना चाहिये। वहां पर जिन लोगों के पास जमीन नहीं हैं वे लोग जंगल काट रहे हैं। इसी कारण वर्षा की कमी हुई है और जमीन को जो पानी प्राप्त होता था वह उसको प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री फतेह सिंह राणा (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग का इंजीनियरिंग सेक्शन आबपाशी के महकमे से मिलाया गया है इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है पर औजारों के संबंध में इंजीनियरिंग का महकमा जो खेती के औजार बनाता है वह किसके मातहत होगा यह माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया और न इस संबंध में कोई सरकारी योजना ही मालूम होती है। खेती के उन्नतिशील औजार ऐसी चीज हैं जो खेती के लिये अति आवश्यक हैं लेकिन प्रदेश की सरकार का ध्यान इस ओर अब तक इतना नहीं गया जितना जाना आवश्यक था। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस खेती के इंजीनियरिंग के महकमे को एक अलग महकमा बनाया जाय और हर जिले में उस के लिये एक कोआपरेटिव वर्कशाप बनाई जाय और बाहर के विशेषज्ञों की सहायता से नये नये औजार तैयार कराये जायं। हमारे देश का काफी रुपया बाहर उन्नतिशील औजारों के लिये जाता है। उस को हमें रोकना है इस में कोई दो राय नहीं हो सकती। इसका तरीका यही हो सकता है कि हर जिले में एक एक वर्कशाप जो जिला सहकारी संघ खुले हैं उनकी सहायता से बनायी जाय और उनमें विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जाय।

अब मुझे कुछ कोआपरेटिव ट्यूववेल के संबंध में अर्ज करना है। कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स को महकमा आबपाशी के मातहत कर दिया गया है और जो स्टेट ट्यूबवेल बनाये जाते हैं उनके मुकाबले में इनकी ओर कम ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल बहुत कम पैसों में बन जाता है और स्टेट ट्यूबवेल उसी तरह का काफी रुपये से बनाया जाता है। हमारे जो पहले ४५० ट्यूबवेल्स बने थे और अब ९०० और बनेंगे वह फारेन (विदेशी) कम्पनी के द्वारा बनाये जाते हैं और उनको एनरजाइज (बिजली की शक्ति) भी किया जाता है ७२ हजार रुपये में तैयार किये जाते हैं जब कि स्टेट ट्यूबवेल ३६ हजार में बनते हैं और डीजल आयल से चलने वाले एन्जिन के हमारे स्टेट ट्यूबवेल ३९ हजार में बनते हैं और कोआप-

रेंटिव ट्यूबवेल केवल १५ हजार ही में बन जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन जरूर करूंगा कि सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये था कि स्टेट के ट्यूबवेल भी उतने ही कम रुपये में बनने चाहियें जितने कम में कि हमारे कोआपरेटिव के ट्यूबवेल बनते हैं और अब जो कोआपरेटिव ट्यूबवेल बनाये जाते हैं उन के लिये सरकार उचित बातों का प्रबंध नहीं करती है। ऐसे स्टेट ट्यूबवेल्स को जो बिजली दी जाती है उनकी लाइन का खर्चा बाद में वसूल किया जाता है लेकिन कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स से पहले ही उस लाईनिंग के खर्चे को मांगा जाता है। मैं समझता हूं कि यह स्टेट ट्यूबवेल्स के साथ रियायत है और कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स के साथ ज्यादती है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से लाईनिंग का खर्चा स्टेट ट्यूबवेल्स से बाद में लिया जाता है उसी तरह कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स से भी बाद में वसूल किया जाना चाहिये और जैसे सरकारी ट्यूबवेल्स इरिगेशन चार्जेज से वसूल किया जाता है उसी तरह से इन से वसूल किया जाय।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर जो बहस हो रही है उससे साफ मालूम होता है कि कृषि विभाग में सरकार का काफ़ी उन्नति करने का विचार है और वह कुछ हद तक उन्नति कर भी चुकी है। कहीं कोलोनाइजेशन की योजना चल रही है, कहीं ट्रैक्टर बनाये जा रहे हैं, कहीं नलकूपों की योजना है, कहीं बिजली द्वारा उन्नति करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सब योजनायें सरकार ने ले रखी हैं। बहुत कुछ उन्नति कर रही है। लेकिन बजट के देखने से मुझे दुख होता है कि जहां सरकार कृषि पर इतना खर्च कर रही है, वहां पहाड़ी इलाक़ों और खास कर टेहरी जिले के साथ सौतिया व्यवहार किया जा रहा है।

मैं मानता हूं कि पर्वतीय इलाकों में नहरों की प्राडक्टिव स्कीम कायम नहीं हो सकती है। बिजिनेस के तौर पर वहां नहरें नहीं बनायी जा सकती हैं। लेकिन छोटी छोटी गूलों के वास्ते सरकार जो ७५ हजार रुपये की रक़म देती थी वह इस साल उन्होंने खत्म कर दी है। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर सरकार वहां सिंचाई की कोई बड़ी योजना नहीं चला सकती तो इस रक़म को बन्द कर के सरकार ने बड़ा अनर्थ किया है। वहां पर बहुत से लोग पचास प्रतिशत सरकार से सहायता प्राप्त कर के अपनी गूलें बनाते थे इनसे थोड़ा बहुत सिंचाई का काम चल सकता था। सरकार का यह ग़लत ख्याल है कि पहाड़ों में नहरें नहीं बन सकतीं। मैं मानता हूं कि नहरें उस दृष्टि से तो नहीं बनायी जा सकती हैं जिससे वह नहरें अपना खर्चा खुद बरदाश्त कर सकें। लेकिन वहां पर बहुत ऐसे स्थान हैं जहां खेती बाड़ी होती है, वहां लोगों को सिंचाई के लिये, छोटी मोटी गूलें बनाने के लिये अगर सरकार उनको सहायता दे कर प्रोत्साहित करे तो कृषि में बहुत उन्नति हो सकती है।

जब कोई भी अनुदान आता है तो पहाड़ी जिलों के लिये कहा जाता है कि वहां यह स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन वहां पर कारखाने भी नहीं हैं। खेती ही मुख्य उद्योग है। अगर वहां पर सिंचाई के लिये सरकार की ओर से कुछ सहायता नहीं दी जाती है तो वहां कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है। वहां ट्रैक्टर नहीं चल सकते, मशीनें नहीं चल सकतीं, वहां पर छोटी छोटी गूलों से ही काम निकाला जा सकता है।

इसके साथ साथ दूसरी चीज यह है कि वहां जो भी खेती होती है उसको जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। पकी पकायी फसल नष्ट कर देते हैं। वहां पर जानवरों को मारने के लिये लाइसेंस भी अधिक संख्या में नहीं दिये जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी हैं वह यह देखते हैं कि इस गांव में दो बन्दूकें हैं। इसलिये अब इस गांव में लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। पर्वतों में कौन कौन से जंगली जानवर नुक़सान करते हैं। इसलिये यह नहीं देखना चाहिये कि दो बन्दूकें हैं। वहां पर फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिये ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दिये जाने चाहिये।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले साल भी मैंने कहा था कि गूजर लोगों के पशु ऐसे मौक़े पर आते हैं, जिस समय रबी की फ़सल पकी होती

[श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट]

है और उस समय जाते हैं जब कि खरीफ की फसल पकी होती है। उनके आने जाने से रास्ते की जो फसल होती है वह नष्ट हो जाती है। इससे कृषि की उन्नति नहीं होती है बल्कि कृषि की अवनति होती रहती है। जंगलात विभाग इस पर कोई परवाह नहीं करता है क्योंकि उन्हें अपने विभाग की आमदनी से संबंध रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह वन विभाग के मंत्री जी से मिल कर इसका कुछ इंतजाम करें।

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं वह बहुत ही गौरतलब हैं। यह सही है कि हमारे कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने जो टार्गेट तै किया था उसे पूरा नहीं कर सका। उस को पूरा न करने का कारण तो यह है कि गांव वालों यानी खेतिहरों को भी उस में कुछ सहयोग देना पड़ता है। वह सहयोग वह लोग दे नहीं पाते। लेकिन अब जब बराबर कोशिश की गयी है तो उन का ध्यान भी अब इस संबंध में इधर होने लगा है और वह हमारी इस चीज से फायदा भी उठाने लगे हैं। दूसरा कारण यह भी था कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी कुओं के बनवाने में या ट्यूबवेल बनवाने में, या मरम्मत करवाने में, उन वस्तुओं के पहुंचने में इस वर्ष कठिनाई हुई। जो कुछ अनुमान लगाया गया था वह इस ख्याल से लगाया गया था कि साधारण तौर पर जो रेलवे से वैगन मिल सकते हैं उनसे उन सब सामानों को हम पहुंचा देंगे, लेकिन माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस साल जो सूबे के कुछ हिस्सों में स्केयरसिटी कंडीशंस पैदा हुई उस की वजह से बजाय इसके कि हम उन वैगंस को कोयला, सीमेंट या और चीजों में इस्तेमाल करते, हमको गल्ला भेजने में उन वैगंस को इस्तेमाल करना पड़ा और यह तो आप मानेंगे ही कि गल्ला भेजना ज्यादा जरूरी था पहले इसके कि हम कोयला या सीमेंट भेजते। लेकिन साथ ही साथ यह कोशिश फिर भी जारी रहेगी कि हम जो टार्गेट मुकर्रर करें उसे पूरा करने की कोशिश करें। इस टार्गेट को पूरा करने के लिये माननीय सदस्यों की सहायता की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी हम तकावी देते हैं या सब्सीडी देते हैं तो जब तक उसका प्रबंध नहीं हो पाता उस कुएं का बनवाना या उसकी मरम्मत कराना कठिन हो जाता है। जहां तक ट्रैक्टरों का संबंध है ट्रैक्टरों का संगठन उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिये। लेकिन अब कई महीनों से जो इतना परिश्रम उस विभाग के लोग कर रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे यह आशा होती है कि यह दिक्कत शायद अगले साल न हो। ट्रैक्टरों के संबंध में एक कठिनाई यह भी है कि हमारे देश में ट्रैक्टर या दूसरी मशीनों के द्वारा खेती करने की आदत लोगों को नहीं रही। जब इसको शुरू किया गया है तो उसको सीखने में, उससे पूरा फायदा उठाने में कुछ समय लगेगा। मुझे उम्मीद है कि जो दिक्कत पिछले साल हुई वह इस साल नहीं रहेगी और जो इस साल थोड़ी रह जायगी वह आगे के सालों में नहीं रहेगी। क्योंकि अब तो विभाग के लोग जो इन पावर मशीनों और ट्रैक्टर वगैरः से काम करना सीखते हैं वह भी अपनी दिक्कतों को दूर करते जाते हैं और हमारे खेतिहर भी उससे फायदा उठाना सीखते जाते हैं।

माननीय राधामोहन सिंह और बलवन्त सिंह जी ने और दूसरे सदस्यों ने और श्री राणा जी ने जो सुझाव रखे हैं वह काफी लाभप्रद सुधार हैं और उन पर मैं विचार करूंगा और मैं यह माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि बजट की बहस के बाद ही वे चुप न हो जायं, बल्कि समय समय पर जो सुझाव उनके सामने आते जायं वह मुझे बताने की कृपा करें और जहां कहीं विभाग में गड़बड़ी देखें मुझे बताने की कृपा करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुछ वे बतायेंगे मैं उस पर अमल करूं और उनके सुझावों से कुछ फायदा उठाऊं।

एक बात मुझे कोलोनाइजेशन के संबंध में कहनी है। माननीय नारायण दत्त जी ने कोलोनाइजेशन विभाग का जिक्र किया। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि मैं भी कई मर्तबा वहां जाता रहा हूं। यह भी सही है। बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है पहली मर्तबा मैं उन्हीं के आग्रह से वहां गया था। लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात को देख कर कि जितनी सूचना उन्होंने मुझे दी थी वह उन्हें किन्हीं सज्जन ने करीब करीब गलत

बतलाई थीं। मैं उनकी सूचनाओं के आधार पर उनके साथ गया। बीसियों जगह लोग मुझे मिले। मैंने उन लोगों से बातचीत की, उनकी शिकायतें सुनीं। जब उन्होंने अपनी दिक्कतें बतलाईं और माननीय नारायण दत्त जी के जो एक लेफ्टिनेंट थे उनको लिखी हुई ५० दरख्वास्तें मेरे पास थीं तो मने देखा और कहा भी कि जो शिकायतें लोग बतला रहे हैं उनमें और जो दरख्वास्तें हैं उनमें बड़ा भेद है। दरख्वास्तों में जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं, वह तो, मैंने उन लोगों से कहा, आप की शिकायतों से मेल नहीं खाते। उन्होंने यह कहा कि हमने तो अपनी सीधी साधी बात बतला दी थी कि हमारी यह कठिनाई है, पर यह जितने शब्द लिख लिये गये हैं उनके लिये हम क्या करें? माननीय नारायण दत्त जी को मौजूदगी में यह उन्होंने कहा। मैं यह नहीं कहता कि नारायण दत्त जी ने उसमें जानबूझ करके कोई सूचना दी, लेकिन इतनी प्रार्थना मैं माननीय नारायण दत्त जी से आपके द्वारा अवश्य करूंगा कि जो सूचना उन्हें मिला करें उन पर यकायक विश्वास न कर लिया करें। थोड़ा लोगों से मिला करें और मुझे बताया करें तो मैं जांच करके उनको इत्मिनान दिलाने की कोशिश करूंगा।

कोलोनाइजेशन के सिलसिले में एक बात स्टेट फार्म्स के संबंध में कही गई कि उसमें घाटा निरन्तर होता चला जाता है। यह बात सत्य नहीं है। जिस वर्ष का उल्लेख किया गया मैंने आज से कुछ दिन पहले एक स्थानीय अंग्रेजी पत्र में भी ये समाचार पढ़े थे लेकिन उस में कुछ भ्रम था। १९५०-५१ में लगभग १३ हजार एकड़ जमीन स्टेट फार्म की काश्त में थी जिसमें हमें ८ लाख रुपया मुनाफा हुआ था लेकिन १९५१-५२ में वह जमीन १३ हजार एकड़ के बजाय साढ़े छः हजार या ७ हजार एकड़ ही काश्त में आयी। तो यह स्वाभाविक है कि जब कम जमीन पर काश्त होगी तो मुनाफा कम होगा और ज्यादातर काश्त होगी तो मुनाफा अधिक होगा। कम जमीन पर काश्त होने का कारण यह था कि जब शुरू में जमीन तोड़ी गयी तो बजाय इसके कि हम उसी वक्त सेटिलर्स को दे देते हमने सोचा कि पहले हम उसको जोतें और उस जमीन को पहले खुद काश्त के काबिल बना दें तब सेटिलर्स को धीरे धीरे बसाना शुरू करें। १३ हजार एकड़ को जो काश्त होती थी उसमें से साढ़े छः हजार एकड़ नये बसने वालों को दे दिया गया और स्टेट फार्म के पास जमीन कम हो गई। १९५२-५३ में और जमीन तोड़ करके साढ़े १२ हजार एकड़ के क़रीब फिर जमीन हमने हासिल कर ली और इस साल जो उनसे मुनाफा होने वाला है, माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि वह ८ लाख से भी शायद कुछ अधिक हो। दूसरी बात यह कही गयी कि धान, गेहूं, चना या और फसलों में कुछ कमी हुई है। १९५०-५१ और ५१-५२ की फसलों का जिक्र किया गया। १९५१-५२ का जहां तक सवाल है मेरा ख्याल है कि सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि ५२ में वर्षा कुछ कम हुई थी। धान पर, चना पर और गेहूं पर इस का काफी असर पड़ा और इसकी वजह से फसल में कमी हुई। लेकिन १९५०-५१ में जो फसल की हालत थी ५१-५२ में कुछ कमी हुई लेकिन ५२-५३ में आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस साल हालत कहीं अच्छी होगी। गन्ने का जिक्र किया गया। गन्ने में हमारी कमी नहीं हुई। पारसाल भी गन्ने की एकड़ पैदावार में कमी नहीं थी और इस साल भी नहीं है बल्कि तराई का स्टेट फार्म का गन्ना अगर देखा जाय तो शायद सूबे में बहुत कम जगह उतना ऊंचा और इतना अच्छा गन्ना मिलेगा।

कुछ और बातें माननीय तिवारी जी ने कहीं जिनका ताल्लुक वहां के अफसरों से है। मैं तो नहीं कहूंगा कि किसी अधिकारी के ऊपर आक्षेप करना कहां तक न्यायसंगत है, मुनासिब है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता। एक तो यह कि वहां के डिप्टी डाइरेक्टर ने अपने किसी रिश्तेदार को किसी चीज का ठेका दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बात कही गयी है यह सत्य से बहुत परे है. सत्य का इससे कोई भी संबंध नहीं है। किसी डिप्टी डाइरेक्टर ने अपने किसी रिश्तेदार को या अपने नाम पर फर्जी तरीके से कोई ठेका नहीं दिया है, इसकी मैंने जांच की है और यह मैं दावे से कह सकता हूं। जो यह कहा गया सेमल के या दूसरे दरख्त वगैरः के सिलसिले में, यह सही है कि जो दरख्त नहीं काटे जाने चाहियें थे वह ठेकेदारों ने काटे। उस पर जांच हुई और ठेकेदारों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई और इसके लिये जो भी जांच हो सकती थी वह हो रही है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि जिन डिप्टी डाइरेक्टर के मुताल्लिक शिकायत यहां पर

[श्री जगन प्रसाद रावत]

उन्होंने को उन्हों ने जा कर उस ठेकेदार को पकड़ा और उसकी जांच करके उस पर कार्यवाही भी की। तो यह तो ऐसी बात है कि जरा थोड़ी बहुत कोशिश करें पता लगाने को, तो सही बात मालूम हो सकती है। बोक्साओं की बात आयी। उनके सिलसिले में मैं आप को यह बतला दूं कि हमारी तरफ से कोई देर नहीं हो रही है कि हम बोक्साओं को बसाने में कुछ देर कर रहे हैं। जितनी जमीन उनके पास थी वह हम उनको दे रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि उनके पास जितनी जमीन थी, इसको वह नहीं बतलाते। हमने इसके लिये कागज भी छाप कर बांटे हैं। मैं माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि वह भी सहायता करें और जो सूचनायें हैं उनको इकट्ठा करने में मदद दें। जहां तक उनको जमीन देने की बात है हमने तय कर लिया है कि हमें इतनी जमीन देनी है और हमने स्थान भी तय कर लिया है। इसके साथ उनको हम जमीन ही नहीं देंगे बल्कि जो और सुविधायें हो सकती हैं वे भी दी जायेंगी। इस संबंध में और अधिक नहीं कहना चाहता और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे दुख है कि माननीय उप मंत्री जी ने पिछले साल की एक घटना का जिक्र किया, जिसका प्रसंग मैं खुद नहीं छेड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि माननीय उपमंत्री जी ने जिक्र कर दिया, इस सिलसिले में मेरा कर्त्तव्य है कि इस संबंध में मैं सफ़ाई कर दूं। पिछले साल इस सदन में मैंने ही कहा था कि तेरह गांवों से बोक्सा किसान को नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की असावधानी की वजह से, उनकी पिछड़ी हुई जाति होने की वजह से, डरने की वजह से और बहुत सी बातों की वजह से वहां से भाग गये व भगाये गये, और एक घर में आग भी लगा दी गयी। उसकी जांच करने के लिये माननीय उप मंत्री जी वहां गये। जहां तक यह सवाल है कि बोक्सों को जमीन छीनी गयी या नहीं, यह स्वयं माननीय उपमंत्री जी के इस कथन से स्पष्ट हो गया कि जमीन छीनी गयी कि जितनी जमीन बोक्सा लोगों के पास थी उससे ज्यादा जमीन वे उनको देने जा रहे हैं। इस प्रकार जो मैंने यह कहा था कि वे हटाये गये या भगाये गये यह तो माननीय मंत्री जी ने ही मान लिया, इसीलिये अब वे उनको बदले में ज्यादा जमीन दे रहे हैं। तो जो मेरा मुख्य आरोप था उसको माननीय उपमंत्री जी ने मान लिया। वे यह कहते हैं कि कुछ शब्द बढ़ा करके लिख दिये, वे चिट्ठी में नहीं थे। जहां तक लेफ्टिनेंट की बात है, मेरा कोई लेफ्टिनेंट नहीं था। सब साथी थे वहां माननीय मंत्री जी के लेफ्टिनेंट ही उपस्थित माने जा सकते हैं। बोक्सा प्रधान बल्ला ने यह कहा कि 'हम नहीं पिट रहे हैं, हमारे वोट पिट रहे हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि 'सरकार मुंह से बोलती है और दुम से कानून बनाती है'। माननीय मंत्री जी के सामने यह किसने कहा? क्या हमने? मेरी ही मौजूदगी में जो बात हुई वह मैं बतलाता हूं। जिन्होंने शिकायतें गलत बतलायीं उनका बोक्सों से कोई संबंध नहीं था, वे किच्छा तहसील के रहने वाले थे, बाजपुर तहसील के रहने वाले नहीं थे।

जहां तक डिप्टी डाइरेक्टर साहब के बारे में मैंने बात कही कि उन्होंने ठेका दिया या नहीं, मैं फिर माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे इसकी जांच करें कि क्या डिप्टी डाइरेक्टर साहब ने अपने कजिन श्री अवतार सिंह या उनके मित्र जगन्नाथ जी को कुछ टेंडर कैंसिल करके कटे पेड़ हटाने का ठेका दिया या नहीं।

श्री जगन प्रसाद रावत—यह गलत है, बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत बात कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—चूंकि उन्होंने इसका जिक्र कर दिया था, इसलिये मैंने भी इतना कह दिया।

इसके अलावा गूलरभोज में जहां तक डिफ़ारेस्टेशन का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जितने पेड़ वहां पर नाजायज कटे हैं, उनकी फेहरिस्त सदन के सामने रख दें

कि कितने सेंमल के पेड़ काटे गये, किस ठेकेदार ने काटे, वही ठेकेदार तो नहीं हैं जिनको डिप्टी डाइरेक्टर ने ठेका दिया, और दूसरे किन ठेकेदारों ने काटे, तो फिर मालूम होगा कि ठीक स्थिति क्या है। माननीय उपमंत्री जी का कहना यह है कि डिप्टी डाइरेक्टर साहब ने ही उनको नाजायज कटाने की रिपोर्ट दी। मैं माननीय मंत्री जी की सूचना के लिये यह बतलाऊं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब से कहा और होम सेक्रेटरी साहब ने ए० डी० एम० नैनीताल को फोन किया और ए० डी० एम० ने उस मामले को पकड़ा। अगर मैं ग़लत कहता हूं तो होम सेक्रेटरी साहब यहां पर हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, वे बतला दें। तो डिप्टी डाइरेक्टर साहब ने नहीं बल्कि माननीय मुख्य मंत्री जी के इंटरवेंशन से इंक्वायरी शुरू हुई।

इसके बाद जहां तक मेरे सुझाव का सवाल है, मैं इतना फिर दोहराना चाहूंगा कि अगले वर्ष कम से कम यह सिंचाई विभाग, ट्यूबवेल्स का मामला, और ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन का मामला अलग-अलग कर देना चाहिये और यह ट्यूववेल्स और बोरिंग का जो विभाग है इसको सिंचाई विभाग से मिला देना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक न ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन ठीक नहीं हो पायेगा और न टार्गेट्स ही पूरे होंगे।

तराई स्टेट के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि वहां आमदनी इसलिये नहीं बढ़ी चूंकि कम जमीन में काश्त हुई और कम जमीन में काश्त होने के कारण जो उन्होंने बतलाया वह बिलकुल ही सन्तोषजनक नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई सदस्य नहीं मान सकता कि पहले साल १३ हजार एकड़ जमीन की जुताई हुई और दूसरे साल साढ़े ६ हजार एकड़ की जुताई हुई लेकिन खर्चे में कोई कमी नहीं आयी। जितना खर्चा १३ हजार एकड़ की जुताई पर हुआ उतना ही खर्चा साढ़े छः हजार एकड़ की जुताई पर हुआ, यह एक गम्भीर चार्ज कालोनीइजेशन डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है। मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब माननीय मंत्री जी के पास नहीं है।

श्री जगनप्रसाद रावत---मैं कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि यह तो सदन के लोग जानते हैं जो कि तिवारी जी ने कहा कि पिछली मर्तबा सवालों के दौरान में और जो मुझे लिखा था उसमें भी, कि आग लगायी गई और जाने कितनी जालिमाना बातें हुईं मैंने उन्हीं का जिक्र किया और दूसरी बात जो अभी कही गयी यह समझ में नहीं आती कि पहले ज्यादा काश्त हुई और बाद में कम हुई। इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है कि उस जमीन को सेटलर्स को दे दिया गया है और यह कि खर्चा उतना ही हुआ, यह गलत है, माननीय तिवारी जी आंकड़े फिर देखने की कोशिश करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बजट में यही है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (लेखा शीर्षक ४०--कृषि) के अन्तर्गत १,५६,३३,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१--पशु चिकित्सा

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुदान का समय एक घंटे से डेढ़ घंटे बढ़ा दिया गया है। यदि आप उचित समझें तो वक्ताओं का समय ५ मिनट के बजाय ७ मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—७ मिनट का समय आप चाहते हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह—यदि आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—कोई हर्ज नहीं है। कटौती प्रस्ताव के लिये १० मिनट और अन्य भाषण के लिये ७ मिनट हो जायगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—पशु—चिकित्सा (लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा) के अन्तर्गत १,२६,१४,७०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मांग को पेश करने में अत्यन्त संतोष है और अत्यन्त प्रसन्नता है क्योंकि पशुपालन विभाग, ऐसा मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि मुझे मुगाल्ता हो या मैं गल्ती पर हूं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, जो हमारे बजट की स्थिति है, जितना संभव है उतना कर रहा है। पिछले साल की अपेक्षा अब के साल पौने बीस हजार की मांग ज्यादा है। पशु पालन का जो काम है वह तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो यह कि पशुओं की नस्ल का सुधार हो, दूसरे यह कि पशुओं के जो रोग हैं उनके निवारण का प्रबंध हो। तीसरे यह कि उनके चारे की किस्म सुधारी जाय। चारा अच्छा मिलने से शरीर और स्वास्थ्य अच्छा होगा और बैल अच्छा बोझा खींचेगा और गाय अच्छा दूध देगी। तो ३ टुकड़ों में पशुपालन का काम विभाजित किया जा सकता है। फाडर आदि के बारे में मैं यह तसलीम करता हूं कि इसमें अधिक काम नहीं हो पाया है। पहला कारण तो यह है कि हमारे यहां पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उनके लिये जितना चारा चाहिये उसके लिये हमारे पास जमीन नहीं है। साथ ही पापुलेशन के दबाव से जितनी जमीन हल के नीचे ज्यादा लाई जा रही है उतना ही चरागाहों का रकबा घटता जा रहा है। तो चरागाहों का घटना और पशुओं की अधिक संख्या, यें दोनों ऐसी बातें हैं जो पशुपालन विभाग के काबू के बाहर की हैं। फिर अलहदा-अलहदा घासों के प्रसार करने और किसान से उन्हें लगवाने में पशुपालन विभाग बहुत थोड़ा ही कर सकता है क्योंकि यह जलवायु पर बहुत कुछ निर्भर है। मसलन हरियाना के पशुओं की नस्ल दोनों दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, बोझ खींचने और दूध देने के लिहाज से वहां अंजाना नाम की घास होती है जो वहां के जानवर खाते हैं और अगर हम चाहें कि हम लखनऊ में भी ऐसी ही घास लगाकर अपने जानवरों को खिलावें तो वह हमारे यहां नहीं उग सकती।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

फिर भी इस तरह की घास कहां जमाई जा सके जिससे कि हमारी गाय और भैंसों में दूध ज्यादा बढ़ जाय। इसकी खोज हो रही है और कुछ थोड़ा सी कामयाबी भी कही जा सकती है लेकिन हम उसे अभी संतोषजनक नहीं कह सकते। लेकिन जो अभी तक दो और विभाग या कामों का हिस्सा रह जाता है, अर्थात् नसल का सुधार और रोगों के रोकने की कोशिश, उसमें जैसा मैंने पहले कहा, संतोषजनक ही नहीं, बहुत संतोषजनक कार्य हो रहा है। हमारे जानवरों में रिंडरपैस्ट, माता या चेचक और और भी रोग होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा रोग रिंडरपैस्ट होता है जिससे यदि वह महामारी के रूप में फैल जाय तो लाखों या करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है। पिछले वर्ष हमने चार जिलों में चार तहसीलों में हर पशु को टीका लगवाये, मसलन् मोहन लाल गंज या गोसाईंगंज लखनऊ तहसील में सुल्तान पुर की सड़क पर लगाये गये। प्रतापगढ़ रामपुर और मेरठ के जिलों में एक एक तहसील ली गई। ये चारों वे जगह हैं जहां कि हमारे पशुविभाग के चार सर्किल और हेडक्वार्टर हैं, ताकि डिप्टी डाइरेक्टर्स जो वहां रहते हैं वे अपनी देखरेख में इस काम को करा सकें। पेश्तर इसके कि अभी तक क्या काम हुआ है और अगले साल के लिये क्या स्कीम है, सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता

हूं कि इस काम को करने में खास तौर से लखनऊ के जिले में कुछ कठिनाई पेश आई। किसानों के मकानों पर जब हमारे राज कर्मचारी टीका लगाने के लिये पहुंचते थे तो बहुत से किसान लगान के लिये, चाहे प्रिज्यूडिस कहो, चाहे सुपरस्टीशन कहो, चाहे अंधविश्वास कहो टीका लगवाने के लिये जल्दी तैयार नहीं होते थे। वह समझते थे कि न मालूम गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। शायद हमारे पशु दूध देना बन्द न कर दें या बच्चे देना बन्द न कर दें। तो इस तरह से बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने आई और हमें उन लोगों को समझाना पड़ा। इस सिलसिले में इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के इम्दाद की दरख्वास्त करता हूं कि वह लोगों को इस बात के लिये एजूकेट करें, उनको समझायें कि यह उनके हित की बात है। पिछले साल इन चार जिलों की तहसीलों में पशुओं के टीके लगाये गये। जब पशुओं के टीके लग जाते हैं तो वह पांच साल के लिये इम्यून हो जाते हैं यानी पांच साल तक उनको कोई रोग नहीं हो सकता है। इन चार जिलों की बाकी तहसीलें रह गईं थीं उन सब में १५ मार्च सन् १९५३ ई० तक रिंडरपेस्ट पशुओं के टीका लगवा दिया गया।

हर सर्किल में एक जिला है और इस तरह से हमारे यहां चार सर्किल हैं। अगले साल एक सर्किल को बढ़ाने का विचार है और हर सर्किल में दो जिले लेने का विचार है। इस तरह से अगले साल दस जिलों में हर पशु के रिंडरपेस्ट का टीका लगा दिया जायगा। इस तरह से चार साल के अन्दर सारे सूबे के ५१ जिलों में सब जानवरों के टीके लग जायेंगे। इस तरह से ५ साल में सबके टीके लग जायेंगे। आगे यदि सदन ने बजट में पैसा दिया तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि टीका लगने के ५ साल तक पशुओं में इम्यूनिटी हो जाती है और उनके कोई रोग नहीं हो सकता है, तो उसके बाद फिर एक दौर शुरू होगा। एक तो यह कोशिश पशुओं के रोगों के निवाणार्थ की जा रही है।

दूसरी यह है कि हमारे यहां टीका वगैरह की तादाद में गिनाना नहीं चाहता हूं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैक्सीन का मैन्यूफैक्चर यानी वह दवा, हिन्दी सिवाय इसके और क्या शब्द बतलाऊं, हमारे यहां बादशाह बाग में एक सेक्शन चल रहा है, वहां इसका मैन्यूफेक्चर होता है। पहले हम वैक्सीन को बाहर से मंगाते थे या एज्टनगर से मंगाते थे लेकिन अब जितनी जरूरत पड़ती है हमें सूबे में ही मिल जाती है। हम इस लेबोरेट्री में पैदा करने लगे हैं और आगे हमें आशा है कि हम बाहर को भी सप्लाई कर सकेंगे।

वैटरिनरी कालेज जहां हमारे नौजवानों को पशुओं के रोगों को दूर करने की शिक्षा दी जा रही है, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि, वह पहले ही हमारे यहां कायम हो चुका है लेकिन अभी उसकी बिल्डिंग कम्पलीट नहीं हुई है और इक्विपमेंट की भी जरूरत है।

जो जानवर हमारे यहां बाहर से आते हैं अक्सर वह रोग लेकर आते हैं तो जिन दिनों में और जिस मौसम में दूसरे सूबे से जिन सड़कों से हमारे यहां पशु आते हैं उन जगहों पर भी उनके टीके लगाने का प्रबंध किया जाता है जिसके रोग हमारे देहात और जानवरों तथा पशुओं में न फैल सके।

अब रही पशुओं की नस्ल सुधारने की बात तो यह बहुत कठिन काम है लेकिन इसके सुधारने की कोशिश की जा रही है। एक तो यह कि बहुत से जिलों में जो पुराने सांड, भैंसे या बिजार हैं उनको बधिया कर दिया जाता है ताकि वह आगे नस्ल न बिगाड़ सकें। साथ ही साथ सिलेक्टेड पौकिट्स में हरियाना के बिजार या मुर्गा सांड किसानों को दिये जाते हैं, ताकि आगे वह अपनी गाय, भैंस और बैलों की अच्छी नस्ल बना सकें। तो यह विलेज की स्कीम कहलाती है उस स्कीम में यह काम हो रहा है।

[श्री चरण सिंह]

फिर पांच साल के अन्दर हम ७६ आर्टिफिशल इन्सिमिनेशन सेंटर्स खोलना चाहते हैं जिनमें से ३० खुल चुके हैं । ऐसे भी जिले हैं जहां दो हैं, ऐसे भी जिले हैं जहां एक है और ऐसे भी जिले हैं जहां बिल्कुल नहीं है लेकिन हम सब जगह धीरे धीरे खोलना चाहते हैं। इन आर्टिफिशल इन्सिमिनेशन सेंटर्स का मतलब यह है कि पिचकारी के जरिये गाय और भैंस को गाभिन करने का केन्द्र । अगर हम अपने पशुओं की नस्ल को सुधारना चाहते हैं तो पहली जरूरत यह है कि सांड अच्छे हों, मेल अच्छा हो। अच्छे सांडों की हमारे पास बहुत कमी है, वे हमें दूसरे सूबों से मंगाने पड़ते हैं। या पश्चिम के चार, पांच जिले हैं वहां भी अच्छे सांड मिल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे सांड हमको मिलते हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है लिहाजा हमने आर्टिफिशल इन्सिमिनेशन सेंटर्स कायम किये हैं जिससे कि एक सांड कम से कम दस सांडों का काम आन दि ऐवरेज दे सकता है, थ्योरिटिकली तो और ज्यादा का काम दे सकता है, लेकिन वैसे दस का काम दे सकता है । इसी गरज के लिये जो हमारे यहां १२ या १३ मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स हैं उनमें जो अच्छे अच्छे भैंसे या बछड़े हैं वे काम में लाये जाते हैं लेकिन उनकी तादाद कुछ सैकड़ों में ही मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है। तो पशुओं की नस्ल सुधारने में जो लिमिटिंग फैक्टर है, वह शार्ट सप्लाई आफ बुल्स है। उसको पूरा करने के लिये यह आर्टिफिशल इनसिमिनेशन सेंटर्स की योजना चालू की गई है ।

फिर हमारे यहां जो ऊन है यह बहुत अच्छी पैदा होती है । हमारे सूबे में कोई २० लाख भेड़ें हैं और राजस्थान के बाद भेड़ और ऊन की इंडस्ट्री अगर कहीं पनप सकती है और सबसे ज्यादा उसके लिये सुविधायें हैं तो वह हमारा ही सूबा है । हमारे यहां दोनों तरह की ऊन अच्छी होती है, एक तो कपड़ा वगैरह बुनने के लिये और एक कार्पेट वगैरह बनाने के लिये । अच्छी कार्पेट इंडस्ट्री के लिये मिर्जापुर की तरफ बहुत अच्छा है । मिर्जापुर के पास ही इलाहाबाद है। वहां फुलई में एक शीप रिसर्च फार्म खोला है । वहां बहुत अच्छा काम वह लोग कर रहे हैं । आस पास की भेड़ों की नस्ल बहुत अच्छी हो गयी है । बढ़िया किस्म के भेड़ें वहां रखे जाते हैं और आस पास के गड़रियों को वह दिये जाते हैं । गड़रिये उस चीज को बहुत एप्रिशियेट करते हैं। इस स्कीम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर पहाड़ में हमारे यहां ऊन की तरक्की करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है । अभी तक तिब्बत की तरफ से हमारे यहां लाखों रुपये की ऊन आती थी । अब कई कारणों से वहां से ऊन आने में कठिनाई हो गयी है । लेकिन वह कठिनाई हो या न हो, हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हमारी ऊन इतनी बढ़िया हो जाय कि उल्टे हम तिब्बत को भेज सकें, अपनी जरूरत को पूरा कर सकें और दूसरे प्रदेशों को भेज सकें। खासतौर से टेहरी गढ़वाल और उस इलाके में और सारे कुमायूं डिवीजन में और जौनसार बावर के उस पहाड़ी इलाके में एक स्कीम बनायी गयी है। जिस पर पांच साल में ३० लाख रुपया खर्च होगा तब जाकर वह स्कीम पूरी होगी और उस स्कीम का पहला साल शुरु होने वाला है जिसके लिये, ३,४५,००० रुपये बजट में रखे गये हैं। पशु लोक जो कि ऋषिकेश के पास है वहां हमारी स्कीम है कई सौ भेड़ रखने की और ५० के करीब मेरीनो रखने की। यही नहीं बल्कि और भी बढ़िया किस्म के भेड़ें हम बाहर से मंगाना चाहते हैं । हम यह भी प्रयोग करेंगे कि पहाड़ी इलाके में कौन सी किस्म की भेड़ रखी जा सकती है । फिर वहां पशु लोक में एक सेंटर खोला जायगा और दस और सेंटर्स जो इस सेन्टर से फीड किये जायेंगे खोले जायेंगे । यह तो एक बेस होगा । इसके बाद यह दस १० छोटे छोटे केन्द्रों में फटेगा, २ सेंटर्स पीपलकोट और ग्वालदम में, ४ अल्मोड़ा में, ३ टेहरी गढ़वाल में और १ देहरादून में, इस प्रकार यें १० केन्द्र होंगे। फिर हर सेंटर ५,५ और छोटे छोटे सेंटर्स में तकसीम किया जायगा। इसके बाद वे और छोटी छोटी शाखों में तकसीम होंगे, उन शाखों में केवल भेंड़े ही रखे जायेंगे लेकिन बेस सेंटर में मेढ़ें और भेड़ें दोनों रखे जायेंगे। मैं तो इसके बारे में स्वयं बहुत कम जानता हूं लेकिन यह जो कुछ मैंने आपके सामने थोड़े से में रक्खा वह उसके मुताबिक है जो

कि टैक्निकल लोगों ने स्कीम बनायी है। वे इसके बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी, माननीय सदस्यों को मालूम है ऋषिकेश में शीप शो हुआ था। यह इलाका बिलकुल तिब्बत से मिला हुआ है। वहां भेड़ वाले तिब्बत से हजारों की संख्या में आते हैं मय अपने गृहस्थी पुजारी और मंदिरों के और चार पांच महीने वहीं पर बिताते हैं वहां पर भेड़ों का शो हुआ था और उसमें इनाम भी दिये गये थे। इस तरह से अपने यहां की भेड़ों की नस्ल को सुधारने की कोशिश की जा रही है।

रही मुर्गों की बात। १० पोल्ट्री फार्म खोले गये हैं। मुर्गों की नस्लों में सुधार करने की कोशिश की जा रही है। गो कि मैं इसमें बिलकुल नहीं समझता फिर भी अच्छे अच्छे मुर्गों को पालने की कोशिश की जा रही है।

इसके अलावा मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा है और जानवर भी ऐसे हैं जो बेकार हैं, उन बेकार जानवरों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह जानवर फौडर के ऊपर तो बर्डेन हैं लेकिन उसके बदले में उनसे कुछ भी मिलता नहीं है। जहां तक गायों का सवाल है वह तो हमारे सेंटीमेंट्स से ताल्लुक रखता है, लेकिन कोशिश यह है कि उनको ऐकोनामिक बनाया जाय। मैं माननीय मेम्बरों से इस ओर ध्यान देने को कहूंगा और आशा करूंगा कि वे इस बारे में कुछ सुझाव देंगे कि इस मसले को कैसे हल किया जाय। हमने इसके लिये एक इंतजाम किया है कि जो ऐसी गायें हैं जो बेकार हैं। उनके लिये हमने दो गो सदन खोले हैं। एक बरेली जिले में और दूसरा ऐटा जिले में। डिपार्टमेंट की तरफ से ये गो सदन खोले जायेंगे और उन केन्द्रों में वे गायें रखी जायेंगी जो बेकार हैं। वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। उसके बाद केन्द्र उसका इंतजाम करेगा। वहां पर एक तार वगैरह लगाकर उनको छोड़ दिया जायगा। जहां चारा कम है वहां उसकी बचत हो जायगी और जहां घास खूब है वहां उन खाने वालों को पहुंचा दिया जायगा। ३,४ हजार गायों को वहां रखने की कोशिश की जायगी, यद्यपि यह समुद्र में बूंद के समान है लेकिन माननीय सदस्य अगर और कोई तरकीब बता सकें तो अच्छा हो कि ऐसा ही कोई इंतजाम किया जा सके, कहीं से रुपया दिलवा सकें, या किसी सेठ से प्रोत्साहन देकर रुपया मिल सके तो और भी कुछ इस दिशा में किया जा सकता है।

फिर एक बात रह गयी जो हाइड फलेइंग क्योरिंग ऐंड टैनिंग सेंटर के बारे में है। अगर आप की इजाजत होगी तो मैं बाद में उस सिलसिले में कह दूंगा।

अधिष्ठाता---अगर आप दो तीन मिनट में खत्म कर दें तो अभी बोल लें।

श्री चरण सिंह---बहुत अच्छा। हमारे यहां जो मरे हुये जानवरों के चमड़े निकालने का तरीका है और फिर उसको क्योर व टैनिंग करने का तरीका है वह बहुत ही अज्ञानपूर्ण है। उससे चमड़ा खराब हो जाता है और और भी जो चीजें हैं, मसलन गोश्त, हड्डी वगैरह जो दूसरे काम में आ सकती हैं उनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। बाहर से एक एक्सर्ट मिस्टर हयूक आये हुये हैं, मैं माननीय सदस्यों को निमंत्रण देता हूं कि वे हाइड फलेइंड क्योरिंग एंड टैनिंग सेंटर जो बख्शी तालाब में है, जहां इस संबंध में काम हो रहा है, वहां वे मेहरबानी करके जाकर देखने की कोशिश करें तो उनको मालूम होगा कि जो पुराना तरीका है उससे बहुत बेहतर तरीका उन्होंने निकाला है। ज्यादा खर्चे की बात भी नहीं है। बहुत सिम्पुल तरीका है और खर्चा भी बहुत थोड़ा है तो जो ट्रेनिंग सेंटर हमने खोला है वहां बहुत से आदमियों को शिक्षा देने की कोशिश हो रही है ताकि जानवरों के मरने के बाद उनकी हड्डी चमड़े सींग वगैरह का भी अच्छा उपयोग हो सके। यह हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यह मैं कोई लफ्जी बात नहीं करता हूं। जो लोग बख्शी तालाब सेंटर पर जाकर देखना चाहें देख सकते हैं कि उसका कितना महत्व है और

[श्री चरण सिंह]

वह कितनी अहमियत रखता है। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान को सदन के सामने पेश करता हूं ।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी राजस्व मंत्री जी ने जो कुछ भी बातें बतलाईं मैंने उनको बड़े ध्यानपूर्वक सुना । उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह बतलाने का प्रयत्न किया कि सरकार ने पशु चिकित्सा के बारे में या और भी पशुओं की नस्ल सुधारने में या अच्छी किस्म की डेरीज वगैरह के बारे में काफी सुधार करने का प्रयत्न किया है और बहुत सी बातें बतलाई तथा बहुत सी स्कीमें भी उन्होंने बतलाईं । मुझे उन स्कीमों के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना है कि वे स्कीमें ठीक हैं या गलत हैं । लेकिन मैं एक बार सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सरकार जो स्कीमें बनाये उन पर ठीक-ठीक चलने का प्रयत्न करे और उसको यह भी देखना चाहिये कि जो स्कीमें उसने बनाई हैं वे ठीक रूप से चल रही हैं या नहीं ।

मैं अधिष्ठाता महोदय आपकी आज्ञा से यहां पर सेंट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । यह जो फार्म था पहले विदेशी कम्पनी के हाथ में था और सन् ४८-४९ में सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया। जिस वक्त यह विदेशियों के हाथ में था काफी उसमें उत्पादन हो रहा था, उस वक्त मजदूरों को भी बोनस मिलता था, उसकी जगह जगह पर दूकानें थीं । सरकार ने उसको लिया इसके लिये सरकार को धन्यवाद है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में विदेशी लोग व्यापार करें और इस किस्म के छोटे मोटे व्यापार उनके हाथ में हों। सरकार ने उसको लिया अच्छा किया लेकिन उसको लेने के बाद सरकार को यह चाहिये था कि उस फार्म को एक नमूने का फार्म बनाती जिससे देश की जनता को प्रोत्साहन मिलता कि सरकार भी कम्पनियों को ठीक-ठीक चला सकती है और हिन्दुस्तान की जनता के दिमाग में विश्वास पैदा होता कि राष्ट्रीयकरण करने से देश का निर्माण हो सकता है । लेकिन जब से सरकार ने उसको लिया पिछले वर्षों में उससे मुनाफा तो हुआ लेकिन उसकी दशा सोचनीय है । मजदूरों की जो हालत है उसको भी मैं आपके सामने थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं । जिस वक्त सरकार ने इस कम्पनी को लिया यह कह कर कि जिस सर्विस कंडीशन पर उसके मजदूर काम करते थे उसी कंडीशन पर वह मजदूर रक्खे जायेंगे और इसके लिये सरकार का एक जी०ओ० भी है । उसके कुछ दिनों बाद एक स्टैंडिंग आर्डर वहां के मजदूरों और सरकारी अधिकारियों में समझौते के द्वारा बनाया गया और जो कि इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट स्टैंडिंग आर्डर ऐक्ट ४८ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है, उसके मुताबिक स्टैंडिंग आर्डर रजिस्टर्ड किया गया और मजदूरों पर वह लागू किया गया । उसके मुताबिक कुछ मजदूर परमानेन्ट थे और कुछ टेम्पोरेरी । लेकिन इस वक्त २६ फरवरी को एक सरकारी आज्ञा हर मजदूर को मिली। उसमें यह लिखा गया है कि तुम टेम्पोरेरी हो और तुम्हारी जो नौकरी है वह ३१ मार्च को खत्म कर दी जाती है । अगर तुम फिर टेम्पोरेरी तौर पर काम करना चाहते हो तो इसके लिये दरख्वास्त देनी पड़ेगी । मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार जो अपने को कहती है कि वह प्रजातंत्र में विश्वास करती है कि और कानून के द्वारा चलना चाहती है, वही अपनी सरकार के बनाये हुये कानूनों को अपनी आज्ञाओं द्वारा कैसे अवहेलना कर देती है । परमानेन्ट स्टाफ के बारे में जो सर्विस रूल सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक स्टैंडिंग आर्डर में है और जिसको लेबर

कमिश्नर ने सर्टीफाई किया है उसमें लिखा हुआ है कि परमानेन्ट की डेफिनेशन क्या है। उसमें परमानेन्ट की डेफिनेशन दी हुई है :

"A permanent workman is one who has been engaged on work of a permanent nature and has satisfactorly competed a probationary period of six months."

[एक स्थायी मजदूर वह है जो किसी स्थायी ढंग के कार्य में लगा हुआ है और जिसने छः मास का परीक्षण काल सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर दिया है।]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जितने मजदूर हैं वह बीस बीस साल से उस कम्पनी में काम कर रहे हैं और अपनी जगह पर मुस्तकिल तौर से काम कर रहे हैं और इस स्टैंडिंग आर्डर के मुताबिक उनकी जो नौकरी है परमानेंट नौकरी है। लेकिन सरकार ने यह आज्ञा निकाल कर एक गैर कानूनी काम किया है क्योंकि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि जो सेंट्रल ऐक्ट है उसके हिसाब से जो स्टैंडिंग आर्डर्स बने हुये हैं उनके खिलाफ कोई अपनी आज्ञा जारी करे। इतना ही नहीं, अधिष्ठाता महोदय मैं आपको और बताऊं कि भारतीय संविधान के अनुसार भी जो ऐक्ट सेंट्रल हैं वही माने जायेंगे और प्राविंशियल गवर्नमेंट के जो ऐक्ट भी हों वह उनके ऊपर नहीं रखे जा सकते और अगर वह ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो उन पर सेंट्रल ऐक्ट ही माने जायेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुये पता नहीं सरकार गलती से या कैसे ऐसे हुक्म निकाल देती है यह सरकार जाने, लेकिन इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे हुक्मों को निकालते वक्त जरा देख लिया करें कि हर जगह ऐसे हुक्म जारी किये जाने चाहिये या नहीं किये जाने चाहिये, और जहां के लिये किये जाने चाहिये वहीं करे। लेकिन अगर सरकार इस तरह से करेगी जैसा किया गया है तो फिर गड़बड़ होगी और उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें जो टेम्पोरेरी की परिभाषा दी गई है उसको भी मैं पढ़कर सुना दूं।

"A temporary workman is one who is engaged for work of essentially temporary character."

[एक अस्थायी मजदूर वह है जो अनिवार्य रूप से अस्थायी ढंग से कार्य में लगा हो।]

तो उनका कोई टेम्पोरेरी कैरेक्टर नहीं है। २०,२० साल से मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। कोई टेम्पोरेरी कैरेक्टर का काम नहीं है और यह फार्म भी काफी मजबूती से काम कर रहा है और यह काम भी टेम्पोरेरी नहीं है क्योंकि इस साल भी करीब-करीब उतना ही अनुदान इसमें है जितना पारसाल इसमें रखा गया था। तो इसको बन्द करने का भी सवाल नहीं उठता। महज एक ही चीज हमारी समझ में आती है कि सरकार जिन उद्योगों को अपने हाथ में लेती है उनको ठीक से न चलाकर राष्ट्रीयकरण की भावना जो कि तेजी के साथ चारों तरफ उठ रही है उसको बदनाम करना चाहती है और अगर वह इस तरह से मजदूरों को तंग करेगी तो काम नहीं चलने का है। मैं एक चीज और भी कह दूं वह यह है कि यहां के मजदूरों की एक यूनियन है, एक संगठन है जो कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड है और वहां के मजदूरों ने, किस तरह से अच्छी तरह से काम हो और किस तरह से वह फायदे पर चलायी जा सकती है, इसके लिये १७ प्वाइंट का अपना एक प्रोग्राम बनाकर अधिकारियों के पास भेज दिया था। फिर भी सरकार ने कोई ख्याल नहीं किया। तो जब वे मजदूर खुद ही चाहते हैं, जिन्होंने उस कम्पनी में काम किया है वे खुद ही अपना सहयोग देने के लिये तैयार हैं और वे चाहते हैं कि डेरी का फायदा हो तो उनकी बात को न सुनना कोई फायदे की बात नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि उसमें बहुत सी ऐसी बातें ऐसी हो सकती

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

हैं कि जिसको आप नहीं कर सकते हों । लेकिन अगर वह अपना सजेशन देते हैं और कोई मजदूर यह बात कहता है कि डेरी को इस तरह से चलाया जाय, इसमें ज्यादा फायदा होगा तो आपका कर्त्तव्य है कि उनकी बातों को देखें कि वह क्या कहते हैं और उनके क्या सजेशन हैं ? भले ही आप उनकी बात को न मानें। अगर बात ठीक है तो उस सजेशन को आपको जरूर मानना चाहिये। आप मानेंगे तो आपका फायदा होगा । और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इस किस्म के आर्डर को पास न करें जिससे मजदूरों में बौखलाहट पैदा होती हो। जो मजदूर वहां पर २० वर्ष से काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है कि ३१ मार्च तक तुम्हारी सर्विसेज खत्म होती हैं । इस किस्म के आप काम करते हैं कि जिससे मैं यह समझता हूं कि लोगों का फायदा नहीं हो सकता है और न देश का ही फ़ायदा हो सकता है।

अधिष्ठाता---इस अनुदान पर बोलने वाले सदस्य बहुत मालूम पड़ते हैं इसलिये ७ मिनट के बजाय मैं ५ मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने अभी बख्शी के तालाब पर चमड़े की ट्रेनिंग के लिये बतलाया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चमड़े के निकालने के कार्य की हालत गांवों के अन्दर बहुत खराब है क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और न वह अच्छी तरह से चमड़े के निकालने और उसके जो दूसरे हिस्से हैं उनका उपयोग करना ही जानते हैं। इसलिये यहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाय जो कि गांवों में जाकर सचल शिविर बनाकर जो लोग गांवों में यह काम करते हैं उनको शिक्षा दे सकें । साथ ही सरकार उनको औज़ार आदि के लिये भी सहायता दे जिससे वह लोग इस काम में उन्नति कर सकें क्योंकि वे लोग सही तरीके से चमड़ा नहीं निकाल पाते हैं, इससे बहुत चमड़ा बेकार चला जाता है और इससे गन्दगी भी फैलती है। चमड़ा भी हमारे देश का एक मुख्य धन है और यदि उसको ठीक से उपयोग में लाने के लिये कोई सही तरीका न सोचा गया और उनको ट्रेनिंग नहीं दी गयी तथा सहयोग नहीं दिया गया तो चमड़ा जैसे अभी तक बरबाद होता रहा है वैसे ही बरबाद होता रहेगा । इसके साथ मुझे यह भी कहना है कि गांव में इस काम के करने वालों और जनता के बीच बहुत से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि चमड़े की कीमत बहुत से लोग उनसे वसूल कर लेते हैं। उनके लिये कोई मजदूरी तय नहीं होती है, इसलिये या तो उनके लिये मजदूरी तय कर दी जाय या उनको इस चमड़े पर मालिकाना हक़ दिये जायं ताकि इससे उनको फ़ायदा हो तभी वे इस कार्य को ठीक से करेंगे । सफाई आदि की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर दी जाय, तभी इस उद्योग की उन्नति हो सकेगी । इसके बाद मैं आपका ध्यान विनोबा भावे जी द्वारा दान में जो जमीने मिली हैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं । उसमें यह है कि अब तक गांवों में पहले जो जमींदारी अबालिशन के समय जमीनों के पट्टे किये गये हैं वह एक ही घर के कई-कई लोगों के नाम अलग-अलग करके जमीनों के पट्टे किये गये हैं लेकिन वह जमीनें आज तक काम में नहीं आ रही हैं। इसी प्रकार विनोबा भावे जी के यज्ञ द्वारा जो जमीनें मिली हैं और उनके लिये जो जिलों में वितरण समितियां बनाई गई हैं उन्होंने यदि इन जमीनों को बांटा तो उस से कोई विशेष लाभ न होगा इसलिये अच्छा हो कि गांवों में लिस्टें तैयार कराई जायं और जो आदमी ऐसे हैं कि जिन के पास बिलकुल ज़मीन नहीं है और वह खेती करने वाले हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन के पास एक पूरी जोत की जमीन नहीं है। लिस्ट बनाकर इस तरह के लोगों को वह जमीनें देकर उचित रूप से बटवारा किया जाय । अगर ऐसा न किया गया तो जमीनें भले ही खाली हों और बांट दी जायं उनसे कोई पैदावार में विशेष लाभ न होगा। जो जमीनें मिली हैं वह अधिकतर ऐसी हैं जो टूटी हुई नहीं हैं और उनको

तोड़ने के लिये काफी पैसे और मेहनत की जरूरत है। मेरे ख्याल से उस जमीन को तोड़ने के लिये सरकार को औजार देने चाहिये या तोड़ कर उन जमीनों को बे जमीन लोगों को बांटना चाहिये । तभी उस जमीन का उचित उपयोग हो सकता है जिससे पैदावार भी बढ़ जायगी अन्यथा उनसे कोई विशेष लाभ न होगा । इन शब्दों के साथ इन दोनों बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हुं । मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि किस प्रकार उन्होंने इस प्रदेश में बड़े-बड़े खित्ते-जमीन को आबाद करने का प्रयास किया है, और पशुओं के सिलसिले में जो उनकी योजना है वह ऐसा मालूम होता है कि एक सफल योजना है। इस सिलसिले में मुझे एक सुझाव देना है। मैंने बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी की स्पीच को सुना और जब उन्होंने पशुओं की रक्षा की बात कही तो इस देश में जहां अधिकतर बैलों से ही खेती होती है और उन्हीं पर लोग निर्भर करते हैं, जहां अच्छी खेती बगैर अच्छे बैलों के नहीं हो सकती, वहां माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि मुर्रे वाले भैंसों को खेती के काम में लाया जा सकता है। हम तो उन से उम्मीद करते थे कि घटिया जाति के जो सांड हैं उनकी नस्ल को बढ़ने से रोका जायगा और अच्छे बैल जो खेती के काम के लिये मिल सकें उस का उचित प्रबंध किया जायगा। इसके लिये जरूरी था कि भैंसों के मुकाबिले में अच्छे बैल, सांडों को तरजीह दी जाती । मैं नहीं कह सकता कि किस तरह से उनका ऐसा ख्याल हुआ कि भैंसों के जरिये से खेती यहां हो सकती है। अगर ऐसी ही बात होती तो इस देश में हमेशा से गौरक्षा की दुन्दुभी न बजती रही होती और गौमाता को इतना गौरव न दिया गया होता, और आज भी जिस तरह से गौ के लिये हर तरह की कुरबानी तक देने की लोग कोशिश किया करते हैं वह सब न होता और वह एक लगो चीज होती। हमारी खेती इस बात पर हमेशा से निर्भर करती है कि हमारा गौवंश, हमारे बैल अच्छे हों और अच्छी खेती तभी हो सकती है जब अच्छी नस्ल बैलों की बनाई जाय और उस के जरिये से खेती करके नस्ल सुधारने का और पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय ।

एक मुसीबत यह है कि जब हम अधिक अन्न उपजाओ योजना में लगते हैं तो बजाय इसके कि हम यह कोशिश करें कि हम जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें और उस में अच्छे बीज का इस्तेमाल करें और अधिक अन्न पैदा करने की कोशिश करें, हम करते यह हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हमने जोती। और हमेशा यह कोशिश की जाती है कि चरागाह का तो कहना ही क्या, जानवरों के रहने तक की जगह और खड़े होने तक की जगह नहीं छोड़ी जाती है और सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि उन में कहीं पशुओं के खड़े होने तक के लिये जगह नहीं रह गई है चरागाह की बात तो दरकिनार। जिस देश में जानवरों के रहने और खड़े होने तक की जगह न रह जाय उस देश में खेती के पशुओं की कैसे उन्नति हो सकती है ? मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी योजना बनाई जाय उसमें देश के पशुधन की उन्नति का और उनके लिये उचित चरागाह और उनके रहने का प्रबंध अवश्य किया जाय । साथ ही बहुत से नदियों के किनारे के भाग हैं जिनमें कटान (इरोजन) हो रहा है, उन को अगर किसी को दिया भी जाय तो इस शर्त पर देना चाहिये कि वह जोते न जायेंगे और उन में अच्छे किस्म के पेड़ और घास लगाई जायगी ।.वहां हालत यह है कि जिन खेतों में अभी तक बहुत अच्छी घास पैदा होती थी, एक झुलेल घास होती थी जो बहुत अच्छी पशुओं के लिये थी वह सब नष्ट हो गई है और उसकी जगह एक जंगली किस्म की चीज पैदा होने लगी है जो भिन्डी की तरह का एक पेड़ है और उसमें काले रंग का एक इंच का एक फल होता है, जो कपड़े में चिपक जाता है। वह बुरी तरह से देश में और खास कर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के पास के जिलों में बरसात के दिनों में पैदा होता है। अब तो कोई भी खाली जमीन उस पेड़ से बच नहीं पातीहै।

[श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा]

इस तरह की चीजों को रोकना चाहिये और जानवरों के खाने लायक़ अच्छी घास पैदा करने के लिये अगर कुछ इंतज़ाम कर सकें तो बड़ा अच्छा हो।

आपने भेड़ों का ज़िक्र किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे प्रदेश का वह इलाक़ा जो जालौन, हमीरपुर, बांदा और कानपुर का दक्षिणी हिस्सा है भेड़ों के लिये बड़ा अच्छा हिस्सा था और वहां से मिर्ज़ापुर और भदोही के उद्योग को ऊन भेजा करते थे। लेकिन ज़मीन न होने की वजह से, रेल का किराया अधिक होने से, न ऊन रख सकते हैं न बेच सकते हैं। नतीजा यह है कि वहां पर छोटा-मोटा जो उद्योग चल रहा है उसी में ऊन का व्यवहार करना पड़ता है और घटिया क़िस्म के कम्बल तैयार हो रहे हैं, जिससे पहले अच्छा नमदा तैयार होता था। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इधर के भेड़ के ऊन की ओर भी ध्यान दे।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, हर एक कृषि प्रधान देश में पशु एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, विशेषकर एक ऐसे कृषि प्रधान देश में जहां वर्तमान प्रचलित नवीनता और यंत्रीकरण की सनक के बावजूद हल सदैव बैल द्वारा लगाया जायगा।

मंत्री महोदय ने हमको अपने भाषण में बताया कि पशु चिकित्सा विभाग ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहा है। मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं। किन्तु केवल इतना ही नहीं। मैं तो यह भी मानने के लिये तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार मनुष्य के बजाय पशु की देख-भाल अधिक ख़ूबी से कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सा के संबंध में मैं केवल एक विशेष समालोचना करने की आवश्यकता समझता हूं। पिछली बार जब फैमिली प्लानिंग की चर्चा हो रही थी, सरकार ने कहा कि एक सामाजिक विषय होने के कारण सरकार इस पर दबाव नहीं डाल सकती। बहुत सही कहा। एक अयोग्य और जनता को अप्रिय कर्मचारी का ट्रांसफर एक शासकीय विषय होने के बहाने सरकार इसको स्वीकार नहीं करती। यह भी ठीक कहा। शिक्षा विभाग की नीति में मतभेद की अधिक गुंजायश है। इसलिये इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु यह सब स्वीकार करेंगे कि आदर्श गाय को अधिक से अधिक दूध देना है। यह सब स्वीकार करेंगे कि आदर्श बैल को बलवान होना है। यह सब स्वीकार करेंगे कि आदर्श भेड़ को अधिक और लम्बा ऊन देना है। जो परिस्थिति पशु-चिकित्सा विभाग के सामने हैं वह और किसी विभाग के सामने नहीं। पशु चिकित्सा विभाग के सामने मतभेद की गुंजायश उतनी हद तक नहीं है। पशु चिकित्सा विज्ञान भारतवर्ष के लिये भले ही एक नयी विद्या हो, किन्तु पशु चिकित्सा विद्या एक स्थायी रूप में पहुंच चुकी है। इस संबंध में अब प्रयोग करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अध्ययन करने की। और यह भाग्य की बात है कि इस विभाग में हमारे जो मंत्री महोदय हैं उन का व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत काफी है। इस लिये अधिक समय न होने के कारण आपकी आज्ञा से मैं मन्त्री महोदय के सामने केवल चन्द सुझाव रखना चाहता हूं।

सबसे पहले, इस सेकुलर स्टेट में अधिकांश सनातनधर्मियों 'गोबध बन्द हो' की आवाज़ को बन्द करने के लिये और नसल सुधारने के लिये सरकार को कैस्ट्रेशन अनिवार्य कर देना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इसे लेजिस्लेशन द्वारा आवश्यक कर दिया जाय।

दूसरा सुझाव जो मैं देना चाहता हूं वह यह है कि जो पैसा इस समय प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी में व्यय किया जाता है उसको बन्द किया जाय और उस पैसे से स्टैटिस्टिक्स मेनटेन किये जायं और उन स्टेटिस्टिक्स द्वारा और केवल इन स्टैटिस्टिक्स द्वारा ही पशु चिकित्सा और इस संबंध के विषयों में उन्नति की जा सकती है।

फिर एक सुझाव जो और मैं देना चाहता हूं वह यह कि उत्तम सांडों के कम होने के कारण और हठ और मूढ़ विश्वास के बावजूद आर्टिफ़िश्यल इनसेमिनेशन का उपयोग अवश्य किया जाय।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि देश की उन्नति के लिये और नेशनलाइजेशन और सोशलाइजेशन के स्लोगन्स के बावजूद अधिक से अधिक उत्साह और अधिक से अधिक सुविधा देकर फ़ारिन कैपिटल को आकर्षित किया जाय और प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रोत्साहन दिया जाय। जैसा कि माननीय पंजाब राव देशमुख ने कहा भारत के पशु और पशु संबंधी वस्तुओं का मूल्य लगभग १३०० करोड़ रुपया है, किन्तु इससे कहीं कम सरकार के पास आ रहा है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, इस विषय में सब से अधिक ध्यान दिलाने की बात तो यह है कि पशु चिकित्सा एक व्यापक चीज है जिसमें न केवल चिकित्सा सम्मिलित है, उनकी नस्ल सुधारने का काम भी सम्मिलित है और उनकी उन्नति करने का भी काम है और उनकी संख्या में भी वृद्धि करने का काम है। इसको ध्यान में रखते हुये जो कुछ काम हो रहा है वह बिलकुल अपर्याप्त है।

मेरे एक पूर्व वक्ता ने ध्यान दिलाया कि चिकित्सा हम क्या करेंगे जब हम पहले उनको चारा ही देने का इंतजाम नहीं कर पाते। चरागाहों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के लिये है। गांव में स्थिति सचमुच ऐसी हो गयी है कि जानवरों के चरने के लिये, चलने के लिये और खड़े होने देने के लिये जगह नहीं है। इसलिये सबसे पहले सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये। दूसरे चिकित्सा करने वालों की संख्या भी, जो इसका ज्ञान रखते हों, बहुत कम है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि एक अस्पताल या कालिज पशु चिकित्सा का इस प्रदेश में और कायम होना चाहिये।

मथुरा में अभी थोड़े ही दिन हुये कि एक कालिज कायम हुआ, मगर वह काफी नहीं है। यह सब अनुभव से जानते हैं कि काफी पशु चिकित्सक नहीं है। कानपुर इसके लिये एक उपयुक्त स्थान इसलिए है कि वहां ऐग्रीकल्चरल फार्म है, वहां ऐग्रीकल्चरल कालिज है, वहां मिल्क कोआपरेटिव यूनियन है और वहां प्रदेश की एक सबसे बड़ी गौशाला है।

अब सवाल यह है कि उसके लिये रुपया कहां से लिया जाय। मैं कुछ अंकों के द्वारा आपको बतलाऊंगा कि यहां गौशालाओं की सुधार की योजना के लिये सन् १९५१-५२ में जहां २१ हजार रुपया रखा गया था, इस साल केवल १० हजार रुपया कर दिया गया है। यह कमी सचमुच हमारे इस कार्य के लिये बड़ी बाधक है। गो-सदन स्थापित करने के हेतु, जिसको कंसेंट्रेशन कैम्प भी कहते हैं, उसके लिये पारसाल, १,३० हजार रुपया रखा गया था। इस साल उसे ५० हजार कर दिया है। पशु चिकित्सा संबंधी शिक्षा में ७३ हजार रुपया हमने आकस्मिक व्यय के लिये, कांटिजेंसी के लिये पारसाल रखा था और इस साल वह २ लाख ५ हजार रुपया कर दिया है। इस प्रकार कांटिजेंसी का खर्च हमने कई जगह बढ़ाया है। स्टाफ की ट्रेनिंग में पारसाल केवल दो हजार रुपया था और इस साल हमने २९ हजार कर दिया है। इसी तरीके से मछली-पालन में ७ हजार रुपया हमने आकस्मिक व्यय के लिये रखा था और अब की बार ९२ हजार कर दिया है। कांटिजेंसी का खर्च इस तरह से बढ़ाते जाना, मैं नहीं समझता कि किसी तरह से आज फाइनेंस के नियमों के अनुकूल है। आप निश्चित कार्यों के लिये रुपया रखें, लेकिन कांटिजेंसी के लिये रुपया बढ़ाते न चले जायं। पशु-पालन संबंधी प्रयोगों के लिये ६५९ हजार रुपया हमने एक स्थान पर रखा है। एनीमल हसबैंडरी में प्रयोग और खोज और पशु धन संबंधी खोज में हमने ४ लाख ८ हजार रुपया रखा है। यह कई मदें ऐसी हैं जिनमें से रुपये की बचत हो सकती है और उसको हम एक दूसरा कालेज स्थापित करने के लिये खर्च कर सकते हैं। प्रदर्शन कार्य के लिये पारसाल हमने १० हजार रुपया रखा था, अब की साल हम २३ हजार रुपया रख रहे हैं। काफी प्रदर्शन और डिमांस्ट्रेशन पर अपने प्रदेश में रुपया खर्च कर रहे हैं और उससे उतना लाभ नहीं है जितना कोई सालिड वर्क करने से हो सकता है। उसका लोग आप से आप ज्ञान हासिल कर लेंगे। एक कार्य की तरफ मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि मत्स्य पालन में २ लाख ५० हजार हमने पारसाल रखा था और ४ लाख ५२ हजार इस साल रख रहे हैं। मुझे इसमें बड़ा संदेह है कि इस विभाग से कितना उपयोगी काम हुआ है। अंगोरा जाति की बकरी तथा बकरों के लिये हमने १२ हजार रुपया पारसाल और ९३ हजार

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

रुपया इस साल रखा है। ये सारी मदें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और खर्चों में बचत करने की भी जरूरत है ।

अब आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि पहले मैंने इशारा किया था कि हमारे प्रदेश में गोशालायें एक बहुत बड़ी संख्या में हैं जिसमें जनता काफी अपना रुपया खर्च कर रही है, काफ़ी ध्यान दे रही है और सारी जनता का उस से सम्पर्क है। उन संस्थाओं का ही अगर हम ठीक उपयोग कर सकें तो हमारे पशुपालन और पशु-चिकित्सा में बड़ी वृद्धि हो सकती है ।उसमें मैंने कहा कि रुपया कम हो गया है। २१ हजार की जगह १० हजार कर दिया गया है। मिक्स्ड फार्मिगं का फायदा क़रीब-क़रीब सभी मंजूर करते हैं कि यह एक बड़ी उपयोगी पद्धति है, इससे जानवरों की संख्या और नस्ल बढ़ाने में लाभ होता है और खेती में भी। लेकिन मिक्स्ड फ़ार्मिग के सही अर्थ यह हैं कि भैंस के बजाय गायों की तादाद ज्यादा रखी जाय ताकि खेती के लिये बैल अधिक संख्या में प्राप्त हो सकें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं पशु चिकित्साके इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया है देशकी उन्नतिके लिये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छे बैल हों, और गऊ हों, वह तो खेती के लिये ठीक हैं। और इसी प्रकार अगर कपड़ा हमें अच्छा रखना है तो हमें अच्छे भेंडों की के लिये कोशिश करनी चाहिये। मेराअनुभव यह है और मैं हिमालय में नंगापर्वत से लेकर दार्जिलिंग तक घूमा हूं और इसी तरह दो तीन बार मुझे तिब्बत जानेका भी अवसर मिला है। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमें अच्छी भेंडें पालनी है तो उनके पालने का स्थान हिमालय के ऊंचे शिखरों पर होना चाहिये। घाटियों और उसके निचले हिस्सों में नहीं। मेरा ख्याल यह है कि ऋषीकेष में सरकार जो केन्द्र कायम करना चाहती है उस में वह अधिक सफल न हो सकेगी। कुछ मेरा अनुभव यह भी है कि आम-तौर पर भेड़ें उस स्थान पर होती हैं जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, केवल घास होती है चाहे वह राजस्थान में हो, चाहे वह हिमालय में हो। और अगर पेड़ पौधे होंगे तो भेड़ें उन्हें खत्म कर देंगी। इस प्रकार जहां पेड़ पौधे होते हैं वहां वह आप ही इनसे समाप्त हो जाते हैं और केवल घास ही रहती है। तिब्बत में मैंने देखा कि एक आदमी के पास तीन-तीन और चार-चार हजार भेड़े हैं लेकिन जहां वह भेड़े रहती हैं वहां पेड़ पौधे नहीं होते, केवल घास ही रह जाती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जब वह भेंड़ों की अच्छी नस्ल रखना चाहते हैं तो उनको टेहरी-गढ़वाल के उत्तरी हिस्सों में, गढ़वाल और अल्मोड़ा के उत्तरी हिस्सों में उनका केंद्र स्थापित करना चाहिये ताकि हम अच्छी भेंड पैदा कर सकें और जिनसे अच्छा ऊन हमें मिल सके। जो भेंडे निचले हिस्सों में होंगी उनका ऊन मोटा होगा और वह उनके पश्मीने से मुकाबिला नहीं कर सकता। एक बात और है। कश्मीर की भेड़ों की नस्ल हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी है। उसके बाद कुल्लू की नस्ल दूसरी है, और अगर आप देखें तो रामपुर या कुल्लू की पशम जो है वह ज्यादा गरमी देती है। आप यह देखें कि हमारे प्रदेश का जो पहाड़ है, गढ़वाल या अलमोड़ा का उसमें बहुत कम पश्म होता है, अच्छा ऊन होता ही नहीं है और अगर होता भी है तो वह तो वह बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिये अगर हमको अपने प्रदेश को ऊन की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना है, तो उसका इंतजाम करना चाहिये। आज तक लाल इमली मिल में जो ऊन आता था वह तिब्बत के उस हिस्से से आता था जहां कैलाश और मानसरोवर के स्थान हैं, किन्तु अब वह प्रदेश ऐसे राज्य के हाथ में चला गया है कि वहां से ऊन नहीं मिल सकती है। इसलिये हमें उसके पड़ोस के हिमालय में उसका प्रबंध करना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ऊनी कम्बल का सबसे अधिक व्यवसाय मुजफ्फ़रनगर में होता है और मुजफ्फ़रनगर में जो ऊनी कम्बल बनते हैं उनके लिये बहुत सा ऊन पड़ोस के पंजाब से लिया जाता है। इस लिये पंजाब के पास जमुना नदी की घाटी में भेड़ें पाली जायं ताकि वहां ऊन पैदा हो सके। अगर इस तरह से हम कोशिश करें तो हमारा प्रदेश ऊन की दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रश्न जो उपस्थित है बहुत ही गम्भीर है। माननीय मंत्री जी ने जो यह अनुदान उपस्थित किया उसके लिये हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। उसके साथ-साथ जो भाव उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किये हैं, उसके लिये भी वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने यह कहा है कि प्रान्त में वे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे पशुधन का सुधार हो, जैसे उन्होंने यह कहा कि हरियाना या और दूसरे बढ़िया ब्रीड मंगा करके वे हमारे पशुधन को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय गुप्ता जी ने एक यह सुझाव सदन के समक्ष रखा है कि मथुरा में पशु चिकित्सा का एक कालेज तो है ही, कानपुर में एक दूसरा कालेज खोल दिया जाय। हम यह समझते हैं कि मथुरा और कानपुर करीब पड़ते हैं।

एक सदस्य—आजमगढ़ में खोल दिया जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र—आजमगढ़ न सही तो पूर्व में कहीं होना चाहिये, चाहे बनारस में हो चाहे गोरखपुर में हो। यदि आजमगढ़ से कोई विरोध माननीय सदस्यों को हो तो आजमगढ़ में न खोलें लेकिन किसी ऐसे स्थान पर खोलें जहां पूर्व के लोग आ सकें। मैं बतलाना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे मथुरा कालेज में जा करके शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन मथुरा इतनी दूर पड़ता है कि जहां जाने के लिये लोग तैयार नहीं होते हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बतला दूं कि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है जहां पर सारे उद्योगों में से मुख्य उद्योग कृषि है, और कृषि तब तक ठीक तौर से नहीं की जा सकती जब तक कि हमारा पशुधन उन्नतिशील न हो। पश्चिमी जिलों को मैंने देखा है, वहां पर बड़े सुन्दर-सुन्दर और हृष्ट पुष्ट बैल और गायें हैं, लेकिन हमारे पूर्व में यह मानी हुई बात है कि हमारा पशुधन अवनति को प्राप्त हो रहा है और दिन प्रतिदिन अवनति की ओर जा रहा है। उसके सुधारने की अति आवश्यकता है। कैसे सुधारें यह भी प्रश्न बड़ा गम्भीर है। हमारे लिये सबसे बड़ा प्रश्न उनके चारे का है। चारे का प्रश्न हम कैसे हल करें? असल बात यह है कि जंगल या परती जितनी भी थी वह सब तोड़ी जा रही है। जंगल की शक्ल में भूमि अब बहुत कम रह गयी है। हम तो समझते हैं कि उचित यह होता कि प्रति वर्ष हर गांव में कुछ जमीन परती छोड़ दी जाती। जैसा पुराना नियम था कि दशांश जमीन गांव की परती छोड़ दी जाती थी और फिर उसको जब दूसरे साल जोतते थे तब उसमें अन्न भी अधिक उपजता था। हम समझते हैं कि इस सुझाव पर भी माननीय मंत्री विचार करेंगे और ऐसा प्रबन्ध करेंगे जिससे चारे की कमी दूर हो। पूर्व में खासकर जो चारे की कमी बढ़ गयी है उसको हम कैसे सुधारें और चारे की अधिकता हम कैसे लावें, यह प्रश्न हमको सोचना है।

इसी के साथ-साथ हमको एक बात पर और विचार करना है। जंगली जानवरों से हमारी फसल को बहुत नुक़सान हो जाया करता है और नतीजा यह होता है कि आप देखेंगे कि हमारी खेती बिल्कुल उजाड़ हो जाती है और फस्ल की फस्ल बिल्कुल बरबाद हो जाती है। उन्हीं की वजह से यह भी होता है कि चारे में भी कमी हो जाती है। जो कुछ खेत में होता है उसको भी खा डालते हैं और जंगल में जो घास फूस होती है उसको भी खा डालते हैं। इस पर माननीय मंत्री महोदय अवश्य विचार करेंगे और हम आशा करते हैं, समय बहुत कम है और लाल रोशनी भी आ गयी है, कि जो हम सुझाव माननीय मंत्री महोदय की खिदमत में रखना चाहते हैं उसको वह कार्य रूप में परिणत करेंगे। एक सुझाव जो मैं देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष वह यह है कि गांव और देहातों में चारे का प्रबन्ध होना आवश्यक है।

[श्री व्रजबिहारी मिश्र]

एक बात और है जिसका मैं ध्यान माननीय मंत्री महोदय को दिलाना चाहता हूं। जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा है कि गो बध बन्द होना भी निहायत आवश्यक है, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि एक महीने के अन्दर, उन्होंने आश्वासन दिलाया था, इस हाउस में, कि वह एक कमेटी इस विषय पर विचार करने के लिये बनाना चाहते हैं। पता नहीं कि वह कमेटी बनी या नहीं बनी। हम समझते हैं कि पशु चिकित्सा का गोबध से निकटतम सम्बन्ध है और इस पर भी माननीय मंत्री महोदय अवश्य विचार करेंगे।

श्री बशीर अहमद (जिला सीतापुर)—चेयरमैन साहब, मुझे कुछ ज्यादा कहना तो नहीं है, एक मामूली सी बात है, एक छोटा सा हल्का है, सीतापुर के जिले में कि जिस इलाके में भैंसों और बैलों की नसल बहुत मशहूर होती थी। वहां के बैल और वहां के भैंसे ज्यादा दूर तक जाते थे। जमींदारों ने वह इलाका जो जंगलों का था काश्तकारों को दे दिया। इससे यह नसल भी बरबाद होती चली जा रही है। यह इलाका सीतापुर का उत्तरी और बहराइच का दक्खिनी इलाका है जो शारदा और घाघरा का दोआबा है। वहां की हालत यह है कि तीस-तीस मील और चालीस चालीस मील आप चले जाइये कहीं जानवरों के इलाज का प्रबन्ध नहीं है, कोई सामान नहीं है। यह तो जानवरों की बात है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि चालीस चालीस मील तक आप चले जाइये वहां पुरुषों और महिलाओं की चिकित्सा का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। आपके प्रदेश में जितनी उन्नति हुई है चाहे वह पंचवर्षीय योजना की बिना पर हो या साधारण कामों की बिना पर हो उनमें से कोई काम उस इलाके में नहीं हुआ है। मैं चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उस इलाके की तरफ़ सरकार पूरी तवज्जह दे। यह भी मुझे मालूम है कि इस पूरे इलाके में जो करीब-करीब दो हजार मील का लम्बा चौड़ा रकबा होगा, उसमें सिर्फ़ दो मिडिल स्कूल हैं, यह शिक्षा विभाग का हाल है। चेयरमैन महोदय, मैं उस इलाके के एक छोटे से टुकड़े का प्रतिनिधि होकर आया हूं, वहां से मेरे पास इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं दूसरे विभागों के माननीय मंत्रियों से भी जाकर मिला और यह बात कही लेकिन आज तक उस इलाके की तरफ कोई तवज्जह नहीं गयी है। यहां बोक्सों की बात कही गयी, यहां थारुओं की बात कही गयी लेकिन उस इलाके के लोगों की हालत भी उनसे कम बुरी नहीं है, उनकी भी हालत ऐसी ही है। राजपूतों का दौर आया, मुग़लों का दौर आया फिर अंग्रेजों का दौर आया और ख़त्म हो गया मगर उस इलाके के जितने रहने वाले हैं, जिनकी संख्या १०, १२ लाख से कम नहीं होगी, पहली ही की तरह बुरी हालत में हैं। वहां कोई पुख्ता सड़क नहीं है कोई पुलिया भी नहीं है। आपको ३, ४ सड़कें कच्ची मिलेंगी जिनको अगर जाकर देखें तो आप यह समझेंगे कि ये सड़क नहीं हैं, नाला हैं। इस इलाक़े में मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई माननीय मंत्री नहीं पहुंचे। हां, एक मर्तबा हमारे पन्त जी महोदय उस इलाक़े में हवाई जहाज से उड़े थे जब कि वहां सैलाब आया हुआ था। मेरा ख्याल है कि समय समाप्त हो गया।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् चेयरमैन महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे देश और प्रान्त का पशुधन बहुत अवनति की दशा को पहुंच चुका है। अब समय आ गया है कि जो हमारी दूध की पैदावार है वह भी सब देशों से कम है। इसलिये इसकी उन्नति करना बहुत जरूरी है, यह सब मानते हैं। हम कई वर्षों से इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं लेकिन अब छोटे छोटे क़दम उठाने से काम नहीं चलेगा। अब हमें तेजी से उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ़ एक या दो ही सुझाव देकर बैठ जाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि आप बहुत सख्त एक कानून बनावें जिसके द्वारा जितने भी लंगड़े-लूले या नीची नसल के जानवर हैं वे हमारी निगाहों से अलग हो जायें। उन्हें कनसेंट्रेशन कैम्पों में भेजें या कहीं और

भेजें। सिर्फ अच्छे जानवर हमारे यहां बाकी रह जावें और वही सांड बाकी रहें जिनकी हमारे प्रान्त की उन्नति के लिये आवश्यकता है। उनके बढ़ाने में जितनी भी हमसे शक्ति या रुपया खर्च हो सके उसमें लगाया जाय। प्राईवेट गऊशालायें अब सिवाय स्लाटर हाउस के और कोई काम नहीं कर रही है। उनमें लंगड़ी-लूली गायें रखी जाती हैं और जो बहुत सा रुपया उन पर चैरीटी के नाम से खर्च किया जाता है वह देश के रुपये का दुरुपयोग है। उनको भी चैक करना है और वे भी हमारे ऐक्ट के अधीन आनी चाहियें। ऐक्ट को ऐसा विस्तृत हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे वे सब उसमें आ जावें। इसके साथ ही साथ यह भी उसमें रखा जाय कि जिसके पास उन्नत दशा में अच्छी नसल की गाय-भैंसें होंगी और जो उनको अच्छी तरह से नहीं रख सकेंगे, गवर्नमेंट को अख्तियार होगा कि वह उन्हें कनफ़िस्केट कर ले और वे गवर्नमेंट फ़ार्म्स पर रखी जावें। अगर आप हमारे पशुओं की नस्ल को सुधारना चाहते हैं तो आपको अवश्य ऐसा कानून बनना पड़ेगा, तभी हमारा काम चल सकेगा। मेरा निवेदन है कि जहां चरागाह कम हों, वहां तो खासतौर से क्वालिटी और क्वान्टीटी दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकतीं। अगर आप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्वान्टीटी कम करना पड़ेगी, इसकी सीमा को निर्धारित करना होगा। उसे एक सीमित अवस्था में रखना होगा। वरना आप जानते हैं कि क्वान्टीटी बढ़ाने से क्वालीटी भी डिटीरियोरेट हो जायगी। यह मानने की बात है। हमारे यहां अन्न की भी जरूरत है इसलिये चारागाह अवश्य कम हैं। अगर आप तादाद की ओर भी ध्यान देंगे तो क्वालीटी अवश्य गिरेगी। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मित्रों ने जो कुछ थोड़े बहुत सुझाव दिये हैं या थोड़ी बहुत आलोचना की है उसके सिलसिले में मुझे कुछ थोड़ा अर्ज करना जरूरी है। एक बात तो माननीय रामस्वरूप जी गुप्त ने यह कही कि और कालेज खोला जाय। एक कालेज जो खुला है वह नाकाफ़ी है। दूसरे और खोले जांय। तो पहली बात तो यह है कि जो नाकाफ़ी मालूम होता है, ५ साल के बाद वह भी काफ़ी से ज्यादा मालूम होने लगेगा, क्योंकि काफ़ी लड़के हर साल दाखिल होते हैं। अगले साल से हम १०० लड़के दाखिल करने का इरादा रखते हैं। जब ५ साल के बाद यह लड़के ग्रेजुयेट होकर निकलेंगे और उस समय तक सब नौकरियां खत्म हो जायेंगी क्योंकि आजकल सब लड़के जो कालेज से निकल रहे हैं वह सब नौकरी की ही फ़िक्र में हैं। ऐसा नहीं है कि जो गुप्ता जी अपने मन में रखते हों कि किसान कालेज में पढ़कर आयगा और ज्ञान प्राप्त करके घर पर रहेगा। जितने भी नौजवान पढ़ते हैं वह सब नौकरियों की ही फिक्र में रहते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट कालेज, कानपुर का जो फर्स्ट क्लास कालेज है, जैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आसामियां कम हो गई वैसे ही वहां पर भी भर्ती कम होने लगी है। लिहाजा दूसरा कालेज इस दृष्टि से खोलना कि ज्ञान का ज्यादा विस्तार हो जाय तो वह तो होगा नहीं। क्योंकि जब लड़कों को नौकरियां मिलनी कम हो जायंगी तो वह भर्ती होने के लिये आयंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि कालेज खोलने में ३० लाख रुपया खर्च होता है और ८ लाख रुपया सालाना का खर्चा होता है। लेकिन रुपया कहां से आयगा ? जब गुप्ता जी ने इस सुझाव को दिया था तो वह इसके साथ ही साथ इस सुझाव को भी दे देते। अगर कानपुर के किसी सेठ से वह रुपया दिलवा दें तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी।

जहां तक भेड़ों के सम्बन्ध में माननीय दीनदयालु जी ने कहा कि भेड़ें वहां पर ही ज्यादा होती हैं जहां दरख्त कम होते हैं और घास ज्यादा होती है, उनका ख्याल ठीक है। ऋषीकेष के आस-पास घास ज्यादा होती है लिहाजा वहां पर शीप फार्म खोलना बहुत मुफीद तो नहीं है। खैर यह बात ठीक है जहां घास ज्यादा होती है वहां भेड़ ज्यादा रहती हैं। वैसे भेड़ जंगल का दुश्मन भी है और घास की भेड़ और बकरी

[श्री चरणसिंह]

दोनों दुश्मन हैं क्योंकि बिल्कुल जड़ से यानी बहुत क्लोज ग्रेजिंग यह भेड़ और बकरी करती हैं। खैर, हमें भेड़ भी रखना है और बकरियों को भी रखना है। ऋषीकेश में हम इसलिये यह कर रहे हैं कि २००–२५० एकड़ जमीन की हमें जरूरत है और पहाड़ी इलाके में इतनी बड़ी जगह मिलना मुश्किल है। एक तो इसलिये हम वहां खोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर तो वैसे ही होगी जैसा मैंने पहले कहा था कि हम १० सेंटर्स खोलेंगे और वह सब के सब ऊंचाई पर होंगे और सब पहाड़ी इलाके के इंटीरियर में होंगे। यह तो एक्सपेरीमेंट करने के लिये एक सेंटर होगा। मैरीनो रेम और भी बहुत सी मशहूर भेड़ें मंगाकर हम एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी इलाके में कौन सी भेड़ निभ सकती है और वहां के जलवायु के अनुकूल कौनसी किस्म की भेड़ें फल-फूल सकती हैं। किस प्रकार की भेड़ों के लिये वहां का जलवायु अनुकूल पड़ता है। हम कई तरह की भेड़ें मंगाना चाहते हैं। इस समय हमने मैरीनो भेड़ें मंगाई हैं क्योंकि लोगों ने इसी भेड़ को ज्यादा पसन्द किया और इसके जो बच्चे हुये उनकी ऊन ज्यादा हुई और उसकी किस्म भी अच्छी थी। खैर मैरीनो और दूसरी किस्म की भेड़ें हम मंगा रहे हैं। अभी हमारे यहां बुंदेलखंड में भेडों की नस्ल सुधारने की बहुत गुंजायश है। मिस्टर अपवर्डस नामक आस्ट्रेलिया के एक हमारे यहां एक्सपर्ट आये हुये हैं। भेड़ों के लिये दुनिया भर में आस्ट्रेलिया मशहूर है। वह जालौन गये थे कि शीप ब्रीडिंग के बेहतर करने की क्या पौसीबिलिटीज हैं। इसका इंवैस्टीगेशन हो रहा है। ग़ालिबन माननीय बालेन्दु शाह जी ने कहा कि ये जो आर्टिफ़िशल इन्सिमिनेशन सेंटर्स हैं इनको बढ़ाया जाय। वह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हम पांच साल के अन्दर ७६ सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। सारी कमी तो फ़ंड की है। ८१ लाख की स्कीम है ६ साल की। दो साल हो चुके और चार साल बाकी हैं। दो साल में ३० सेंटर्स खुल चुके और चार साल में ४६ और कायम किये जायंगे। अगर ८१ लाख रुपया हमको इसी साल मिल जाय तो हम इसी साल सारे खोल दें, असल दिक्कत तो रुपये की है।

कुछ दोस्तों ने कहा है कि गोशालाएं भी पशु-धन के सिलसिले में एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। यह बात ठीक है। इसके लिये हमने एक गोशाला डेवलपमेंट आफ़िसर अलाहिदा मुक़र्रर किया हुआ है। वह गोशालाओं को जाकर मश्विरा देता है और जो भी सुझाव होते हैं जिससे गोशाला तरक्की के साथ चल सके वे सब सुझाव देता है। लेकिन सिवाय तीन गोशालाओं को छोड़कर, कानपुर, हापड़ और बरेली के, बाक़ी किसी गोशाला का काम जरा भी सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है, और जितने भी गोशाला हैं उनमें अधिक में बदइन्तजामी है और वे सब एक तरीक़े से चैरिटी पर चल रहे हैं, सेल्फ सफ़ीसेंट नहीं हैं। इस तरह से गोशालाएं चल नहीं सकतीं। गोशालाओं की बाबत लोगों का जो खयाल यह है कि इस तरीक़े से वहां गायों को रखकर तरक्की हो सकती है इसमें थोड़ा सा भ्रम है। गोशालायें अच्छे तरीक़े से चलाने के लिये बहुत निःस्वार्थ सेवकों की जरूरत है और और भी कई बातों की जरूरत है जिनकी आम तौर पर गोशाला मैनेजमेंट कमेटी में बहुत कमी है। बहुतों के पास जमीन नहीं है और जब तक जमीन नहीं होगी और चारा बाजार से खरीदेंगे तो हमेशा नुक़सान पर रन करेंगे। इसके अलावा उस बात की भी जरूरत है कि अच्छे किस्म के बछड़ों और बछियों का हिसाब अलग रहे और जो जानवर बेकार हो गये हों, जो किसी काम के न हों उनका हिसाब अलाहिदा रहे। अभी तो आम तौर से वह धार्मिक भावना से चलाये जाते हैं, इस ख्याल से नहीं चलाये जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट को उनकी हालत सुधारने में सैकड़ों तरह की कठिनाई आती है। गवर्नमेंट का उन पर अपना कंट्रोल तो है नहीं, इसलिये वह सिवाय मश्विरा देने के और ज्यादा हस्तक्षेप कर नहीं सकती है। तो इसीलिये गोशाला डेवलपमेंट आफ़िसर पहले से मुक़र्रर है।

माननीय रामस्वरूप गुप्त ने यह कहा कि २३ हजार रुपया जो प्रदर्शिनी आदि के लिये रखा गया है यह एक तरह से वेस्ट है, इसको नहीं रखना चाहिये और यह रुपया किसी और काम में लगा देना चाहिये। मेरी राय इसके सर्वथा विपरीत है। ये जो प्रदर्शनियां होती हैं उनके लिये आप यह कहें कि और बेहतर तरीक़े से हों तो यह बात तो समझ में आती है, लेकिन यह बात कहना कि इससे कोई फायदा नहीं होता, यह बात बिल्कुल ग़लत है। प्रदर्शिनियों में लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के तजुर्बे का आदान प्रदान होता है और हमारे अफ़सरान को, जो कैटिल ब्रीडर्स हैं या शीप ब्रीडर्स हैं उनसे सम्पर्क में आने का मौक़ा मिलता है और यही नहीं कि सम्पर्क में आने का मौका मिलता है बल्कि जो हमारे डिपार्टमेंट वाले जानते हैं वह उनको बताने का भी मौक़ा मिलता है। माननीय सभापति जी, कल मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया था, ऐग्रीकल्चरल एग्जीबिशन का मैं जिक्र करना चाहता था लेकिन खैर इस सिलसिले में बात आ गयी। एग्जीबिशन जो पुराने ढंग से चल रही थी उनको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वह बहुत कुछ सुधरती जा रही हैं। पुरानी एग्जीबिशन्स एक स्टीरोटाइप्ड और आउट आफ़ डेट सी हो गयी हैं, उनके एग्जिबिट्स भी पुराने हो गये हैं। उन सबको हम बदलने वाले हैं। एग्जिबिट्स ऐसे होने चाहिये किसी भी चीज़ के जिनको कि अनपढ़ आदमी भी देखकर ही यह निश्चय कर ले कि यह फलां चीज़ दिखायी गयी है। अब जो हमारे एग्जिबिट्स हैं उनको पढ़े-लिखे आदमी भी जब तक उन पर जो लिखा रहता है उसको न पढ़ें तब तक वह पता नहीं लगा सकते कि किस चीज़ की प्रदर्शिनीकी गयी है। मस्लन मलेरिया या रिन्डरपैस्ट के टीके लगाये गये हैं। गाये खड़ी हैं और एक बताने वाला अफ़सर खड़ा हुआ है। इसके बजाय ऐक्जीबिट ऐसा होना चाहिये कि जिससे यह मालूम हो सके कि अगर टीका न लगवाया जायगा तो यह होता है और टीका लगवाने से यह हालत होती है। एग्रीकल्चरल ऐक्जीबीशन्स में और कैटल शो दोनों के बारे में ग़ौर किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेरठ में एक एक्जीबीशन हुई थी और मैं समझता हूं कि वह उन्हीं लाइन्स पर थी जैसा कि मेरा विचार है। वह माननीय सदस्यों में से जिन्होंने देखी होगी उनको मालूम होगा कि पहिले की ऐक्जीबीशन में और इस ऐक्जीबीशन में जमीन आसमान का अन्तर है। इसके अलावा इन ऐक्जीबीशन्स में हम यह भी रखना चाहते हैं कि रोजाना कोई ऐग्रीकल्चर विभाग का अफसर या एनीमल हजबैंडरी विभाग का अफसर ऐग्रीकल्चर या एनीमल हजबैंडरी पर व्याख्यान दिया करे। आजकल जो लोग उन ऐक्जीबीशन्स में जाते हैं वे यही समझते हैं कि जैसे और ऐक्जीबीशन्स में गये और देखकर चले आये, लेकिन अब हमारा इरादा यह है कि हमारे आफ़ीसरान के ज्ञान में जो इजाफ़ा होता है वह उस एक्जीबीशन्स जे जरिये से और ऐक्जीबिट्स के जरिये से एक या आधा घंटा व्याख्यान देकर देखने वालों को उन चीजों को बताया जाय। और इसके पहिले लोगों को निमंत्रण दिया जाय किस दिन व्याख्यान किस चीज़ के बारे में होगा। इस तरह के ऐक्जीबीशन शो हम रखना चाहते हैं, अगर इस बारे में किन्हीं साहबान को सुझाव देने हों तो उनकी राय पर ग़ौर किया जायगा।

इसके अलावा मैं दो एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय केशव जी ने कहा कि जो बेकार जानवर हैं उन सबको इकट्ठा करके फ़ेब्रीकेट कर दिया जाय। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनका खर्चा कैसे चलेगा ? जो गौ सदन चलाये जा रहेहैं उनका खर्चा चलना ही मुश्किल हो रहा है, अगर कोई ऐसी जादू की चीज़ माननीय सदस्य बता सकें कि जिससे यह हो जाय तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

हमारे यहां गोधन एक त्योहार मनाया जाता है उसके सिलसिले में मैं कुछ माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं। वह यह कि यह त्योहार दीपावली के त्योहार के एक दो दिन बाद मनाया जाता है। वह अब अच्छी तरह से नहीं मनाया जाता इसलिये मैं चाहता हूं कि वह शान के साथ मनाया जाया करे और उस दिन जानवरों की प्रदर्शिनी हो, और उनके सुधारने की जितनी भी बातें हो सकती हैं वह सब गांव वालों को इस दिन बताई जायं। इस सिलसिले में जो माननीय

[श्री चरणसिंह]

सदस्य सुझाव देंगे उस पर गौर किया जायगा और देखा जायगा कि उनको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकता है।

माननीय सभापति जी, बहुत सी बातें कहने को रह गयीं और समय बहुत कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को जो सुझाव देने हैं वे मुझे लिख कर भेजने की मेहरबानी फ़रमायेंगे तो जहां तक संभव हो सकेगा उन पर अमल करने की कोशिश की जायगी। (तालियां)

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब सुना और जितनी भी बातें मैंने उठाई थीं उन पर माननीय मंत्री जी ने प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की शायद इस वजह से कि वे उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान दें और विचार करें। जहां तक ज्यादा ऊन पैदा करने का सवाल है या और भी बहुत सी बातें हैं जो माननीय मंत्री जी ने बतलाई, या डेरी खोलने का सवाल है, सब अच्छी बातें हैं। कोई भी शख्श उसका विरोध नहीं कर सकता। डेरियां खोली जायं और बहुत सी डेरियां खोली जायं। उसमें दो रायें किसी की हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी कोई डेरी खोली जाय तो वह डेरी ठीक से चले, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो खाली डेरी खोल दिया और डेरी खोलने के बाद जो सामान उसमें बने या जो चीजें तैयार हों वे बाजार से मंहगी पड़ें, उसका कास्ट आफ़ प्रोडक्शन ज्यादा हो तो फिर वे बाजार में नहीं चल सकतीं। इस तरह से सामान इकट्ठा होता जाय तो उससे कुछ फायदा होना नहीं है, इधर भी हमको ध्यान देना है। मैंने अलीगढ़ का ज़िक्र किया था कि जितने पहले वहां अफ़सर थे उससे इस वक्त अफ़सरों की तादाद दुगुनी हो गयी है। जो काम एक अफसर पहले करता था उसके लिये दो अफ़सर हो गये हैं। हालत यह है कि वहां सामान अब तक पड़ा हुआ है। दूकानों की संख्या भी कम कर दी गयी है लेकिन अफ़सर अलबत्ता ज्यादा हो गये हैं। हमारी सरकार को चाहिये कि वह इन चीजों को हटाने की कोशिश करे।

जहां तक मवेशियों के नस्ल सुधारने की बात है ठीक है, उनकी नस्ल सुधारनी चाहिये और हम सब इसका स्वागत करते हैं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर गया है कि हमारे यहां के मवेशियों की नस्ल सुधारी जाय। गायें चाहे गांव की हों, चाहे डेरी की हों उनकी नस्ल को तो सुधारना होगा लेकिन अगर नस्ल न बदल सके तो डेरी से गाय ही बदली जाय, यह तो कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है। मैंने पिछली दफा अखबारों में पढ़ा था कि किसी ने डेरी से गाय ही बदल ली थी।

श्री चरण सिंह---आप बहुत बे मौके की बात कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---जो मैंने सुना है वही कह रहा हूं कि ऐसी चीजें न होनी चाहिये। नस्लें बदली जायं, डेरी खुलें, ये सारी चीजें हों इससे किसी को विरोध नहीं है। इन शब्दों के साथ में इसको प्रेस करता हूं।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। अभी रावत जी से मुझे मालूम हुआ है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने यह कहा था कि सेंट्रल डेरी फ़ार्म जो अलीगढ़ में है उसके कुछ कर्मचारियों को नोटिस दे दिया गया है कि उनकी सर्विसेज़ टरमिनेट की जा रही हैं और उनके ख्याल से वे लोग मुस्तकिल थे। परन्तु ऐसी बात नहीं है, वे लोग मुस्तकिल नहीं थे। जब पुराने मालिक के हाथ में डेरी थी, उस वक्त वे लोग मुस्तकिल थे लेकिन जब उनकी डेरी गवर्नमेंट को ट्रांसफर हुई तो उन सब की सर्विसेज़ टरमिनेट कर दी गयीं। वे सब आरजी तौर पर इम्पलायी थे और जिस तरह से सूबे भर के सब आरजी इम्पलायीज़ को नोटिस दे दिया गया है और उनमें से फिर जिनको मुनासिब समझा जायगा, रीइम्पलाय किया जायगा नये टर्म्स पर, उसी प्रकार से उन लोगों को भी नोटिस दे दिया गया है।

दूसरी बात जो डेरी में गायों की नस्ल सुधारने व घी, दूध वगैरह मिलने की बात है उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन डेरीज में गायें अपनी रखी जाती हैं उनको प्रोफिटेबिल कंसर्न बनाना आसान नहीं होता। जैसे कवेंटर ऐसे या दूसरे देशों में भी ऐसी डेरीज होती हैं वहां इनडिविजुअल अपनी गायें रखते हैं और उससे दूध, घी आदि निकालते हैं। तो डेरीज प्रोसेसिंग सेंटर होते हैं न कि प्रोड्यूसिंग सेंटर होते हैं। बम्बई में भी ए० राय या ऐसे ही किसी नाम से एक डेरी खुली है, वह भी दूसरे देशों के तौर पर ही है। उसमें इनडिवीजुअल अपनी गाय भैंस रखते हैं उसके लिये वे ही जिम्मेदार होते हैं। वहां पर केवल उनके रहने के लिये स्थान होता है और जब गाय या भैंसें सूख जाती हैं तब उनके मालिक उनको अपने घर ले जाते हैं। रसिया ऐसे मुल्क में भी कलेक्टिव वाइजेशन की बेसिस पर डेरीज नहीं चल सकीं और जगह की बात ही क्या है। लैंड में भी देखा जाय तो कलेक्टिवाइजेशन की अपेक्षा इनडिवीजुअल लैंड में प्रति एकड़ उपज ज्यादा होती है। इसी तरह से अलग अलग गाय भैंसें रखना, यह तो मैं नहीं कह सकता कि नामुमकिन है लेकिन वह बहुत मुश्किल काम है। इसीलिये भद्रुक डेरी फ़ार्म हो या कोई भी फ़ार्म हो, जब उसके आंकड़े माननीय सदस्य मांगते हैं तो उसमें नुक्सान ही दिखलाई देता है। उसकी वजह यह है कि वहां हजारों जानवर एक जगह रहते हैं। जितना एक व्यक्ति अपने बच्चे से मुहब्बत करता है उसी तरह जानवर भी मुहब्बत रिस्पांड करता है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। तीसरी बात जो जिक्र की कि गाय न बदली जा सकें, इस सिलसिले में मुझे यही कहना है कि हम लोगों को चाहिये कि कुछ उदारता से काम लें। पेटीमाइंडेडनेस आफ़ हार्ट हमको शोभा नहीं देता। कोई उसका जिक्र नहीं था, कोई मौका नहीं था, बिला वजह एक बात का जिक्र करना, बिल्कुल बेबुनियाद बात करना मैं समझता हूं कि यह हमारे सदन के सब माननीय सदस्य की शान के विरुद्ध होगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि इस अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या २५, लेखा शीर्षक ४१, पशु चिकित्सा के अन्तर्गत १,२६,१४,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—सभापति महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६, लेखा शीर्षक ५४, दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १३,७८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

पिछले वर्ष भी हमने मांग तो बहुत कम रक्खी थी लेकिन इस प्रदेश के दुर्भाग्य से हमें खराब दिन देखने पड़े और बहुत ज्यादा रुपया उसमें खर्च करना पड़ा। अब खैर उस तफ़सील में जाना बेकार है। पिछले साल गवर्नमेंट ने जो इस सिलसिले में किया है वह दोस्तों को मालूम ही है कि एक पुस्तिका छाप कर सब माननीय सदस्यों को दे दी गई है और जो कुछ किया गया उसमें सब दर्ज है। हमें इस वर्ष अवश्य आशा है कि हमको ऐसे खराब दिन न देखने पड़ेंगे और परमात्मा करे कि यह १३ लाख ७८ हजार की सारी की सारी रकम बच जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो अनुदान पेश हुई है उसमें एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अधिष्ठाता महोदय जो कुछ भी सरकार ने पिछले वर्ष लोगों की जान बचाने के लिये किया उसकी मैं तारीफ़ करता हूं। सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन जिस प्रकार करना चाहिये था वह किया।

[श्री गेंदा सिंह]

लेकिन उस संबंध में कुछ जरूर आपसे निवेदन करना है और वह यह कि आगे के लिये सरकार को इतना सचेष्ट रहना चाहिये कि इस तरह की स्थिति बार-बार हमारे देश में न आया करे। पहले भी अकाल पड़ा करते थे लेकिन जब कभी अकाल पड़ते थे तो उस अकाल की सारी जिम्मेदारी नेचर के ऊपर नहीं छोड़ देते थे। हमें तो स्मरण है कि जिस समय बंगाल में अकाल पड़ रहा था तो उस समय हमारे देश में महापुरुष महात्मा गांधी ने उस जमाने में कहा था कि कोई प्राकृतिक आपदायें हिन्दुस्तान के हिस्से में ही नहीं है। सारे संसार में प्राकृतिक आपदायें आया करती हैं और उसके लिये फिर सरकार को सचेष्ट होना पड़ता है और सरकार को इस बात का यत्न करना पड़ता है कि ऐसी आपदायें न आयें। भूकम्प आयें, ऊपर से ओले बरसें, ये तो ऐसी आपदायें हैं जिसके लिये तो बहुत कुछ सोचना विचारना पड़ेगा,, लेकिन फसल का मारा जाना और उससे स्थिति ऐसी पैदा हो इसके लिये सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती। । और इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर इन जिम्मेदारियों से बरी होता है तो वह सुबुकदोष नहीं समझा जायगा। मैं इस समय कोई पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता, न गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो कुछ भी घटनायें घटी हैं उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट बख्शा नहीं जा सकता। उसमें बड़ी लापरवाही की, वस्तुस्थिति को छिपाया और जिन लोगों ने वस्तुस्थिति को सामने ले आने की कोशिश की उनको दबाया गया। मैं उसी के साथ एक चेतावनी दे देना जरूरी समझता हूं कि इस वर्ष भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुछ दिन पहले हमको उत्तर दिया था कि पांच हजार गांवों में ओले पड़े हैं और आप सोच सकते हैं कि ५ हजार गांवों में ओले पड़ने के बाद एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि देवरिया जिले में, गोरखपुर और उसके आस-पास एक मर्तबा ओला पड़ा और उसकी चोट नहीं पूरी हो पायी थी तब तक आज फिर एक सप्ताह होता है ओले पड़ गये और जो फसल इस समय पक कर तैयार भी थी उस फसल की माननीय राजस्व मंत्री जी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी। हमको इस अनुमान के लगाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिये। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की खिदमत में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी तरफ से इस अनुमान के लगाने में हमेशा खींचातानी हुई। मैं तो उसका भुक्तभोगी हूं। इस वर्ष जब खरीफ की फसल बरबाद हो गई तो मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी को उसकी सूचना दी थी और यह भी निवेदन किया था कि बेहतर होगा कि कृषिविशेषज्ञ लोगों को वहां भेजकर आप स्वयं पता लगवा लें कि फसल की क्या हालत है। लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है और उन लोगों का दुर्भाग्य है जो मेरे क्षेत्र में रहते हैं कि वे माननीय राजस्व मंत्री के कृपाभाजन नहीं बन सके और माननीय राजस्व मंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज उनको यह गुंजाइश है कि जब हम कहते हैं कि फसल की जांच होनी चाहिये तो वह कहते हैं कि फसल खड़ी नहीं है। तो मुसीबत की जड़ जो होती है उसको दूर करना चाहिये। यह बीमारी नयी नहीं है। बड़ी पुरानी बीमारी है। इस बात को वह अपनी रिपोर्टों में भी स्वीकार करते हैं। वह यह कि अंग्रेजों के जमाने में यह उपेक्षित जिले थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पानी चूंकि बहुत ज्यादा बरसता था इसलिये नहरों की आवश्यकता नहीं पड़ी। इत्तिफाक से अंग्रेज चले गये और अंग्रेज गये अपने साथ-साथ पानी भी लेते गये और उनके जाने के साथ-साथ वहां सूखा भी अब पड़ने लगा पूर्वी जिलों में, उन उपेक्षित जिलों में। तो उन उपेक्षित जिलों का ध्यान रखिये और उनकी बुनियाद को दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमको कब तक ग्रेटिचुट्स रिलीफस के बदौलत जिन्दा रखेंगे। रोज खैरात के लिये हमारे अभावग्रस्त इलाके के लोग उनके सामने हाथ पसारें यह मुनासिब बात नहीं है। पिछले वर्ष लाखों रुपये खर्च किये गये और अब इस समय, समय नहीं है मैं दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं और मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे चाहूंगा कि मुझे दो एक मिनट और वक्त दें, ताकि मैं उस समस्या को रख सकूं। एक वर्ष तो जब मुसीबत हमारे सामने आ ही गई तो हमने २६ लाख रुपये की मालगुजारी माफ की। ६६ लाख रुपये का टेस्टवर्क कराया और ११ लाख रुपये लोगों को ऐसे ही मुफ्त

खाने के लिये बांट दिया गया और १ करोड़ रुपये के करीब की तकावी बांटी गई। यह सभी बातें तब हुई जब आग लग चुकी थी और आग लग चुकने के बाद यह सब होने से वह फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिये था। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अब भी कहूंगा कि इन जिलों की हालत को जानते हुये ठीक-ठीक जांच कराने की कोशिश करेंगे कि अगले महीनों में इस तरह की मुसीबतें न आने पावें।

मैं एक बात आपसे अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीज जानबूझकर छोड़ी न जाय इस पर थोड़ा अवश्य विचार करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम बम्बई, मद्रास, आसाम, मध्य प्रदेश इन सूबों को देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि करोड़ों आदमियों को राशन देने का बन्दोबस्त पहले से था। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का फुड बुलेटिन हमारे पास है इसमें मौजूद है। इसमें १ दिसम्बर १९५१, में है कि बम्बई को २ करोड़ आदमियों के लिये राशन दिया जाय, मद्रास के २ करोड़ आदमियों को राशन दिया जाय। इसी तरह से आसाम के लिये भी १२ लाख आदमियों के लिये राशन की व्यवस्था कर दी गयी थी, लेकिन हमारे यू० पी० के लिये ४१ लाख और कुछ ऐसी ही संख्या दी हुई है जो कि उन लोगों को दी जाय। इस प्रकार की हालत हमारे इस उत्तर प्रदेश की है। हम अपनी हालत को छिपाकर गवर्नमेंट आफ इंडिया के सामने सुरखुरू बनना चाहते हैं और उस सुरखुरू बनने की वजह से हमको मुसीबत में पड़ना पड़ता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि दुर्भिक्ष के प्रश्न को लेकर हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रश्न के ऊपर यहां पर बहस करें और बार-बार इसको यहां पर उठाया जाय। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि १८७२ ई० में गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी की आबादी जहां ८८ लाख की थी सन् १९५१ ई० में आकर वह १ करोड़ ५६ लाख की हो गयी और हमारा सारा प्रदेश, जिसकी जनसंख्या ४ करोड़ २६ लाख थी उसकी आबादी ६ करोड़ ३२ लाख हो गयी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी गरीबी बढ़ती जाती है। जब हमारी गरीबी बढ़ती जाती है तो हमारे यहां औलाद भी ज्यादा बढ़ती जाती है। जब बेकारी और गरीबी देश में बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ा ही करती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस गरीबी का इलाज अभी तक हम निकाल नहीं सके हैं। इसका कारण यही है कि जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा तब तक हम अकाल के शिकार होते ही रहेंगे। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी से आंकड़ों की बात नहीं करता हूं कि वह इन घरों की तरफ देखें कि क्या बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के लिये वहां पर उतना अनाज पैदा होता है, और अगर पैदा होता है तो वह किन लोगों के घरों में चला जाता है? अगर इस बात को वह देखने का कष्ट करेंगे तो हमारी मुसीबत बहुत कम हो जायगी।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—दुर्भिक्ष और सरकार में बड़ा भारी संबंध है। दुर्भाग्य से पूर्वी जिले आजकल दुर्भिक्ष के एक बड़े भारी किले बने हुये हैं। ३, ४ वर्ष लगातार सूखा पड़ने की वजह से पूर्वी जिले जर्जर हो चुके हैं। मैं उन पूर्वी जिलों की तरफ बड़े विनम्र शब्दों में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब पिछले दिनों जब वहां पर अकाल की दशा उत्पन्न हो गयी तो सरकार की तरफ से बहुत देर में वहां पर सहायता पहुंची सरकार की तरफ से जो सहायता उनको दी गयी उनके लिये मैं पूर्वी जिलों की तरफ से उनको धन्यवाद तो दे ही रहा हूं लेकिन यदि वह सहायता समय से वहां पर आ जाती जब कि लोगों के परिवार दाने-दाने के लिये मुहताज थे और सारे जिले में हाहाकार मचा हुआ था सरकारी कर्मचारियों के ग़लत रिपोर्ट देने की वजह से वह सहायता वहां पर ठीक समय पर से नहीं पहुंच सकी और उस हालत में लोगों को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। अभी पिछले दिनों वहां पर ओले गिरने से वहां की सारी फ़सल जर्जर हो चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जिले किस स्थिति को जा रहे हैं और यह स्थिति वहां पर कब तक रहेगी? वहां पर सब से बड़ी समस्या पानी की है। जब तक वहाँ नहरों की समस्या या कुओं की समस्या पानी देने के लिये हल नहीं होती तब तक वह जिले लगातार सूखा पड़ने की वजह से जर्जर होते रहेंगे। इसलिये सरकार से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपना ध्यान इन पूर्वी जिलों की तरफ आकर्षित करे जिससे उनको अकालग्रस्त होने से बचाया जा सके। एक बात मैं यह

[श्री राजदेव उपाध्याय]

कहना चाहता हूं कि वहां पर जो गन्डक नदी बह रही है उससे नहर निकाल कर पानी का प्रबंध किया जा सकता है और सिंचाई का इंतजाम हो सकता है । इससे सिंचाई के लिये पानी मिल सकेगा और उस पानी का सदुपयोग हो सकेगा और इससे वहां के लोगों को बहुत राहत मिल सकती है। यदि सरजू नदी के वेग को रोक कर उसके पानी से एक नहर का प्रबंध किया जाय तो वहां की जनता का कृषि उत्थान से अधिक लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वहां की जो गन्डक नदी है और जो सब से बड़ी नदी वहां की है कि जिसके जल का यदि उपयोग किया जाय तो लाखों एकड़ की खेती हो सकती है, परन्तु उस की बाढ़ के कारण लाखों किसान आज तबाह हो रहे हैं पर सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर जल्द से जल्द गन्डक से नहर निकालने का प्रबंध किया जाय तो वहां बाढ़ की समस्या भी हल हो सकती है और वहां आबपाशी का भी प्रबंध हो सकता है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान उत्तरी देवरिया की तरफ विशेषकर दिलाना चाहता हूं। यह उत्तरी एरिया एक जंगली एरिया है और हमारा अन्दाजा था कि वहां की स्थिति पारसाल से इससाल अच्छी रहेगी लेकिन चार पांच बार वहां ओला पड़ जाने से कहा नहीं जा सकता कि क्या हालत वहां की आगे होने वाली है और उसके क्या परिणाम होंगे ? इसलिये वहां के किसानों को जल्द से जल्द सरकार को दुर्भिक्ष ग्रस्त एरिया की तरह सहायता करना चाहिये। यह न होना चाहिये कि बार-बार वहां की ग़रीब जनता और जिले के लोग आ कर सरकार के दरावाजे खटखटाये तब कोई क़दम उठाया जाय और दो तीन महीने बाद गल्ले कां स्टाक भेजा जाय। इसलिये जब आग लगे उस समय कुवा खोदना ठीक नहीं होता, आग लगने से पहले ही कुवाँ खोदना चाहिय। सरकार को महज़ सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट पर ही विश्वास न करना चाहिये बल्कि जो वहां के जनता के प्रतिनिधि हैं उन की बातों पर भी विश्वास करना चाहिये और ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि वहां के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, कहां इमदाद होना चाहिये कहां नहीं होना चाहिये। मैं अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों की हालत पारसाल तो दयनीय थी ही लेकिन इस साल भी उससे अधिक दयनीय हो रही है, और सदन के लोग जानते हैं कि वहां जो हरिजन आदि ग़रीब लोग हैं वह आज भी गोबरी खाते हैं। जहां जिस प्रदेश में आज भी लोग गोबरी से निकाल कर अनाज खाते हैं क्या यही स्वराज्य है, क्या यही आजादी है, क्या यही विकास के मानी हैं, क्या इसी को जनतन्त्र राज्य कहते हैं कि जहां पशु के पाखाने से लोग अन्न निकाल कर खा जायं और जहां के बच्चे अन्न न मिलने से पार साल गांवों में गाते फिरते थे कि :

"पलवा ताल प्राण जाला विधाता।
सवा सेर की मकई बिकाता।।"

यह वहां का जनगीत बन गया था। इसलिये मैं वहां की जो आगे हालत होने वाली है उस की तरफ सरकार का अभी से ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि जो भी सहायता दी जाय वह समय पर ही पहुंच सके।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे एक साथी श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि अंग्रेज तो यहां से चले गये लेकिन वह यहां से पानी भी ले गये। महा कवि रहीम दास जी कहते हैं कि--

"रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।।"

मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि यथार्थ में अंग्रेज पानी ले गये और उन्होंने बहुत अधिक प्रयास यहां से गंगाजल ले जाने का किया। वह हवाई जहाज के द्वारा गंगाजल ले गये, पानी के

जहाज के द्वारा भी ले गये। अब सवाल यह है कि पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वह इस लिये नहीं मिल रहा है कि वह हमें ऐसी कुमति का पाठ पढ़ा कर गये कि जिस की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। परन्तु प्रश्न यह है कि पानी मिले कैसे ? हमारे पूज्य महात्मा-गांधी जी कहते थे कि देश में आजादी मिलने के बाद रामराज्य करेंगे । राम राज्य में मांगने से पानी किस तरह मिलता था ? गोस्वामी जी ने कहा है कि–

"मांगे वारिद देह जल रामचन्द्र के राज।"

रामराज्य में तो जल मांगने से ही मिल जाता था। आगे महा कवि तुलसी दास जी ने यह भी कहा है कि–

अब ! दैव न बरसे धरणि पर बये न जामें धान।

अब बीज क्यों सूख जाता है। वह इस कारण से सूख जाता है कि उस की तह पर पहुंचने का प्रयास नहीं किया जाता है और कुमित रूपी डायनी बीच में आ जाती है। गांधी जी ने तो हमें शिक्षा दी थी कि कोरे कर्म से ही हम सुखी नहीं हो सकते हैं जैसा कि रामचरित्र मानस में भी गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि:--

"सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ।
जेहिं न राम पदपंकज भाऊ।।"

यही नीति पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी अपनाई थी। यह मानव समाज को उन्होंने शिक्षा दी थी। यदि मानव समाज उस नीति को अपनाता तो कोई मानी नहीं है कि पानी न बरसे, हमारे खेतों में अन्न की भरमार न हो, और केवल यही नहीं कि हमें अपने खाने भर को अन्न मिले वरन् सारे मानव समाज को हम खिला सकें। जब तक हम उन साधनों को नहीं अपनाते तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने देखा कि हमारे महात्मा गांधी जी जिस गांव में जाते थे लाखों की सम्पत्ति उन के चरणों में न्योछावर होती थी। आज आप अपने धर्मग्रन्थों में देखें। रामचरित मानस में भी पूज्य गोस्वामी जी ने कहा है कि:--

जिमि सरिता सागर मंह जाहीं।
यदपि ताहि कामना नाहीं।।
तिमि सुख सम्पत्ति बिनहि बुलाये।
धर्मशील पर जाहिं सुभाये।।

दुनियां की सम्पत्ति, दुनियां का धन, दुनिया का सम्मान, बिना बुलाये महापुरुषों के पास आता है। हमारे महात्मा गांधी के चरणों में लाखों की सम्पत्ति क्षणों में आ जाती थी क्योंकि उन्होंने मनुष्यता को अपना रखा था। स्वयं सुखी रहते थे और दुनिया के समाज को सुखी बनाने की चेष्टा करते रहते थे। लाल रोशनी जल चुकी है। मैं थोड़े शब्दों में अपने हृदय के विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि हमारे भारतीय उसी शैली को अपनायें जिसकी शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी । उस के अन्दर हमारा भविष्य वैसा ही उज्वल और सुखमय हो जायगा जैसा कि किसी जमाने में था। जब कि दुनिया के कोने-कोने से लोग हमसे शिक्षा ले कर अपने देश की उन्नति करते थे। आज हम उन्हीं ऋषियों, मुनियों की सन्तान हैं। भारत को हमें वैसा ही सुखमय , वैभवशाली और उन्नतिशील बनाना है। हमें भारत को उठाना है। हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट में जो रुपया दुर्भिक्ष सहायता के लिये रखा गया है केवल पांच लाख रुपया निर्मूल्य सहायता दी जायगी। बाक़ी नौ लाख रुपये का इन्तजाम होगा। यह बजट में लिखा है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। अगर सरकार दुर्भिक्ष मिटाना चाहती तो एक साल के अन्दर मिटा सकती है। दुर्भिक्ष पूर्वी जिलों के सिवा पश्चिमी जिलों में तो पड़ता नहीं। हां यह जरूर है कि खेतिहर

[श्री उमाशंकर]

मजदूर जहां-जहां हैं वहां उनके लिये दुर्भिक्ष होगा। वे सभी परेशान होंगे। पूर्वी जिलों में तो दुर्भिक्ष पैर तोड़कर बैठा ही है। इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। पारसाल दुर्भिक्ष ने जो पूर्वी जिलों में नंगानृत्य किया, जिसके कारण जितने माई के लाल वहां मरे हैं माननीय सदस्यों को मालूम है। हम लोग इस सदन में बैठकर उनकी मृत्यु पर बहस करते रहे हैं। सरकार हमारी बात हरगिज मानती ही नहीं थी कि वहां दुर्भिक्ष पड़ा। बड़ी मेहनत करने के बाद सरकार ने कहा कि कुछ अभाव हो गया है। सरकार ने कहा कि यूं तो अभावग्रस्त क्षेत्र ही है कुछ थोड़ा सा अभाव और बढ़ गया है। उसी क्षेत्र के रहने वाले दो तीन प्रतिनिधि इस सदन में आये हैं आदमी जहां भूखों मर रहे थे। अगर किसी ने जाकर देखा और सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई तो एकाध ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने ग़लत होने का बयान दिया। खाने बिना वहां चमरवट मर रही है, तीन दिन से फाका हो रहा है, तो भी प्रतिनिधि लोग बयान दे देते हैं कि ऐसा वहां हर साल होता है।

हमारी सरकार उस दुर्भिक्ष को मिटाना नहीं चाहती है बल्कि सहायता देना चाहती है। इसमें लिखा भी है "दुर्भिक्ष सहायता"। हां, तो दुर्भिक्ष को सहायता हमारी सरकार जरूर दे रही है। अगर सरकार दुर्भिक्ष को मिटाना चाहती तो उसका एक तरीका यह था कि आप प्रत्येक १० बीघे पर एक पक्का कुवां बनवा देते। मैं कहता हूं कि दुर्भिक्ष की मद नहीं रखनी पड़ती बजट में। चीन की सरकार ने दो वर्ष के अन्दर पचास लाख कुएं बनावा कर दुर्भिक्ष को निकाल कर फेंक दिया और शायद वह आपके यहां चला आया। इस तरह से आप दुर्भिक्ष निकालना नहीं चाहते हैं बल्कि भीख देने के लिये एक केंद्र खोलना चाहते हैं। ए० पी० की दूकानें खोली जाती हैं इस वास्ते कि कुछ खास लोग मुनाफा उठावें। एक सदस्य जो कांग्रेसी हैं कल बतला गये हैं कि सोशलिस्ट पार्टी में तो चोर-डाकू बैठे हैं, मैं उन ब्लैकमार्केटियर को क्या कहूं? आप पता लगाइये आजमगढ़ के जिले में जो शाप्स खुली हैं उसमें कितने कांग्रेसी लोग साझी हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन प्वाइंट आफ आर्डर। ऐसे सभ्य सदन के सामने किसी को ब्लैकमार्केटीयर कहा जाय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य अपने शब्दों को वापस लें।

अधिष्ठाता (श्री उमाशंकर से)—आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री उमाशंकर—मैंने और कुछ तो कहा नहीं है। मैंने तो एक सही बात रखी है और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन को आप भी यही कहेंगे।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं समझता हूं कि ऐसा गम्भीर आरोप अगर किसी पर लगाया जाय तो उस आदमी का नाम लिया जाय, क्योंकि किन्हीं एम० एल० ए० के लिये उन्होंने ऐसा कहा।

अधिष्ठाता—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उमाशंकर—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि नाम जानने के लिये बनारसी दास जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। श्री दलेल सिंह, सी० आई० डी० के सुपरिंटेंडेंट मौजूद हैं उन से मालूम करें कि उनकी जांच क्यों नहीं हो पायी? बनारसी दास वहां गये थे जांच करने, तो क्या उन्हें मिला? उनसे बात करने से सब मामला साफ हो जायगा। अब तो कम से कम उनको मालूम हो गया होगा कि कौन लोग ऐसे हैं।

तो मैं आपसे यह कह रहा था कि अगर हम गम्भीरता से दुर्भिक्ष पर विचार करने लग जायं कि दुर्भिक्ष को इस राज्य से खत्म करना है तो वह रह नहीं सकता है, वह फौरन् यहां से खत्म हो जायगा। मगर हमारी सरकार दुर्भिक्ष में हमारे साथ मखौल उड़ाना चाहती है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के सारगर्भित भाषणों को सुना है, लेकिन मुझे तो यह नजर आता है कि हमारे प्रान्त में अनाज और दूसरी चीजों का फैमिन तो है ही, उसके अलावा बहुत सी दूसरी चीजों का भी फैमिन है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने इस दिशा में कोशिश की है कि इन फेमिन्स को मिटाया जाय। परन्तु इसका हमें दुःख है कि बावजूद उस अधिक प्रयास के हम लोगों को इस दिशा में सफलता नहीं हुई। उसका कारण यह है कि दुर्भिक्षों को समझने के लिये मैंने इस सदन में पहले ही एक सुझाव दिया था कि इस स्थिति को दुर्भिक्ष कहना, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। दुर्भिक्ष तो तभी कहा जाता है जब कि कई सालों के दौरान में एक बार कोई चीज अनायास ही हो जाती है और जब कि उसके होने की कोई सम्भावना नहीं रहती है। परन्तु जो चीज एक रेगुलर फ़ीचर आफ लाइफ हो जाती है उसको दुर्भिक्ष कहना, यह ग़लत नाम दुर्भिक्ष को दिया गया है, और उसी कारण मैंने यह सुझाव दिया था कि इस सरकार को इस बात की निहायत जरूरत है कि एक दुर्भिक्ष मिनिस्टर अवश्य बनाया जाय और दुर्भिक्ष का अगर अलग डिपार्टमेंट खोल दिया जाय तो सरकार उन दुर्भिक्षों को दूर करने में मुमकिन है कि सफल हो।

हमारे मित्र गेंदा सिंह जी को बड़ा भय है कि आबादी बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हमारे मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने यह सजेस्ट कर दिया है कि आबादी को रोकने का तरीक़ा और भी हो सकता है और जब जानवर की नस्ल सुधारी जा सकती है तो इन्सानों की भी नस्ल सुधारी जा सकती है और गेंदा सिंह जी का जो भय है उसको दूर भी किया जा सकता है अगर कैटेशन जानवरों का हो सकता है तो मेल्स का भी हो सकता है, ऐसी कोई फ्रिक की बात नहीं है। इसलिये अगर बुद्धि से काम लिया जाय तो उनको भय की गुंजायश इस सदन में नहीं रह जाती सदन के बाहर भले ही रह जाय, यह दूसरी बात है।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक दुर्भिक्ष की बात है, मैं तो यह सुझाव पेश करूंगा कि बहुत से जितने दुर्भिक्ष हो रहे हैं उनमें इन्सान का हाथ है। क्योंकि अगर इन्सान अनैलेसिस करके सिचुएशन को देखे तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि पहाड़ों के ऊपर कहा जाता है कि फ्लड्स आई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, यह इन्सान के ऊपर है। जिस इन्सान ने हरे-भरे जंगलों को काटकर पहाड़ों को नंगा कर दिया है और पहाड़ की जमीन बरसात से कटती है और सारे प्लेन्स में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है। क्या यह इन्सान की नासमझी का कारण नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर बुद्धि से काम लिया जाय तो इन बाढ़ों को रोका जा सकता है और बाढ़ पीड़ित लोगों को बहुत अच्छी तरह से मदद की जा सकती है। मैंने सुना कि घाघरा नदी में जब बाढ़ आती है तो वहां के लोग पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक दिन में तो इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन राइट स्टेप उठाने की जरूरत है। क्या कारण है कि उसको सही रास्ते से न रखा जाय? उसके किनारे बड़ी-बड़ी दीवारें बनाकर घाघरा नदी की जो बाढ़ आती है उससे बचा जा सकता है।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—मान्यवर महोदय, इतिहास इस बात का सबूत है कि देशों में समय-समय पर कभी-कभी दैवी प्रकोप हुआ करते हैं। सन् १८६६ से लेकर सन् १८७८ तक की रिपोर्ट देखने से यह मालूम होता है कि हमारे सामने कई एक भंयकर अकाल आये, लेकिन हमारे यहां की विदेशी सरकार उनका कुछ भी मुकाबला न कर सकी जिसके फलस्वरूप देश जर्जर होता चला गया और उस के बाद भी हमारे देश के ऊपर विपत्तियां आ रही हैं। सन् ५१-५२ में हमारे राज्य के अन्दर पूर्वी जिलों में ऐसी मुसीबत आयी, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जहां हम लोग जनता की उन परेशानियों को दूर करने के लिये, और जहां हमारी सरकार आज जनता के उस गांव के निर्माण कार्य से गुजरती हुई राज्य को दृढ़, सम्पन्न, शक्तिशाली, मजबूत और वैभवशाली बना करके, दुनियां के दूसरे देशों के मुकाबले में लाना चाहती है, वहां हमारे यहां विरोधी शक्तियां देश में आने वाली मुसीबत से अपने प्रोपोगंडे द्वारा नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। यह बात सही है।

[श्री शिवप्रसाद]

अभी-अभी हमारे देवरिया जिले के अन्दर जो अभाव हुआ हमारी सरकार ने उस अभाव का डटकर मुकाबला किया। यह बात सत्य है कि वहां की जनता के ऊपर मुसीबत आयी लेकिन उस मुसीबत को हरण करने के लिये हमारी प्रदेशीय सरकार ने अपनी सारी शक्ति को लगाया लेकिन वहां के जो हमारे सोशलिस्ट मेम्बर यहां चुन कर आये हैं, मान्यवर महोदय, उन लोगों ने जनता की उस मुसीबत को खिलवाड़ बना कर उससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। वह गांव-गांव जाकर जनता को बरगलाते थे कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस की सरकार ने किया, उन की सरकार ने या हमारी सरकार ने। लेकिन जनता के बीच में उनको बरगलाने के लिये उन्होंने हर तरह की पूरी कोशिश की। उनसे कहते हैं कि हमने असेम्बली में वाक आउट किया, हमने असेम्बली में नारे लगाये तब जा कर सरकार ने सहायता दी है। उन राजनीतिक व्यक्तियों को मालूम होना चाहिये कि जनता की मुसीबतों के साथ खिलवाड़ करके अगर वह चाहें तो उन्नति नहीं कर सकते हैं, देश को आगे ले नहीं जा सकते हैं। देश में उनकी राजनीति इस तरह से पनप नहीं सकती है और जनता की आने वाली संतानें उनके ऊपर थूकेंगी और कहेंगी कि यह हमारे देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की थी। उन्होंने हमारी शक्तियों को हमारी सरकार की दी हुई चीजों को जनता के बीच में बरगला कर गांवों में एक ऐसा जाल पैदा किया जिससे कि हमको उनका सामना करना पड़ा। हमारे पडरौना तहसील की जो हालत हुई थी उस के सिलसिले में गरीबों के बीच में असन्तोष फैलाने के लिये इन लोगों ने यह भी कहा था पंडित रामधारी पांडेय भूतपूर्व एम० एल० ए० के बारे में कि उन्होंने असेम्बली और पंत जी के सामने (धानकी बाल) प्रस्तुत किया था कि इतनी पैदावार हुई है। मैं पूछना चाहता हूं और हमारे कितने ही सम्मानित सदस्य पुराने भी मौजूद हैं कि क्या इस प्रकार से उन्होंने किया था। तो इस प्रकार जनता को धोखा दे कर, जनता को बरगला कर, उनकी भावनाओं को आप अपनी तरफ नहीं खींच सकते। हमें व्यावहारिकता की दुनिया में आना होगा।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जब हमारे यहां अभावग्रस्त क्षेत्रों की वह स्थिति पैदा हुई तो हम कांग्रेसी जितने सदस्य थे सबने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, माननीय राजस्व मंत्री जी को अपने यहां हम लोग ले गये, माननीय बनारसी दास जी ने हमारे जिले में डट करके वहां की परिस्थितियों को अध्ययन किया और सरकार ने उसका मुकाबला किया।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं अपनी गवर्नमेंट को, मिनिस्टर साहब को और इस विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट में इस रकम को रखा कि जिससे वक्त पर सहायता हो सके। उसके बाद मैं आपसे यह अर्ज करता हूं कि अभी तक मैंने अपने क्षेत्र की बात नहीं कही। मेरा यह खयाल था कि अपनी सरकार है, अपने कर्मचारी हैं, तो जब सब एक ही दृष्टिकोण रखते हैं, आंखें दो हैं मगर निगाह एक है, सभी भलाई करना चहते हैं तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि याद दिलाने की आवश्यकता है और ध्यान दिलाना चाहिये, विशेषकर जब चारों तरफ से अपनी-अपनी बातें कही जायं और एक आदमी चुप रहे तो हो सकता है कि उधर ध्यान न दिया जाय। इसलिये मैं अपने क्षेत्र की तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप यह आवश्यक समझते हैं कि पश्चिम की तरफ हमसे ज्यादा जरूरी है इमदाद करना, तो बड़े शौक से इमदाद कीजिये, पश्चिम के लोगों की सब बातों को सुनिये, और पूरब की भी, उत्तर की भी तथा दक्षिण की भी किन्तु जहां जरूरत हो, उसकी इमदाद कीजिये। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र हरैया दक्षिण पश्चिम यह अयोध्या से उत्तर तरफ है और घाघरा नदी बहती है। कभी-कभी देखने में भी बहुत अच्छा मालूम होता है, अयोध्या करीब ही पड़ता है, लोग झूला भी देखने जाते हैं

लेकिन जिस वक्त बाढ़ आ जाया करती है, तो वह आनन्द देने वाली सरयू नदी जो भवसागर पार कर देने वाली भी है बहुत बुरी मालूम होती है और लोग परेशान हो जाते हैं। अधिष्ठाता महोदय, जिस सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली-हरियाली दिखलाई पड़ती है, उस वक्त जब पानी बरसता है और आकाश में काले बादल निकलते हैं तो किसानों के सिर पर विपत्ति के बादल मंडराते हैं। आकाश से पानी बरसता है और किसानों की आंखों से जल बरसता है। फर्क यह होता है कि पानी बरसने से खेती हरी होती है और उनके आंखों से आंसू बहने से उनका कलेजा सूखता है। ऐसी दशा में भी जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने फरमाया कि बाढ़ आ जाने के बाद जब अधिकारी बून्द चिट्ठी भेजते हैं तब जवाब आने अथवा सामान पहुंचने में देरी होती है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि बाढ़ आने से पहले सामान भेज दिया जाय, तहसीलदार के पास ताकि जिस वक्त आवश्यकता पड़े जरूरत मन्दों को इमदाद पहुंचा दी जाय। उक्त स्थान में बाढ़ के बाद ओले भी पड़ गये। इसके अलावा अभी हाल में जमींदारी खत्म की गयी है, शर्त यह थी कि मुआविजा दिया जायगा, मुआविजा भी नहीं दिया गया। जो पहले के जमींदार थे उनके खेतों में पैदावार कम होती थी, इधर फसल में भी नुक़सान हो गया है, तिस पर लगान देना है, तकाबी देनी है, कुर्की पहुंचती है। ख्याल यह था कि स्वराज्य मिलने के बाद आनन्द की जिन्दगी बसर करेंगे लेकिन उन्हें कुछ तो प्रकृति का प्रकोप और कुछ कुर्क अमीन का तकाजा परेशान करता है। इतना ही नहीं उनके जेवरात बनियों के यहां पहुंच गये हैं, मेहमान आते हैं, तो खाना देने से इनकार कर नहीं मिलता है, और फिर मालगुजारी के बकाया में हवालात में बन्द होना पड़ता है। मैं अर्ज करता हूं कि ग़रीब होना कोई पाप नहीं है। कोई जुर्म नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका सामान नीलाम कीजिये लेकिन जेलखाने में बन्द करना कहां का न्याय है। साथ ही इस पहलू पर भी ध्यान दीजिये कि केवल उसी के जिम्मे आपका बकाया नहीं है बल्कि आपके जिम्मे भी उसका बाकी है। चूंकि आपने मावजा देने का वादा किया है, कानून कायदे बन रहे हैं, हिसाब जोड़ा जा रहा है और आपको उसको देना है। तो जिसको मुआविजा देना है कम से कम उसको गिरफ्तार न किया जाय और उसके यहां कुर्की न भेजी जाय।

(इस समय ४ बज कर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मेहरबानी करके हिसाब तैयार करने में जल्दी किया जाय ताकि जो उसको देना है वह मालगुजारी में काट लिया जाय। इस मुसीबत से आप बचाइये, अगर आप बचायेंगे तो मैं अर्ज करता हूं कि दुर्भिक्ष रोकने में उनसे मदद मिलेगी फलस्वरूप दुर्भिक्ष आयेगा ही नहीं। (दैहिक दैविक भौतिक तापा—राम राज्य यह काहु न व्यापा।), चरितार्थ होने लगेगा।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़) माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष निवारण के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी ने १३,७८,५०० रु० का दान पूर्वी जिलों के लिये दिया है। इसके अतिरिक्त दिखावे के रूप में जो दान पूर्वी जिलों को मिला करता है या दुर्भिक्ष पीड़ित हिस्सों को मिला करता है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्व मंत्री ने जितना किया है दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्रों के लिये, उन्होंने भरसक दुर्भिक्ष निवारण के लिये प्रयत्न किया है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्र जो कि ज्यादा पूर्वी जिले हैं, यदि वहां से सरकार दुर्भिक्ष निवारण करना चाहती है तो कृपा करके सरकार दान देने की प्रथा बन्द कर दे। मैं पूर्वी जिलों के सम्मानित माननीय सदस्यों से भी और जनता से भी यह निवेदन और अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भी साहस करें और इस दान की रकम को लेना अस्वीकार कर दें। यदि पूर्वी जिलों के दुर्भिक्ष की समस्या को हल करना है तो यह समस्या दान दे करके और दान लेकर के हल नहीं की जा सकती है, यह समस्या हल की जा सकती है दान की प्रथा को

[श्री पद्मनाथ सिंह]

बन्द करके और साहसपूर्ण कदम उठाने से। पूर्वी जिलों में दुर्भिक्ष को दूर करने के लिये रिहन्ड डैम और घाघरा वैली प्रोजैक्ट की स्कीम ही कारगर हो सकती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सेंटर से जो सहायता मिली है वह अन्य प्रदेशों से यानी यूनियन के दूसरे प्रदेश बाम्बे आदि-आदि से बहुत कम मिली है। राजस्व मंत्री जी क्रान्तिकारी विचार के आदमी हैं जिन्होंने इस विषय में कदम उठाया है उन्हें पूर्वी जिलों के दुर्भिक्ष पीड़ित भाग की समस्याओं को हल करना है वे जोरदार शब्दों में सेंटर से रिहन्ड डैम और घाघरा वैली प्रोजैक्ट के लिये सहायता अवश्य प्राप्त करें तभी यह समस्यायें हल हो सकती हैं। मैं जानता हूं कि रिहन्ड डैम के लिये जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया है वह केवल आंसू पोछने के लिये है। घाघरा वैली प्रोजेक्ट के लिये मैंने इरीगेशन के चीफ इंजीनियर से बात की उन्होंने कहा कि रुपया नहीं है इसीलिये मैं वहां पर कोई काम नहीं कर सकता यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि रिहन्ड डैम और घाघरा वैली प्रोजैक्ट अगर कारगर कर दिये जायं तो पूर्वी क्षेत्र जो दुर्भिक्ष क्षेत्र कहे जाते हैं वे एक हरे भरे बाग में परवर्तित किये जा सकते हैं। यह क्यों नहीं हो सकता मगर दान दे करके और सहायता की भीख दे करके आंसू पोछने से कब तक काम चलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि इस काम को करना है तो धन की कमी नहीं है। स्त्रियां अपना गहना बेच करके और पुरुष अपना खाना छोड़ करके और दिन रात लेबर दे करके सरकार को आश्वासन दे सकते हैं यदि कोई बड़ी स्कीम दी जाय। घाघरा नदी जब बढ़ती है तो चार महीने पानी भरा रहता है और उस वक्त कोई फसल नहीं होती है। मैं पूर्वी जिलों की जो स्थिति है, जो रोना है उसको नहीं रोना चाहता। पूर्वी जिले इस सरकार की और इस स्टेट की समस्या बन गये हैं। गवर्नर ने भी, प्रधान मंत्री ने भी और सरकार ने भी जोर दे करके पूर्वी जिलों को एक समस्या मान लिया है। यदि वे एक समस्या हैं तो दान देने से और तकाबी देने से समस्या हल नहीं हो सकती। दो कदम उठाने की जरूरत है। एक तो सेंटर को इस बात के लिये प्रभावित करे कि जैसे उन्होंने अन्य प्रदेशों को पर्याप्त धन दिया है इस स्टेट को क्यों नहीं दिया है। हमें मालूम करना चाहिये कि क्या बात है कि इस प्रदेश में सहायता कम है। आपको वहां से पर्याप्त सहायता प्राप्त करनी चाहिये। दूसरे मैं यह भी चाहूंगा कि आप वहां कुछ स्पेशल जोन्स करार दें। उससे आप स्पेशल प्रार्विस से या स्टेट के मानी न लगावें। मेरा निवेदन है कि आप उसकी नदियों का सर्वे करावे। कितनी बड़ी भी रक़म आप बरबाद कर डालें, मैं बरबाद का प्रयोग इसलिये कर रहा हूं कि जो कुछ आप इस समय और जिस ढंग से कर रहे हैं उससे हमारी समस्या हल नहीं होती है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रिहंड डैम के निर्माण में जल्दी करें और तेजी से काम करें और घाघरा को ड्रेन करने में जल्दी करें। आप देखेंगे कि इससे पूर्वी जिले जल्दी ही सम्पन्न हो जायंगे और हमारी समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर जी मिश्र ने आजमगढ़ जिले के कांग्रेसी एम. एल. ए. के सम्बन्ध में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है कि वह ब्लेकमार्केटियर के साथी हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और उनसे कहता हूं कि या तो उन्हें इतना साहस करना चाहिये था कि उसका नाम बताते या ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये थी मैं भी कह सकता हूं कि जब माननीय उमाशंकर जी कांग्रेस में थे तो एक . . .

श्री अध्यक्ष—आप इसका जवाब इस तरह से नाम लेकर नहीं दे सकते हैं।

श्री पद्मनाथ सिंह—मैं केवल उस बात का खंडन करना चाहता हूं जो यहां कही गई। आज आजमगढ़ के जो कांग्रेसी सदस्य हैं, जो यहां एम० एल० ऐज० हैं वे ईमानदारी और तत्परता से काम करते हैं और उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे बताना चाहिये और सजा दिलानी चाहिये। उन्होंने इस बात का कोई सुझाव नहीं दिया है कि पूर्वी जिलों की समस्या कैसे हल की जाय।

में उनके साथ हाथ मिला कर आजमगढ़ और तमाम पूर्वी जिलों की समस्या को हल करना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो १३ लाख रुपये रखे गये हैं ये पूर्वी जिलों के लिये ही नहीं रखे गये हैं। माननीय पद्मनाथ सिंह जी का यह कहना कि यह रुपया पूर्वी जिलों के लिये रखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। न यह पूर्वी जिलों के लिये रखा गया है और न पश्चिमी जिलों के लिये। यह तो केवल इसलिये है कि जहां भी कोई कठिनाई आवे, चाहे वह सूबे के किसी हिस्से में हो, वहां यह काम में लाया जाय। फिर यह कहना कि साहेब दुर्भिक्ष को इक्वेट कर लेना ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे कर लिया गया है। हर साल रुपया फेमीन रिलीफ के नाम से बजट में रखा जाता है और अगर कोई बदकिस्मती सूबे पर न पड़ी तो रुपया जैसा का तैसा वापिस हो जाता है। इस ख्याल से यह रुपया रखा जाता है। फिर सोचने की बात है कि मान लो कहीं ओले बरसें या वर्षा कम या ज्यादा हो या बाढ़ आ जाय या फसल को आग लग जाय या और कोई प्राकृतिक विपत्ति आ जाय सूबे के किसी हिस्से पर और हम इसमें रुपया न रखें तो फिर रुपया कौन सी मद से दिया जायगा? अगर ऐसी कोई विपत्ति नहीं होती तो रुपया वापस हो जाता है और इससे भी ज्यादा रुपये की जरूरत पड़े तो कंटिंजेंसी से निकाला जाता है। १३ लाख से ही क्या काम चल सकता है? इसलिये यह हिसाब लगाना कि ये किसी विशेष इलाके के लिये रखे गये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक उनका यह कहना है और दूसरे दोस्तों ने भी यह कहा है कि केवल ज्यादा रुपये से काम नहीं चलेगा बल्कि और क़दम उठाने चाहियें। यह भी मैं मानता हूं। लेकिन अगर माना कि और कुछ क़दम उठाने में देर हो या वे जो क़दम जिनकी तरफ इशारा किया गया है वे १ या २ साल या ५ साल में पूरे नहीं हो सकें और बीच में कोई आपत्ति आ जाय तो क्या फिर मदद नहीं करनी चाहिये? तो यह रुपया तो इसलिये है कि अगर बीच में कोई आपत्ति आ जाय। इसमें यह नहीं है कि जो काम हमको करने हैं वे हम नहीं करने जा रहे हैं या उनको करने की जरूरत नहीं है। यह बात ठीक है कि सिंचाई का प्रबन्ध ज्यादा होना चाहिये। इसके लिये जो स्कीम चल रही है या चलने वाली है तो एक पैम्फलेट "स्केअरसिटी रिलीफ इन उत्तर प्रदेश" है जो माननीय सदस्यों की मेज पर रखा जा चुका है। उसमें अपेंडिक्स सी है, जहां पर काम हो रहे हैं उनको गिनाया गया है। उनकी तादाद ११ है। छोटे मोटे काम जो होने वाले हैं उनको ३६ पृष्ठ पर गिनाया गया है। एक बात बतलाना चाहता हूं कि गोंडे के सामने मजगवां का जिक्र है। वहां लिखा है कि काम शुरू होने वाला है। वहां काम शुरू हो गया है। इस तरह से मुमकिन है कि और जगहों में भी काम शुरू हो गया हो। हमें इर्रीगेशन के काम करने हैं इससे कौन इन्कार करता है। जहां तक हो सकता हो हमें करने चाहिये।

रही आबादी की बात तो जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है वह ठीक ही है कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो आबादी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि आबादी इसलिये भी बढ़ती है कि कम उम्र में शादी हो जाय। मैं समझता हूं कि जहां तक जन संख्या के बढ़ने का सवाल है उसके लिये यह है कि पब्लिक वरकर्स लोगों को तैयार करें कि छोटी उम्र में शादी न हों। अगर वह ऐसा करेंगे तो मुल्क की बड़ी भारी सेवा करेंगे। जो पोलिटीकल काम करने वाले हैं वह केवल पोलिटीकल कामों में ही लिप्त रहें और सोशल तथा कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ ध्यान न दें तो देश का कुछ लाभ नहीं हो सकता है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि देवरिया और गोरखपुर में वहां कितने लोग काम करते हैं कि वहां पर अब भी १३ साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। इसलिये वहां पर आपको और आपकी पार्टी को काम करना चाहिये कि १८ वर्ष से कम उम्र की लड़की

[श्री चरण सिंह]

की शादी न हो। जितनी बड़ी उम्र में शादी होगी उतने ही बच्चे कम पैदा होंगे। लिहाजा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और साथ ही इसके गांवों की आर्थिक स्थिति भी सुधारनी चाहिये।

एक बात माननीय जगन्नाथ मल्ल ने कही कि चीन में कैसे फेमिन खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शायद चीन से अकाल बेदखल होकर पहाड़ों को पार करके हमारे सूबे में आ गया है। नहीं, यह बात नहीं है। चीन में बहुत अकाल पड़ते रहते हैं और बाढ़ें भी आती रहती हैं वहां पर ५०-५० लाख आदमियों का मर जाना एक मामूली सी बात है। अगर दो साल से वहां यह चीज नहीं हुई है तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई जादू है। मैं जानना चाहूंगा कि चीन से बड़ी सरकार है रूस की और जब से रूस में यह सरकार कायम हुई है तो १९२१ में फैमिन पड़ा था। और यूक्रेन में जो अकाल पड़ा था उसमें लाखों आदमी मर गये थे। यह बात नहीं है कि चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी का राज्य है इसलिये अकाल नहीं पड़ा है। बावजूद वहां की प्राकृतिक हालत के वहां की सरकार ने ऐसा कर लिया है कि जिससे वहां अकाल वगैरा नहीं पड़ता, ठीक नहीं है। यह बात कि हमारी कोई भी बात उनको अच्छी नहीं लगती और बाहर के स्वप्न देखना ही उनको अच्छा लगता है तब तो ठीक है वह बाहर के स्वप्न देखते रहें। हमें तो यह है कि हमारा मुल्क आजाद हुआ है और हमें एक मौका अपने मुल्क को बनाने का मिला है। जो रास्ते आप सुझा सकते हैं उनको सुझायें नुक्ताचीनी करना तो बहुत ही आसान है। ऐसे रास्ते जिन पर चलना मुश्किल है बताना भी आसान है। जैसे गंडक नदी से नहर खोद दी जाय कहना आसान है क्योंकि इस स्कीम के लिये २५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तो यह रुपया कहां से आगया। जब कोई सुझाव दिया जाय तो उसके साथ ही साथ यह भी बतलाया जाय कि रुपया कहां से उसके लिये आयगा। जब रुपया लाने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है कि टैक्स न लगाया जाय। दाम मुकर्रर करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाई जानी चाहिये। किसान चाहे बेचे या न बेचे और बराबर तंगी थी। यह कहा गया कि अपनी बेल्ट कसो तब जाकर बाहर से हम अपनी ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के एवज में चीजें खरीदेंगे, इसी तरह से और मुल्कों में किया गया है। तो यहां जब कोई टैक्स वगैरह लगाया जाय तब शोर, खर्चे के लिये हर वक्त हो हल्ला कि यह खर्चा हो वह खर्चा हो। तो आखिर वह कौन सा जादू है कि खर्चा भी हो जाय और आबपाशी और सेल्स टैक्स सब तरह के टैक्स भी न लगाये जायं? यह नामुमकिन है, ऐसा कोई रास्ता है नहीं।

बातें और कही जा सकती हैं और सब लोगों को मालूम ही हैं। अभी ये ओले पड़े हैं और फिर दोबारा थोड़े से ओले पड़ गये हैं। इससे गवर्नमेंट पूरी तरह से वाकिफ है। दो बार वहां अपने कमिश्नर को भेज चुकी है उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। पहले ओले पड़ने के बाद जो कुछ गवर्नमेंट ने किया उसे मैं समझता हूं कि चाहे माननीय गेंदा सिंह जी जवाब देने के लिये कुछ ही कह दें लेकिन उससे संतोष मालूम होता है वहां के लोगों को। क्योंकि उसके बाद लोग आये लेकिन मेरे से किसी ने चर्चा नहीं की तो मैं यह नतीजा निकालता हूं कि जो कुछ गवर्नमेंट ने किया वह ऐसा है कि जिससे काम चल गया, ऐसा नहीं है कि वह अपर्याप्त रहा हो। अगर लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गयी तो जब आगे जरूरत होगी तो उसका भी इंतजाम किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आशा कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे कि हमको कुछ आश्वासन मिले, कुछ ढारस बंधे। मैंने जानबूझ कर पहले अपने भाषण में किसी तरह का संकेत नहीं किया था कि

उनको क्या करना चाहिये । मैं तो ऐसा सोचता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है और हम लोगों को जो औलाद कम करने की सलाह दी है, या उपज को बढ़ाने के लिये सलाह दी है या कुछ और तरह की सलाह दी है तो ज्यादा बेहतर होता कि बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, इन दो चार जिलों के माननीय सदस्यों में से पांच छे आदमियों की एक छोटी सी उपसमिति बना दी जाती और वह उपसमिति मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि वह अभावग्रस्त जिलों में घूम लेती और इन सारे जिलों की हालत को देखने के बाद वह उपसमिति माननीय राजस्व मंत्री जी को कुछ सलाह देती और उस पर यह सरकार कुछ काम करती तो मैं समझता हूं कि हमारा बहुत बड़ा उपकार होता। यह बात मान लेता हूं कि वह सलाह हर मामले में उस हद तक कारगर न होती क्योंकि एक बात तो यह हो सकती है कि १८ वर्ष से ऊपर के लोग ही शादी करें, लड़कियों को यह कहा जा सकता है, कि यह बहुत मुनासिब बात उन्होंने कही है, लेकिन जो लोग अब तक पैदा हो चुके हैं उनके लिये क्या बन्दोबस्त किया जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि सन् १८७२ में ८८ लाख की आबादी थी गोरखपुर और बनारस डिवीजन में और सन् १९५१ में वह १ करोड़ ५६ लाख हो गयी जब कि सारे सूबे की आबादी सन् १८७२ में ४ करोड़ २६ लाख थी और सन् १९५१ में वह ६ करोड़ ३२ लाख ही हो सकी । तो कुछ ऐसा मालूम होता है कि वहां की आबहवा में या कुछ ऐसा मामला है कि जिससे वहां बहुत ज्यादा आबादी बढ़ती चली जा रही है। हम माननीय राजस्व मंत्री जी की सलाह बिलकुल मानने को तैयार हैं और जो कुछ भी वह सलाह देंगे उसको मानेंगे। मैंने कुछ अपने मित्रों से यह कहा है कि कुछ संबंध पश्चिमी और पूर्वी जिलों से हो जो कि बहुत पुरानी बात थी और जैसे कि पटना के राजा लोग सदैव दिल्ली की ओर शादियां किया करते थे। तो यह मैं कोई मजाक के ख्याल से नहीं कहता हूं, मैं बहुत गम्भीर हूं इस मामले में कि अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो सके तो फिर फैमिली प्लानिंग में, आबादी को कम करने में और हमारे घरेलू मामलों में ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं दुर्भिक्ष के सिलसिले में यह बेकार का विवाद आ गया, मैं इस प्रश्न को राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहता था। दुर्भिक्ष के सिलसिले में जो कुछ पिछले वर्ष किया उस पर हमें संतोष हो या न हो लेकिन उस पर हमें प्रसन्नता जरूर है क्योंकि सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को संभालने में जो कुछ हो सकता था गो कि उसको नहीं किया लेकिन कुछ किया अवश्य । फिर समझ में नहीं आया माननीय शिवप्रसाद जी नाराज क्यों हो गये। और उन्होने ऐसी-ऐसी बातें कहीं जिनका उत्तर मैं नहीं देना चाहता । वे भी पडरौना के रहने वाले हैं उन्हों ने जो वहां की हालत थी वह अपने पड़ोस में ही देखी होगी। उनका उत्तर मैं नहीं दूंगा, वह तो राजदेव जी ने दे दिया ।

अंत में मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे पास जनशक्ति है, उस जन शक्ति का भरोसा सरकार को भी है। उसके बारे में सुझाव के तौर पर कहूंगा कि एक उपसमिति जरूर बनाई जाय, अगर वे इसी सदन में इसके बारे में कुछ कहते तो अच्छा होता लेकिन अगर वे इन अभावग्रस्त जिलों की समस्या को सुलझाने के लिये कुछ करें तो अच्छा होगा, दूसरे और जिलों में अभाव है ही नहीं इसलिये इस उपसमिति को बनाने की ओर जरूर ध्यान रक्खा जाय और यह भी ध्यान रखा जाय कि उसमें पश्चिमी जिलों के लोग भी हों। हमें विश्सास है कि पश्चिमी जिलों के लोग अगर पूर्वी जिलों की हालत को देखेंगे तो जरूर उनका दिल पिघलेगा और हमारे लिये जरूर कुछ हो जायगा। पिछले वर्ष भी हम हजार सिर पटकते, चाहे शिव प्रसाद जी हजार शिकायतें करते लेकिन अगर राजस्व मंत्री जी स्वयं वहां न गये होते तो हमारे किये वहां कुछ न होता । जब उन्होंने स्वयं वहां जाकर आंखों से वहां की दुर्दशा को देखा उसी के बाद जो कुछ हो सका सो हुआ ।

[श्री गेंदा सिंह]

आबादी के प्रश्न के बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रदेश में जमीन नहीं है तो हम माइग्रेट करने को भी तैयार हैं। इस बात पर विचार किया जाय कि कहां पर जाकर इस जनसंख्या को बसाया जा सकता है और उसके भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। खैरात से कुछ काम नहीं चल सकता और खैरात से कोई सरकार चल भी नहीं सकती। सदावर्त बांटने के मैं खिलाफ हूं। जरूरत इस बात की है कि उनको काम दिया जाय। कुछ लोग जा भी रहे हैं। चाहे वह लखीमपुर हो, बहराइच हो या किच्छा हो आप उनको आबाद करके उनको सहायता देने का कष्ट करें।

एक बात और जो वहां काम हो रहा है उसके बारे में है। इस बार वहां बहुत बेरहमी हो रही है। पिछले साल वहां १० आना रोजाना के हिसाब से मजदूरी मिलती थी तो हजारों आदमी टेस्ट वर्क्स पर जाकर काम करते थे और बड़े-बड़े घरानों के लोगों ने वहां जाकर काम किया। जब यह हालत देखी गयी तो अधिकारियों के सिरदर्द हुआ। वे उनको चलाना नहीं चाहते। क्योंकि उसमें उनको नुकसान होता है इसलिये उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा और सरकार से यह आदेश करा दिये कि १८ छटांक चीपेस्ट ग्रेन पर काम कराया जाय जो ६ आने के करीब पड़ता है। यह निर्दयता है बेरहमी है। मैं बार-बार राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला चुका हूं। इसी के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों की भी तुलना कीजिये। राजकोट में अकाल पड़ा वहां पर १० आना के बजाय १२ आने दिये गये। दूसरे स्थानों पर भी जहां अकाल पड़ा वहां कमी नहीं की गयी और १० आना से कम नहीं दिया गया। फैमिन रिलीफ कोड सन् १८६४ का बना हुआ है बहुत से ऐक्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, बदल गये, हर एक में कुछ न कुछ संशोधन हुआ लेकिन इस ऐक्ट में जब कोई संशोधन होता है तो गरीब के ही ऊपर छुरी चलायी जाती है। तो इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस प्रश्न पर भी विचार करें। जिस तरह से अकाल से इन जिलों को बचाया जा सकता है, जन संख्या को बचाया जा सकता है इस प्रश्न पर भी सरकार विचार करे और इसको दूर करने की चेष्टा करे। यही हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी शान की बात होगी। हमारी सरकार के लिये शान की बात होगी। इसमें कोई राजनैतिक या दूसरी बात नहीं है। यह उनकी इच्छा के ऊपर है सरकार की इच्छा के ऊपर है और इस मुसीबत को दूर किया जा सकता है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। यह जो १८ छटांक सस्ते से सस्ता गल्ला जितने पैसे में निकट के बाजार से मिल सके उतनी मजदूरी देना टेस्ट वर्क या रिलीफ वर्क का काम करने वालों के लिये गवर्नमेंट ने तब किया जब कि उसने माननीय गेंदा सिंह जी का वह वक्तव्य अखबारों में पढ़ लिया कि फेमिन कोड लागू कर दिया जाय और सब को फेमिन कोड से मजदूरी देनी चाहिये। तो फेमिन कोड में उनके लिये कोई मजदूरी नहीं लिखी है, उसमें यह नहीं लिखा है कि इतना रुपया या पैसा मिलेगा उसमें केवल यह है कि १८ छटांक गल्ला सस्ता से सस्ता निकट के बाजार से जितने पैसे में मिल जाय उतना उस आदमी को मिलना चाहिये। कोई १८ छटांक की जगह ९,१० छटांक ही खाकर उस पर अपनी गुजर करके और पैसा बचा सकता है। स्त्री के लिये उसी काम के लिये १६ छटांक मिलता है और लड़के के लिये, बच्चे के लिये १४ छटांक मिलता है। तो इस तरह से मजदूरी का रेट १८,१६ और १४ छटांक है। चाहे जितने भी पैसे में मिलता हो ; अगर इस पर भी कोई आदमी काम करने नहीं आता है तो इस से यह साबित होता है कि उसको वाकई में जरूरत नहीं है। और फिर यह १० आना ही क्यों हो, एक रुपया क्यों न हो, डेढ़ रुपया क्यों न हो? अगर इस तरह से दिया जाय तो वह तो आर्डिनरी मजदूरी हो जायगी जैसे कि पी० डब्ल्यू डी० नार्मली मजदूरी देता है इसमें तो गल्ला ही दिया जाता है चाहे वह ६ आने में मिले या ८ आने में मिले या जितने में मिले। इसके लिये पैसे का कोई सवाल नहीं है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। फेमिन कोड लागू करने के लिये अगर मैंने कहा था तो इसलिये नहीं कहा था कि १० आने के बजाय ६ आने मजदूरी कर दी जाय। मैंने दूसरे देशों का भी हवाला दिया है, दूसरे प्रदेशों का भी हवाला दिया है और मैंने कहा था कि फेमिन कोड को पूरी तरह से लागू कर दिया जाय जिससे सारी जिम्मेदारी खिलाने-पिलाने की गवर्नमेंट की हो जाती है।

श्री अध्यक्ष---जो आपका मतलब था वह आपने बतला दिया।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६-दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि) के अन्तर्गत १३,७८,५०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५---लेखा शीर्षक ७१-कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५-कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१-कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के लिये १,५९,८०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है यह जो बजट का साहित्य जिल्द नं०-४ है उसके पृष्ठ ३०९ और ३१० में खर्च का सब ब्यौरा दिया हुआ है। बीज खरीदने के लिये, जो कि बीज गोदाम में रखे जाते हैं, केमिकल खाद अमोनियम सल्फेट व खली वगैरह खरीदने के लिये भी रुपया रखा गया है। थोड़े बहुत औजार जिनकी ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमेन्ट में जरूरत पड़ जाती है, और जूट डेवलपमेंट स्कीम के लिये व हार्टिकल्चर के लिये भी कुछ सामान वगैरह खरीदने की जरूरत पड़ जाती है तो इन सब के लिये बजट में रकम रखी गयी है। बीज की सुविधा की दृष्टि से भी यह रकम देखी जाय तो उस पर थोड़ी सी यह रकम खर्च की जाती है और जो बीज लोगों को दिया जाता है उसका दाम बाद में उनसे वसूल किया जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री द्वारा उपस्थित अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह आखिरी अनुदान राजस्व मंत्री जी का है। दो दिन से वह लगे हुये हैं। मैं ज्यादा तो उनको कष्ट देना नहीं चाहता लेकिन कुछ आशंकाएं हैं जिनको उपस्थित करना चाहता हूं। पहली शिकायत यह है कि पिछले साल इस अनुदान में २ करोड़ ५९ लाख रुपये रखे गये थे और इस साल १,५९,८०,००० रुपये रक्खे गये हैं यानी इस साल १ करोड़ रुपया कम कर दिया गया और ऐसी हालत में जब कि यह अनुदान सामाजिक सेवाओं से संबंध रखता है और जबकि दूसरी तरफ बजट ६५ करोड़ से ७८ करोड़ हो गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

एक विचित्र बात जो मुझे दिखलाई पड़ी इसमें वह यह कि मैंने इस साल तखमीने का ब्यौरा देखा और पिछले साल के तखमीने का ब्यौरा देखा। १९ फरवरी को सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया। उसमें एक अजीब चीज दिखलाई पड़ी। उसमें लिखा था कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ४१ हजार टन खाद के लिये आर्डर दिया था और हमारी सरकार सालों सोती रही। उसे यह पता नहीं था कि कितने का आर्डर दिया था और कितनी खाद आई। नतीजा बाद में यह हुआ डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल फूड ऐंड रिहेबिलिटेशन ने इस बात की सूचना दी कि प्रान्तीय सरकार को १,४८,७३,००० रुपये खाद के देने हैं। अध्यक्ष महोदय १९ फरवरी को जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया उसमें हमसे ४८ लाख ७३ हजार रुपये इस सदन से स्वीकृत कराये गये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ऐसे मंत्री के होते हुये इस किस्म की लापरवाही कैसे हो गई कि सरकार को पता ही नहीं चला कि कितने खाद की मांग थी और कितने रुपये भेजे गये। पारसाल इस बजट में १ करोड़ ८० लाख रुपये रक्खे गये थे। तफसील नहीं दी गई है कि बीज के लिये कितने रुपये और खाद के लिये कितने रुपये खर्च हुये, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस साल मैं देखता हूं कि बीज के लिये ४८ लाख हैं। तो मुझे शंका होती है कि वह अलग रकम पिछले साल क्यों नहीं रक्खी गयी, इस साल अलग-अलग क्यों रक्खी गई। मुझे ऐसा मालूम होता है कि १ करोड़ रुपये की जो अधिक खाद आगई वह देहातों के गांवों में पड़ी होगी जिसका बटवारा नहीं हो सका। मेरा ख्याल है कि लाखों रुपये की खाद हमारी सरकार की लापरवाही से आ गई और सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है। किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिये यह अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है रोग-रहित आलू और रुई। उसके बारे में क्या योजना है उसका कोई जिक्र बजट में नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जवाब में बतलायेंगे कि रोग-रहित आलू और रुई के संबंध में उनकी क्या योजना है।

दो एक बातों का और जिक्र करना है। अभी माननीय गेंदा सिंह ने कल ही जिक्र किया कि एक खास किस्म का धान पूर्वी जिलों में भेजा गया जिसकी फस्ल तो बहुत लम्बी हुई लेकिन बीज नहीं हुआ और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि राजस्व मंत्री जी ने अब तक यह फैसला नहीं किया कि उसकी वसूली नहीं होगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले साल गोरखपुर में जूट का बीज बांटा गया सरकार की तरफ से। मार्च के महीने में जूट बोया जाता है लेकिन जो जूट का बीज बाटा गया वह जुलाई में पहुंचा जब कि पिछली जूट की फसल तीन-तीन फुट ऊपर आ चुकी थी। राजस्व मंत्री बड़ा कल्याण करेंगे अगर वह इस बात का प्रबंध करा दें कि बीजों का बटवारा समय पर हो जाय, ठीक समय पर वह पहुंच जाया करे। राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे कि बीज लेट पहुंचता है। इसकी शिकायत है कि यह दुर्व्यवस्था है।

एक बदइंतजामी की तरफ और ध्यान दिलाऊं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट ४९--५० की मैं देख रहा था जहां पिछले साल हमारी सरकार सोती रही कि जरूरत से ज्यादा खाद चली आई इसी तरह से ४८ में ५६ लाख रुपया खर्च ही नहीं हुआ। यह एक अजीब सी बात नजर आती है कि कहीं तो रुपया खर्च न हो और कहीं जरूरत से ज्यादा खाद आ जाय। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। देहात में आम तौर पर जो बीज बाटा जाता है देहात के लोग उसे सवाई पर बांटते हैं। ६ महीने में सवाया सूद लेते हैं इस तरह से साल भर में ड्योढ़ा हो जाता है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की भी शिकायत थी कि १८ फीसदी सूद चार्ज किया जाता है। अतएव राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सवाया न ले कर कुछ कम करें। एक तो सरकारी गोदामों से लोग बीज लेंगे और उससे सरकार का ज्यादा फायदा होगा और दूसरी तरफ जो कम्पटीशन होगा और जो लोग

देहात में बीज देते हैं वे भी कम सूद पर देना शुरू कर देंगे। तो वह आवश्यक कदम है जिसे माननीय राजस्व मंत्री को उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रामनारायण जी त्रिपाठी ने यह कहा कि अब की बार रकम कम रखी गई है और पिछले साल ज्यादा थी तो यह बात ठीक है लेकिन इसका इलाज क्या है? वह आये कहां से? लेकिन फिर भी इसमें चाहे कितनी ही रकम कम क्यों न रखी गई हो जैसा मैंने कहा था खाद के देने में कोई कमी नहीं की जायगी बल्कि इस बार ज्यादा दी जायगी। अभी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मुआहिदा हुआ है जिसका कि कल जिक्र भी किया था वह इस बजट के तैयार होने के बाद हुआ और बजट के पहले भी हो जाता तो भी इसके अन्दर रिफ्लेक्ट होता या नहीं, यह टेक्निकल बात है जिसको इस वक्त मैं नहीं बता सकता लेकिन पिछले साल ३७ हजार टन कैमिकल फर्टिलाइजर्स तकसीम किया था। इस साल ५६ हजार टन तकसीम करने का हम इरादा रखते हैं और अगर वह रकम लगाई जाय तो इसमें रकम बहुत बढ़ जाय लेकिन वह बहुत बाद में हुआ इसलिये इसमें नहीं आया। इस साल वह पिछले साल की बनिस्बत सस्ता भी मिलेगा और ३० जून तक देंगे तो गवर्नमेंट आफ इंडिया वाले सूद भी नहीं लेंगे और तकावी के रूप में फर्टिलाइजर मिल जायगा। इसलिये कम रकम होने से कोई खराबी नहीं है। जहां तक बीज देर से दिया जाता है जिसकी शिकायत है अगर ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य की नोटिस में हो और उनको उसका इत्मीनान हो और अगर वह मेरी नोटिस में लावेंगे तो उस पर मुनासिब कार्यवाही जरूर की जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह आम शिकायत है।

श्री चरण सिंह—आम शिकायतें तो बहुत सी हैं। तीसरी बात जो सवाई पर बीज देने का सिस्टम है वह ठीक नहीं है। इस दृष्टि से कि लगान की शरह उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन किसान उसको खुद पसन्द करता है। उसकी वजह यह है कि जब बीज दिया जाता है तो दाम ज्यादा होते हैं और जब उसकी पैदावार होती है तो दाम कम होते हैं। तो बजाय इसके कि उससे रुपये की शक्ल में लिया जाय तो उस वक्त दाम ज्यादा देने पड़ेंगे जब वह बीज लेता है और इस तरह से उसको ड्योढ़ा तक गल्ला बेंचकर देना पड़ेगा। क्योंकि जब बीज बांटा जाता है तो बीज में कमी होती है। इसलिये यह बात तो किसान के हित में है और यही किसान चाहते हैं पिछले साल मिर्जापुर में जब तकावी के लिये रुपया दिया तो लोगों ने कहा कि हमें सवाई पर बीज दे दो। तो ऐसी बात नहीं है जैसी बजाहिर मालूम पड़ती है कि यह किसानों के अहित की बात है।

दूसरी बात एक और भी है कि गवर्नमेंट को तो बीज चाहिये। हमें इम्प्रूब्ड सीड देना पड़ता है तो उसके लिये रुपये लेकर क्या करें और बीज को मल्टीपिल करने की बात है, इसलिये हम कहते हैं कि जो बीज हम दें उसको सवाई दे, लेकिन बीज दो पैसे में नहीं लिया जाता है। इसलिये यह तो सवाई का जवाब है।

बाक़ी ३५ लाख रुपये के फर्टीलाइजर के लिये कहा गया था। तो गवर्नमेंट को मालूम नहीं है यह बात नहीं है। सिर्फ बात यह थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रजामन्दी नहीं ली जा सकी थी और वह एक टेक्निकल एतराज था कि बिना फायनेंस डिपार्टमेंट के ऐप्रूवल के उसको नहीं खरीदना चाहिये था। इसलिये यह नुक्स था और यह डिफेक्ट था जिसको लोगों की निगाह में ला दिया गया। तो यह बात नहीं है कि इतनी बड़ी कार्यवाही हो गई, और गवर्नमेंट को मालूम नहीं था।

बस, इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है सिर्फ इतनी बात है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम तकावी के बीज को सवाई में बीज से लौटाते हैं। मैं नहीं कहता कि तकावी दी जाय लेकिन सूद न लिया जाय। मेरा तो कहना यह है कि सवाई न लेकर कम लिया जाय। अब आखिरी वक्त है, इसलिये माननीय मन्त्री को कष्ट देना मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत) के अन्तर्गत १,५९,८०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। एक तो शरणार्थी समिति के लिये स्थायी समिति का चुनाव किया जाने वाला है उसके लिये १५ सदस्यों के नाम नामजद किये गये हैं उनके नाम ये हैं---

श्री शिवमंगल सिंह कपूर
श्री तेजासिंह
श्रीमती लक्ष्मी देवी
श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह
श्री नारायण दत्त तिवारी
श्री राजा सैयद मुहम्मद सआवत अली खां
श्रीमती सज्जन देवी महनोत
श्रीमती यशोदा देवी
श्री जोरावर वर्मा
श्री धर्मदत्त वैद्य
श्री अमरेश चन्द्र पांडेय
श्री सी० वी० महाजन
श्री रामसुभग वर्मा
श्री चन्द्रवती देवी
श्री ठाकुर उल्फत सिंह चौहान

इनमें से यदि कल ३ बजे तक एक नाम वापस नहीं हुआ तो इसका चुनाव होगा।

इसी प्रकार से ६ समितियों के बारे में जिनके लिये अधिक सदस्यों के नाम नामजद किये गये हैं उनके लिये भी आज ३ बजे तक वापसी के लिये समय था। तो मुझसे यह कहा गया कि एक रोज इनके लिये और बढ़ा दिया जाय। सम्भव है कि नाम वापस ले कर निर्विरोध उनका चुनाव हो जाय। उसके लिये भी समय ३ बजे तक कल के लिये नियत करता हूं। अब इन ७ समितियों का चुनाव कल ३ बजे तक होगा।

देवरिया जिले में अन्न संकट तथा राप्ती नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में श्री रामजी सहाय द्वारा १६ मार्च, १९५३ को पूछे गए प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष---अब देवरिया जिले में अन्न संकट तथा राप्ती नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में श्री रामजी सहाय द्वारा १६ मार्च, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा।

देवरिया जिले में अन्न संकट तथा राप्ती नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ४०१ श्री रामजी सहाय द्वारा १६ मार्च १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देवरिया जिले में राप्ती नदी पर बांध बनाने के संबंध में प्रश्न उठाया था। वह बहुत अधिक सार्वजनिक महत्व का है इसका कारण यह है कि बांध न होने की वजह से लगभग १८२ गांव हर वर्ष डूब जाते हैं। सरकार की तरफ से हमको जो उत्तर दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि बाढ़ आने के बाद अभाव समाप्त हो गया। लेकिन श्रीमन्, स्वयं सोच सकते हैं कि अभाव के बाद जब बाढ़ आगयी तो ६ महीने तक लोग क्या खायें। इसके ऊपर जो सरकार की तरफ से उत्तर मिला उसमें यह कहा गया कि वहां सील्ट आ जाती है। बतलाया गया कि लोगों को मिट्टी खाने को मिलेगी लेकिन आप जानते हैं कि बाढ़ में सिल्ट ही बार-बार नहीं आती है। सैंड भी आता रहता है। लेकिन अगर इस तरह से जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है कि बांध बांधने से हानि होती है। लेकिन यदि हानि होती तो लोग बांध के लिये अनवरत परिश्रम करके उसको रोकने का प्रयत्न न करते। लेकिन मैं अपने अनुभव से देखता हूं कि जब कभी नदी का बांध टूट जाता है तब २००-३०० गांव जलमग्न हो जाते हैं। तब उस हालत में मुश्किल से नदी एक फुट घटती है। इसी तरह से हम इसके लिये एक्सपर्ट ओपीनियन का भी सहारा लेते हैं लेकिन हम अपने हाथ पैर, कान, आंख और अपनी बुद्धि से जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं हरदम इस बात का अनुभव किया करते हैं कि वहां पर बांध होना आवश्यक है। लेकिन सरकार ने जो उत्तर दिया था वह तो दफ्तरी उत्तर था। उस उत्तर का यही आशय था कि वहां के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वह बांध बनाया जाय। जब मैंने प्रार्थना बहुत की और मेरी फिर मंत्री महोदय के कार्यालय में बात-चीत हुई तो उस समय उस योजना को स्वीकार किया गया, और जब दोबारा बात आयी उसे स्वीकार किया गया लेकिन अन्तिम समय जब काम करना हुआ तो वहां के अधिकारी आनाकानी करने लगे। कारण यह है कि मैं जिस क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं वह किसी भी सड़क से या किसी भी यातायात के साधन से मिला हुआ नहीं है और बिलकुल यातायात के साधनों से विहीन है और साधारणतः आदमी वहां नहीं पहुंच सकता और इसीलिये उन्होंने सड़क के किनारे पर ही टेस्ट वर्क शुरू किया। उसके बाद फिर हमने जाकर प्रार्थना की कि वहां तो बिलकुल अनावश्यक काम हो रहा है और कार्य वहां न होकर राप्ती बांध पर ही होना चाहिये। हजारों खेतिहर मजदूरों को वहां बाढ़ से भागना पड़ता है और जब वह अपना सब कुछ लेकर अपने मवेशी लेकर बाहर निकलते थे, जब उनकी कमजोर गायें और फौरन की व्यायी गायें लावारिश छोड़ देते हैं तो उन पर कितना आघात होता है और कितनी कठिनाई उनके सामने होती है और बच्चे रोते-बिलखते रह जाते हैं। जिस जिले में केवल २७ एकड़ जंगल है, १ एकड़ पर ३ आदमी निर्वाह करते हैं जहां पर २ लाख एकड़ गन्ने की खेती होती है और जहां पर १ लाख एकड़ भूमि पर बाढ़ आती है और जहां कुल साढ़े सात लाख एकड़ भूमि कृषि में रहती है। वहां पर सरकार ने टेस्ट वर्क खोला था और बाद में फिर कहा गया कि यह टेस्ट वर्क सरकार समाप्त कर रही है। मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से उस पत्र के अंश को पढ़ना चाहता हूं कि जिसमें माननीय बनारसी दास जी ने कहा था कि वहां क्या कार्य हो, श्रीमान् उन्होंने एक लम्बा पत्र वहां के जिला मैजिस्ट्रेट को दिया था। वास्तविकता यह थी कि उस दुर्भिक्ष के समय जिलाधीश ने ही चिट्ठी का ड्राफ्ट किया था और वह नहीं चाहते थे कि यह काम हो और उन्होंने एक अड़ंगेबाजी लगायी जि ससे स्पष्ट हो जायगा कि उनकी क्या इच्छा थी। उन्होंने इस पत्र के चौथे क्लाज में कहा है कि...

"Sri Ramji Sahai will be personally responsible for the general supervision and the construction of the Bandh and also proper utilization, maintenance and submission of accounts."

[श्री राम जी सहाय व्यक्तिगत रूप से बांध के सामान्य पर्यवीक्षण और निर्माण और लेखों के उचित उपयोग, रख-रखाव और प्रस्तुत करने के उत्तरदायी होंगे।]

लेकिन उसी के साथ ही नीचे यह भी कहा कि यह पैसा दूसरे अधिकारी खर्च करेंगे लेकिन उसका हिसाब रखने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मैंने सोचा कि यह क्या बात कि और लोग

[श्री रामजी सहाय]

तो उसको खर्च करें और उसका हिसाब मैं रखूं। फिर मैंने उस पर अनुनय-विनय श्री बनारसी दास जी से की। मैं उस चिट्ठी को पढ़कर फिर समय नहीं लूंगा लेकिन उसके बाद भी वहां के अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह से वहां के काम को छोड़ दिया गया जिसके कारण देवरिया जिला एक मुख्य चर्चा का विषय बन गया है। यह वह बांध है कि जिसके बनने से २०० गांव बचाये जा सकते हैं। मलौनी बन्द जो राप्ती पर है वह गोरखपुर में पहिले से है केवल ११ मील लम्बा बनाना है। कुवी से थुम्मी तक ३ नाले पड़ते हैं रनहा, भदना और गोरी अगर इतना ही बांध दिया जाय तो लाखों रुपया जो हर साल सहायता बांटना पड़ता है वह बचत हो सकती है और वहां के अभाव को हमेशा के लिये समाप्त किया जा सकता है।४० वर्ष पहले राप्ती नदी अपने ठीक स्थान पर बहती थी, बीच में एक बार और प्रयत्न किया गया था लेकिन बीच में वह बन्द कुछ ग़लती से टूट गया था लेकिन ४० साल पहले वहां कछार में इतना अन्नाभाव नहीं होता था और उस वक्त सरकार के सामने कोई खास परेशानी नहीं थी। इन तमाम चीजों को निवेदन करने के बाद मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो उत्तर उसने दिया है वह बिलकुल तथ्य से दूर बल्कि मैं कहता हूं कि वह तथ्य-विहीन था और इस तरह से जो नीचे से काग़जी जवाब मिल जाते हैं और उनका प्रत्युत्तर किस ढंग से दिया जाता है। वह कुछ अच्छा नहीं है इसलिये मैं थोड़े ही में निवेदन करूंगा और मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उस दुःख दर्द को समझते हैं और इस कार्य को करके देवरिया के बहुत बड़े अंश को, एक लाख एकड़ भूमि को वह सदा के लिये बचा लेंगे। इस संबंध में मुझे यही निवेदन करना है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय रामजी सहाय जी ने प्रश्न उठाया केवल इस कारण कि जवाब यह दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, एक प्रश्न के उत्तर में कि इस तरह की भी बाढ़ आती है जिससे उल्टा बाढ़ से गांव वालों को फायदा हो जाता है। अब यह दूसरी बात है कि यहां जो बाढ़ आती है उससे नुक़सान होता है या फायदा होता है। यह मैं तसलीम करता हूं कि बाढ़ होती है जिससे उल्टा नुक़सान होता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसी भी बाढ़ आती है जो गांव वाले चाहते हैं कि बाढ़ आये। तभी उनके यहां अच्छी और ज्यादा पैदावार होती है। मसलन अलिया वगैरह की तरफ अगर बाढ़ आये और ज्यादा न रुके, तो दो तीन गुना पैदावार ज्यादा होती है। और जिस साल वहां बाढ़ नहीं आती उस साल अपनी मुसीबत मानते हैं। अगर एक उपप्रश्न के उत्तर में ऐसा कह दिया गया और फिर एक दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था, उस रोज की कार्य-वाही मेरे पास है नहीं। लेकिन स्वयं उनको याद होगा और इस सदन को याद होगा कि मैंने कहा था कि पी० डब्ल्यू० डी० को लिख दिया है कि इसके लिये जांच करें क्योंकि स्कैसिटी डिपार्टमेंट का वह काम नहीं है। स्कैसिटी डिपार्टमेंट का काम है कि जहां स्कैसिटी हो जाय वहां इंतजाम करे। यह इंजीनियरिंग का काम है। इसलिये मैंने पी० डब्लू० डी० को लिख दिया कि इसकी जांच करे और वह इस की खबर दे। उसके बाद यह सारा प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं रह जाती थी। केवल एक प्रश्न के उत्तर में ऐसी बात कह दी गयी जो आम तौर पर सही थी। लेकिन राप्ती के बांध के सिलसिले में ठीक नहीं बैठती। लेकिन जो दूसरा सवाल किया था उसके जवाब में मैंने कह दिया था कि पी० डब्ल्यू० डी० को लिख दिया है कि बहुत जल्द वह इसकी जांच करे तो मेरी समझ में नहीं आता कि हाउस में आने की क्या आवश्यकता थी। फिर इतनी कड़वाहट के साथ एक बात को कहना कि बाढ़ मिट्टी डाल गयी है, तो यह मिट्टी वहां के लोगों को खाँने को मिल गयी। तो क्या माननीय रामजी सहाय यह समझते हैं कि मैं या मौर्य जी यह चाहते हैं कि लोग मिट्टी खायं? क्या मिट्टी वगैरह की कोई बात इस तरह से कही गई? मुझे अफसोस है कि इतनी कड़ुवी बात उन्होंने कही। जहां तक बांध की बात है पिछले साल बनारसी दास जी ने इस तरह की बात तय की थी। जब कि वह बाद में वहां गये थे तो आपने बतलाया कि माननीय राम जी सहाय इस की देखरेख करेंगे। जब यहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आयी कि इस तरह की बात तय हुयी है (एक आवाज) यह ९ सितम्बर

का मेरा नोट फाइल में लिखा हुआ है। शुरू सितम्बर में वह आयी थी। ९ सितम्बर को लिखा है कि राप्ती का बांध जरूर बांध दिया जाय। उस ओवरसियर से यह कह दिया जाय कि जहां तक फाइनेंशल रूल की बात हो, उस बात को छोड़कर बाक़ी सब मामलों में श्री रामजी सहाय से पी० डब्लू० डी० कोआपरेशन करे। जहां तक फाइनेंशल रूल की पाबन्दी है उसमें जिम्मेदारी ओवरसियर की होगी :

"Agree except that it should be an overseer and not a Panchayat Raj Inspector or a member of Legislature who should be put incharge of the work on the Rapti Bandh in Devaria Tahsil. The overseer may be told that except where a breach of any financial rule is concerned, he will act in full co-operation with Sri Ramji Sahai, M.L.A. He will rather, seek it further. The *bandh* will be extended only if the engineer thinks advisable to do so"

यह मेरा ९ सितम्बर का लिखा हुआ नोट है। लेकिन उसके बाद ही फौरन् अध्यक्ष महोदय, सदन को याद होगा कि उसी राप्ती में बाढ़ आ गयी। लिहाजा वह काम चल ही नहीं सकता था और उसके बाद स्केसिटी का प्रश्न नहीं रहा। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ऐसा मालूम हुआ कि उस मामले को आगे फिर प्रस्तुत करना जरूरी नहीं समझा अब माननीय सदस्य ने फिर यह प्रश्न उठाया तो जिस रोज यह जवाब दिया गया है उससे पहले ही यहां से आर्डर्स जारी कर दिये गये कि यह क्यों नहीं किया गया, पी० डब्लू० डी० से पूरी रिपोर्ट मांगी जाय और जल्द से जल्द मांगी जाय और मैंने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही भी थी। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा क्या होता। फिर भी उनको जो अधिकार था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने उस दिन समझा दिया था कि आम तरीक़े से तो सवाल ग़लत नहीं था, उस दृष्टि से देखने के बाद वह ग़लत हो सकता है जो माननीय मौर्य जी ने उस वक्त कह दिया था। लेकिन जब बाद में मैंने कहा कि पी० डब्लू० डी० को हमने लिखा है तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इतना बेजा झूठे या ग़लत जवाब दिये गये जिनको मिस्लीडिंग कहा जाय और जिनके लिये यहां आने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य कोई प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---प्रश्न तो मैं यह पूछना चाहता था कि क्या यह वही हिस्सा है जिस हिस्से में आज से ३ वर्ष पहले भी बाढ़ आई थी और वहां लगान की माफ़ी हुई थी लेकिन वह लगान सरकार की ग़लती से वसूल हो गया ?

श्री चरण सिंह---मुझको नहीं मालूम कि यह वह इलाका है या नहीं है ?

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बनारसी दास जी बाढ़ देखने के लिये गये थे और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों को देखने के लिये गये थे। उन्होंने जो सुझाव दिया उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह---यह तो मैं अभी पढ़ कर सुना चुका हूं और बहुत तफसील के साथ सुना दिया।

श्री बद्री नारायण मिश्र---और जो कहा गया है कि अभाव दूर हो गया था, तो क्वार के महीने में वहां अभाव पड़ता है और वह काम तो हुआ ही नहीं। सितम्बर में बाढ़ आयी, अक्तूबर में चली गयी और अक्तूबर के बाद भी कोई फ़स्ल तैयार नहीं हुई और जब नहीं हुई तो मार्च में क्या होगी ? इसको माननीय मंत्री स्पष्ट करें कि अभाव उतने वक्त कैसे दूर हुआ ?

श्री चरण सिंह---माननीय बनारसी दास जी ने बहुत से सुझाव दिये थे और जैसा मैंने कहा, मैंने सभी स्वीकार कर लिये थे। यहां रामजी सहाय की देख-रेख में पंचायत राज इंस्पेक्टर रखा गया था कि उनके कहने से काम करे और अपना हिसाब रखे, उसमें मैंने इतना संशोधन किया था। और बाक़ी हर एक आइटम तो मैंने पढ़ा नहीं है। बहुतल म्ब-चौड़ा नोट है। तो जैसा उन्होंने कहा था वह सब मैंने मान लिया था और जहां तक यह है कि अभाव कैसे कम हो गया तो फस्ल अच्छी हुई होगी, इसलिये अभाव कम हो गया।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---माननीय मंत्री जी से मुझे यह पूछना है कि बाढ़ के आने से पहले अभाव के बारे में आप सोचते थे, बाढ़ आने के बाद के प्रश्न के संबंध में आपने क्या व्यवस्था की थी?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस बांध के बांधने में कितना ख़र्च पड़ेगा।

श्री चरण सिंह---अभी तो यह कहा नहीं जा सकता। पहले तो इंजीनियर्स से यह पूछा गया है कि आया बांध बांधने से कोई फायदा भी होगा या नहीं और जब रिपोर्ट आ जाय कि बांध बांधना जरूरी है तब वह बतलायेंगे कि कितना ख़र्च होगा ?

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ऐग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स से भी राय इस प्रश्न पर ली जा रही है कि यहां बांध बांधने से लाभ होगा या हानि?

श्री चरण सिंह---अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो इंजीनियर्स से रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मैं गवर्नमेंट से यह जानना चाहूंगा कि रामजी सहाय के नेतृत्व में जितना काम वहां हुआ था उसमें कितना रुपया ख़र्च हुआ?

श्री चरण सिंह---कोई काम हुआ नहीं?

श्री केशव पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उस क्षेत्र की जनता की ओर से कितनी बार प्रार्थना बांध बांधने के संबंध में आई होगी?

श्री अध्यक्ष---जो प्रश्न उठाया गया है उसी से जो उत्पन्न हो यह सवाल करना चाहिये। इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जिस क्षेत्र में बांध बांधने की योजना के सिलसिले में यह प्रश्न उठा है वहां पर पिछली बाढ़ के सिलसिले में कितने गांव बाढ़ग्रस्त हुये थे?

श्री चरण सिंह---मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। लेकिन मुझको याद पड़ता है कि १९० गांव में बाढ़ आई।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिस क्षेत्र में यह बांध बांधने की बात चलाई जा रही है राप्ती के किनारे पर पहले से कुछ बांध मौजूद हैं और सरकार ने भी कुछ इनकी मरम्मत कराई है।

श्री चरण सिंह—बांध एक पहले से मौजूद है बांध के एक्सटेंसन की बात है और बांध की मरम्मत हुई है या नहीं हुई है इस सिलसिले में मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी १९५०-५२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें खासतौर से उस इलाके के संबंध में दिया है जिसमें कि यह बांध राप्ती पर बांध देने से वह मुसीबत में नहीं पड़ेगा। उस संबंध में दो तीन सेन्टेन्स मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। जब राशनिंग वारंट के संबंध में विचार किया गया था, तो वहां पर यह लिखा हुआ है :

"In the last season, however, although relief under the austerity provisioning scheme was helpful it was not given in time to the eastern districts where the produce is sufficent only for 6 or 7 months in the year and in some tracts like the kachhar tract in Rudrapur the produce is consumed before the rains."

यह वही रुद्रपुर कछार का इलाका है कि यदि उस इलाके में यह बांध बना दिया जाय तो यह भाग बच जायगा और इस संबंध में मैं उनको, राजस्व मंत्री जी को एक स्मरण और दिलाना चाहता हूं कि जो आज से दो वर्ष पहले १ लाख ७ हजार रुपया माफ हुआ था और वह १ लाख ७ हजार रुपया थोड़ी सी असावधानी की वजह से वसूल हो गया तो यह वही इलाका है। वहां पर कुछ बांध बने हुये हैं जो बहुत पुराने जमाने में बनाये गये थे। उस पर सरकार ने कुछ मरम्मत भी कराई थी। यह दूसरी बात है कि पी०डब्लू०डी० के इंजीनियर अब यह कहें कि उससे लाभ होगा। प्रत्यक्ष यह है कि उससे लाभ हुआ है और यदि उसे मुस्तकिल रूप से बना दिया जाय तो १७८ गांवों की फसल उससे बच जायगी।

श्री रामजी सहाय—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने अपनी यह राय व्यक्त की कि हमने एक कमेटी बैठा दी है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं .....,

श्री चरण सिंह—यह मैंने कहा कि कमेटी बैठा दी है।

श्री रामजी सहाय—लेकिन उसका आशय ऐसा था कि एक्सपर्टस से कहा गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि एक्सपर्टस लोगों का कोई अनुभव नहीं होता है वे सब अफसर होते हैं उनके साथ उधर वहां के रहने वालों में से भी लें और उनकी राय भी उन एक्सपर्टस के साथ में लें तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा। क्योंकि ख्वामख्वाह कोई मरना तो चाहेगा नहीं कि गलत राय दे देगा। तो उसमें यह बात भी होनी चाहिये। आप जानते हैं कि वहां एक सरकारी बांध पहले से मौजूद है और वह तीन मील लम्बा है।

कभी कभी कहा गया कि १६ मील बंधा है, कभी कुछ कहा गया, इस तरह से मैं यह चाहता हूं कि जो सरकार के लिये रोज का एक सिरदर्द है, जनता पीड़ित है, लाखों एकड़ भूमि जो वहां हर वर्ष समाप्त हो जाती है उसके लिये यदि वह कोई कदम उठाये तो उससे लाभ ही होगा। जो अन्न सरकार वहां पहुंचाती है वह देने पर भी कभी-कभी समय से न मिलने पर कृतज्ञता तो दूर रही, गवर्नमेंट की आलोचना होने लगती है। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि सरकार और मंत्री महोदय इस पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे कि यह कार्य बड़ा आवश्यक है। इस संबंध में केवल इतना ही मेरा निवेदन है

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह ही रहा था कि अगर बांध बनाना जरूरी है और उससे जनता को फायदा पहुंचता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं कोशिश करूंगा कि अगर इतना ज्यादा रुपया न लगता हो जिसके लिये बजट में गुंजाइश न निकले तो बांध बंध जाय ।

बाकी माननीय रामजी सहाय जी का यह कहना कि यह एक्सपर्ट तो यों ही होते हैं इन्हें क्या पता होता है, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो हाउस एक दफा यह तय करदे कि कभी भी किसी मुहकमे में एक्सपर्ट्स न रखे जायं । हम लोग तो हर मुहकमें में अपनी राय दे ही सकते हैं लिहाजा अगर हमारी सब की राय ठीक ही निकला करे तो इन एक्सपर्ट्स के रखने की जरुरत नहीं है । वैसे तो एक्सपर्ट भी इन्सान हैं उनकी राय भी गलत हो सकती है लेकिन जो लोग एक्सपर्ट नहीं हैं उनकी राय ज्यादा गलत होने के इमकान हैं बनिस्बत एक्सपर्ट्स के । इसलिये एक्सपर्टस् से राय लेना जरूरी है । क्योंकि एक्सपर्ट हैं इसलिये उनसे क्यों पूछा जा रहा है यह कोई बात नहीं है । जहां तक टेक्निकल सब कमेटी का संबंध है यह बात ठीक है कि उसको बहुत दिन हो गये हैं । मैंने उनसे कहा है कि वे बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट दें । मैं खुद इस बात की फिक्र में हूं कि इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं या हां में जल्दी आजाय । अगर हो सकता है तो बतायें और अगर नहीं हो सकता है तो बतायें और वह रिपोर्ट सदन के सामने आजाय, लेकिन इस में कमेटी से वास्ता नहीं है । हमने उस कमेटी से नहीं कहा है । पी०डब्लू०डी० के जो चीफ इंजीनियर हैं उनको हमने लिखवाया है और वे जो वहां का इंजीनियर होगा उससे पूछेंगे । अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय रामजी सहाय जी की बातों से ध्वनित होता है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस बांध के बंधने के हक में नहीं थे । ऐसा भी मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां का इंजीनियर जो कोई भी वहां रहता है उन लोगों की राय यह रही हो कि इस बांध के बंधने से फायदा नहीं है । मैं एक संभावना की बात कहता हूं मुमकिनात में से ऐसा है, बाकी उसकी बाबत वैसे कोई निश्चित बात नहीं कह सकता मैंने लिखा है और जैसे ही उसका उत्तर आ जायगा फौरन ही उस पर अमल करने की कोशिश की जायगी ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२० मार्च, १९५३ ।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर ।)

२३ दिसम्बर सन् १९५२ को सांगीपुर के थानेदार दो सिपाहियों को लेकर अपने हल्के में गस्त करने के लिये निकले। २४ ता० को प्रातःकाल वे ग्राम अटेड़ा पहुंचे। वहां पर उनको थाने के छोटे दरोगा तथा दो सिपाही और मिल गये। यह सब लोग मिल कर ग्राम जरयारी की तरफ चले, क्योंकि थानेदार को रिपोर्ट मिली थी कि इस ग्राम के चौकीदार के यहां कुछ गुंडे इकट्ठे होते हैं। वे ढाई बजे के करीब 'पूरे चौहान' में, जो इस ग्राम का एक पुरवा है, पहुचे। एक सिपाही चौकीदार को बुलाने के लिये, जो इस पुरवे में रहता था, भेजा गया। यह मालूम हुआ कि चौकीदार श्री जगत बहादुर सिंह के घर पर है। अतः सिपाही उनके घर गया और वहां उनसे कुछ झगड़ा व मारपीट हो गई। इसी बीच में उस पुरवा के कुछ लोग थानेदार के पास गये और उनसे पूछा कि उन्होंने सिपाही को उनकी बेइज्जती करने के लिये क्यों भेजा है। थानेदार के इस उत्तर पर कि वह केवल चौकीदार को बुलाने भेजा गया था, वह लोग क्रोधित होकर वापस लौट गये। सिपाही बिना चौकीदार को लिये हुये वापस आगया। पुलिस पार्टी तब ग्राम रनजीतपुर के पुरवा 'पूरे झूरई' आई। यहां आस-पास के गांव के लगभग २०–२५ आदमियों ने आकर थानेदार और सिपाहियों के ऊपर लाठियों से हमला कर दिया। थानेदार ने उनको आगाह किया कि वे ऐसा न करें अन्यथा उनको बंदूक चलानी पड़ेगी परन्तु इसका कुछ असर न हुआ। विवश होकर थानेदार को फायर करना पड़ा। उनके दूसरे साथी छोटे दरोगा ने भी दो फायर किये जिसके फलस्वरूप चार व्यक्ति जख्मी हुये जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और शेष तीन को अस्पताल भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २०१ एल० ए०—१९५३—८५० ।